SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार
2026 का प्रतिवेदन संख्या 3
(अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 3

(अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	***iii***	
विहंगावलोकन	***v***	
अध्याय I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
हिमाचल प्रदेश राज्य के विषय में	1.2	1
राज्य सरकार की रूपरेखा	1.3	3
लेखापरीक्षा प्राधिकार	1.4	5
लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया	1.5	9
आभार	1.6	12
कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग		
अध्याय II: हिमाचल प्रदेश कारागारों की कार्यप्रणाली		
परिचय	2.1	13
योजना व मानव संसाधन प्रबंधन	2.2	16
कल्याणकारी गतिविधियों हेतु निधियां प्राप्त करने के प्रयासों की कमी	2.3	19
सुधार व पुनर्वास सुविधाएं	2.4	24
हिमाचल प्रदेश के कारागारों में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता	2.5	31
निष्कर्ष	2.6	33
अनुशंसाएं	2.7	34
ग्रामीण विकास विभाग		
अध्याय III: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अन्तर्गत कार्यों की योजना एवं निष्पादन		
परिचय	3.1	35
श्रमिकों का पंजीकरण	3.2	39
कार्यों हेतु योजना-निर्माण	3.3	42
कार्यों का निष्पादन	3.4	49
मजदूरी का भुगतान	3.5	57
निष्कर्ष	3.6	65
अनुशंसाएं	3.7	66

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
पशुपालन विभाग		
अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं		
परिचय	4.1	67
विभाग की निधि प्रास्थिति	4.2	70
योजना एवं मानव संसाधन	4.3	71
दवाओं की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन एवं उपभोग	4.4	73
निष्क्रिय रखे पशु चिकित्सा उपकरण	4.5	82
पशु चिकित्सा अवसंरचना- अनुमोदित कार्यों में विलम्ब/प्रारंभ न करना	4.6	84
निगरानी एवं नियंत्रण	4.7	85
संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम	4.8	88
निष्कर्ष	4.9	91
अनुशंसाएं	4.10	92
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग		
अध्याय V: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी		
स्थापित कार्य-प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण कॉम्बरमेयर नाला पुल परियोजना के कार्यान्वयन में आठ वर्षों का अत्यधिक विलम्ब	5.1	93
परिशिष्ट		**97-117**

प्रस्तावना

मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में अनुपालन लेखापरीक्षा के वे दृष्टांत वर्णित हैं जो वर्ष 2023-24 के लिए की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2023-24 के पश्चात् की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी, जहां भी आवश्यक है, सम्मिलित किया गया हैं।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में पशुपालन विभाग, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं, ग्रामीण विकास तथा लोक निर्माण विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामले समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन में तीन विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं तथा एक स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी सम्मिलित हैं। प्रतिवेदन को निम्नलिखित पांच अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय I - सामान्य

इस अध्याय में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का विवरण, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया शामिल है।

कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग

अध्याय II - हिमाचल प्रदेश कारागारों की कार्यप्रणाली

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में वर्ष 2021-24 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश के कारागारों में शासन, वित्त व कल्याण सेवाओं की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में महानिदेशक, कारागार के कार्यालय, एक आदर्श केंद्रीय कारागार, तीन जिला कारागार व एक उप-कारागार को समाविष्ट किया गया, जिनका चयन यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से किया गया। यह लेखापरीक्षा अक्टूबर 2024 व जनवरी 2025 के मध्य आयोजित की गई, जिसके निष्कर्षों पर अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में चर्चा की गई, जहां सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया।

आदर्श कारागार नियमावली के तहत अनिवार्य सांविधिक निकायों के गठन को हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली में शामिल नहीं किया गया, जिनमें राज्य सलाहकार बोर्ड, कारागार विकास बोर्ड व आगंतुक बोर्ड शामिल हैं। वर्ष 2021-24 के दौरान कारागारों के लिए कोई वार्षिक कार्य योजना या राज्य योजना तैयार नहीं की गई, जिससे सुधार के कार्य विखंडित रहे और किसी सुव्यवस्थित नीतिगत दिशा के बिना चलते रहे। अनिवार्य निरीक्षण, कल्याण समिति की बैठकें व उद्योग लेखापरीक्षा जैसे आंतरिक निरीक्षण तंत्र या तो विद्यमान नहीं थे या अनियमित थे।

आदर्श कारागार नियमावली के मानकों के अनुसार अपेक्षित 1,281 सुरक्षा कर्मियों के सापेक्ष अप्रैल 2024 तक केवल 466 (36 प्रतिशत) ही पदस्थ थे। नमूना-जांचित कारागारों में कर्मियों

की कमी 49 से 61 प्रतिशत के मध्य रही, जिसके कारण विश्राम के दिनों को रद्द करना पड़ा, तदर्थ पुनर्नियुक्तियां करनी पड़ीं तथा होमगार्डों पर निर्भर रहना पड़ा। सहायक अधीक्षक (57 प्रतिशत रिक्त), डिस्पेंसर (68 प्रतिशत रिक्त), शिक्षक (100 प्रतिशत रिक्त) व सामाजिक कार्यकर्ता (100 प्रतिशत रिक्त) जैसे आवश्यक पदों पर रिक्तियां अत्यधिक थीं। इन कमियों के कारण सुरक्षा व पुनर्वास कार्यक्रम, दोनों प्रभावित हुए।

₹ 180.50 करोड़ (2021-24) के बजट आवंटन में से ₹ 3.95 करोड़ (दो प्रतिशत) की बचत दर्ज की गई। हालांकि सुधार व पुनर्वास हेतु कोई समर्पित बजट मद सृजित नहीं किया गया था। राजस्व सृजन कमजोर रहा, वर्ष 2021-24 के दौरान ₹ 1.28 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष केवल ₹ 0.57 करोड़ की ही वसूली हुई (कमी: 55 प्रतिशत)। 31 मार्च 2024 तक कैदी कल्याण कोष में ₹ 1.42 करोड़ एवं हिमकारा उन्नयन समिति के कोष में ₹ 1.29 करोड़ संचित थे, परन्तु इनका उपयोग न्यूनतम रहा।

कारागारों में भीड़भाड़ की समस्या बनी रही, क्योंकि 2,560 की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के दौरान कैदियों की वास्तविक संख्या 2,921 रही, जो 14 प्रतिशत की अधिकता को दर्शाता है। महिला कैदियों की निरंतर उपस्थिति (100-118) के बावजूद कोई पृथक महिला कारागार या स्वागत केंद्र मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थीं: पुलिस एस्कॉर्ट की कमी के कारण रेफर किये गए मामलों में से 40 प्रतिशत मामलों (16,723 में से 6,731) को अस्पतालों में नहीं भेजा जा सका; दो प्रमुख कारागारों (कंडा व धर्मशाला) में अस्पताल के बिस्तरों की सुविधा संचालित नहीं थी। नमूना-जांचित पांच कारागारों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि केवल आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा व जिला कारागार, धर्मशाला में ही चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध थे; शेष तीन कारागार प्रिस्क्रिप्शन दवाएं वितरित करने के लिए फार्मासिस्टों, डिस्पेंसरों या "मेडिक" के रूप में प्रशिक्षित वार्डरों पर निर्भर हैं, और इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि सिविल अस्पतालों से प्रतिनियुक्त चिकित्सक किसी निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नियमित रूप से भ्रमण करते हों। यह भी पाया गया कि दंत चिकित्सा कुर्सियां, निदान उपकरण व सहायक चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक उपकरण योग्य ऑपरेटरों की अनुपलब्धता के कारण बेकार रखे हुए थे।

शिक्षण की स्थिति उपेक्षित रही: शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तथा 50 प्रतिशत से अधिक कैदी उच्च-माध्यमिक स्तर से नीचे होने के बावजूद इग्नू/एनआईओएस कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी नगण्य रही। कैदियों की मजदूरी का भुगतान अनियमित था, जिसमें विलम्ब एवं अलग-अलग कारागारों में अलग-अलग प्रथाएं देखी गईं। कई बार, विभागीय खर्चों की पूर्ति हेतु कैदियों के संपत्ति खातों का उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2024 तक ₹ 6.56 लाख की राशि कैदियों को देय रही।

राज्य ने "जेल वार्ता" प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो समर्पित वीडियो लिंक के माध्यम से कैदियों को उनके परिवारों के साथ संवाद करने के लिए एक विनियमित तंत्र प्रदान करता है। जिला कारागार, सोलन ने इस सुविधा का अधिक उपयोग किया। तथापि यह तकनीक समुचित रूप से उपयोग में नहीं लाई जा सकी तथा विभिन्न कारागारों में इसका कार्यान्वयन असमान रहा। रिहा हुए कैदियों के लिए रिहाई के बाद की देखभाल के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था, जिसके कारण इस अवधि के दौरान रिहा हुए 496 कैदी बिना किसी संरचित पुनर्वास अथवा सहायता के रह गए।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र अपर्याप्त पाए गए, क्योंकि प्रबंधन समितियों की बैठकें अनियमित रूप से आयोजित की गईं, कारागार उद्योगों के अधिकांश भाग की लेखापरीक्षा नहीं की गई तथा वर्ष 2021 से 2024 के बीच किसी भी कारागार में अनिवार्य अर्द्धवार्षिक निरीक्षण नहीं हुआ।

राज सरकार :

- *राज्य सलाहकार बोर्ड व कारागार विकास बोर्ड के गठन के संबंध में भारत सरकार के आदर्श कारागार नियमावली 2016 के प्रावधानों को अपनाये व कार्यान्वित करें;*
- *कार्मिकों की कमी के मुद्दे विशेष रूप से सुरक्षा व चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर हल करें; और*
- *टेली-परामर्श व साझा-एस्कॉर्ट सुविधाओं के उपयोग की संभावनाओं को तलाशें, ताकि कैदियों को व्यक्तिगत रूप से अस्पताल ले जाने की आवश्यकता कम हो तथा मार्ग में होने वाले सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके।*

ग्रामीण विकास विभाग

अध्याय III - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अन्तर्गत कार्यों की योजना एवं निष्पादन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों के योजना निर्माण एवं निष्पादन की लेखापरीक्षा में श्रमिकों के पंजीकरण, कार्यों की योजना एवं निष्पादन तथा मजदूरी भुगतान में प्रणालीगत कमजोरियां उजागर हुईं। नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-25 के दौरान 36.46 प्रतिशत जॉब कार्ड विलंब से जारी किए गए (249 दिनों का औसत विलम्ब) एवं फरवरी 2006 से सितंबर 2020 के बीच जारी किए गए 88.72 प्रतिशत जॉब कार्ड सितंबर 2025 तक नवीनीकरण या अपडेट हेतु लंबित थे। ये विलम्ब ग्राम पंचायतों में तैनात

ग्राम रोजगार सहायकों की 14 प्रतिशत कमी तथा ब्लॉक एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निगरानी न किए जाने के कारण हुए।

योजना निर्माण में कमी पाई गई क्योंकि न तो जिला स्तर पर पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार की गईं और न ही ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं बनाई गईं। सोलन व सिरमौर जिलों में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों को कार्य शेल्फ में किसी प्राथमिकता क्रम में नहीं रखा गया। कांगड़ा जिले में, हालांकि प्राथमिकताएं निर्दिष्ट की गई थीं, फिर भी कार्य निर्धारित क्रम के अनुसार स्वीकृत नहीं किए गए, अपितु यादृच्छिक रूप से चुने गए। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित तीनों जिलों में किसी में भी कार्यों के शेल्फ की जांच करने तथा जिला-विशिष्ट अनुसूची दरें तैयार करने हेतु अनिवार्य जिला स्तरीय तकनीकी समितियां गठित नहीं की गईं। भौगोलिक सूचना प्रणाली/रिमोट सेंसिंग आधारित योजना निर्माण भी नहीं अपनाया गया। उन्नति परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास की योजना अपर्याप्त थी; क्योंकि वर्ष 2021-22 में 4,810 अभ्यर्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 710 (15 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया, जो भारत सरकार की निधियों के अल्प उपयोग में परिणत हुआ।

गलत अनुमान विधियों, घर-घर सर्वेक्षणों के अभाव, आवश्यक अनुसूची दर की कमी एवं कमजोर निगरानी के कारण श्रम बजट में मांग का उचित आकलन नहीं किया गया। वर्ष 2019-24 के दौरान निष्पादन के लिए ₹ 3.08 करोड़ की लागत से स्वीकृत 193 चयनित कार्यों में से केवल 127 कार्य ही ₹ 1.45 करोड़ के व्यय से पूर्ण हुए, जिनमें से 57 कार्यों में 10 से 874 दिनों का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, ₹ 78.06 लाख की अनुमानित लागत वाले 50 कार्य अभी भी चल रहे थे, जिन पर सितंबर 2024 तक ₹ 46.58 लाख खर्च किए जा चुके थे; इनमें से 23 कार्यों में 153 से 884 दिनों तक का विलम्ब देखा गया।

नमूना-जांचित छः खंडों में से किसी में भी केंद्रीकृत खरीद प्रणाली को नहीं अपनाया गया। ₹ 108.99 करोड़ की सामग्री की खरीद टुकड़ों में की गई; 24 ग्राम पंचायतों में ₹ 8.67 करोड़ की खरीद अलग-अलग दरों पर प्राप्त कोटेशन के माध्यम से की गई। मजदूरी भुगतान में, ₹ 77.47 करोड़ मूल्य के 3.41 लाख लेन-देन में विलम्ब हुआ, जिनमें 5,523 लेन-देन ऐसे थे जो 90 दिनों से अधिक समय तक रोके गए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की अनिवार्य अनुमति के बिना, "पंचवटी योजना" के तहत 180 स्थलों पर ₹ 15.75 करोड़ की लागत से अनधिकृत रूप से कार्य किए गए, जबकि कार्य की नई श्रेणी के लिए यह अनुमति आवश्यक थी।

28 श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों का भुगतान न करना, कार्यों के तकनीकी सत्यापन के बिना ही ₹ 4.17 लाख का अनियमित भुगतान (चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से चार में) तथा कार्य-स्थल पर कोई काम न होने के बावजूद 274 मानव-दिवसों के लिए ₹ 0.67 लाख का भुगतान करना (चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से सात में) जैसी कई समस्याएं संज्ञान में आईं। पंचवटी-पार्क के कार्यों पर ₹ 4.41 करोड़ की अस्वीकार्य राशि खर्च की गई, जो मनरेगा के अधिकृत कार्यों की सूची में शामिल नहीं थे। यह भी देखा गया कि मस्टर रोल अनियमित थे या उनमें श्रमिकों के हस्ताक्षरों का अभाव था। इसके अतिरिक्त, नरेगासॉफ्ट में ई-माप पुस्तिकाएं नहीं भरी गईं और केवल भौतिक माप पुस्तिकाएं ही अनुरक्षित रखी गईं, जिससे उच्च अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निगरानी सीमित हो गई।

राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति में फोटोग्राफ नहीं मिले और अपलोड भी अधूरे थे, जो राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम दिशानिर्देशों के कमजोर अनुपालन को दर्शाते हैं। लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टांत भी पाए गए, जहां राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लिकेशन में उपस्थित के रूप में अंकित होने के बावजूद श्रमिक कार्यस्थल पर अनुपस्थित थे (ग्राम पंचायत जेरोट में छः श्रमिक अनुपस्थित पाए गए)। साथ ही, चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से दो ग्राम पंचायतों में चार श्रमिकों को मस्टर रोल पर हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ही भुगतान कर दिया गया।

राज्य सरकार :

- *जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि जॉब कार्ड जारी करने/अपडेट करने, कार्यों के निष्पादन व मजदूरी के भुगतान में होने वाले असामान्य विलम्ब को रोका जा सके।*
- *कार्यों की शेल्फ एवं श्रम बजट मनरेगा दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करें।*

पशुपालन विभाग

अध्याय IV - हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं

पशुपालन विभाग को पशुधन की आनुवंशिक क्षमता में सुधार, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम व नियंत्रण, विभिन्न स्तरों पर पशु चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान, संकटग्रस्त नस्लों के संरक्षण और प्रसार सेवाओं के प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

"पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं" पर यह अनुपालन लेखापरीक्षा वित्तीय संसाधनों, मानव संसाधनों, दवाओं, उपकरणों, बुनियादी ढांचे तथा निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र की उपलब्धता और उपयोग के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं की योजना की समीक्षा करने हेतु आयोजित की गई थी। यह लेखापरीक्षा चार चयनित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों एवं निदेशालय में वर्ष 2021-24 की अवधि को लेते हुए की गई, जिसमें संयुक्त भौतिक निरीक्षण और एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया।

वर्ष 2021-24 के दौरान विभाग ने ₹ 1,562.78 करोड़ के बजट आवंटन के सापेक्ष ₹ 68.86 करोड़ का अव्ययित शेष रखते हुए ₹ 1,493.92 करोड़ का व्यय किया। व्यय का एक बड़ा हिस्सा (68 से 77 प्रतिशत) वेतन पर खर्च किया गया था, जबकि इसी अवधि के दौरान दवाओं व उपकरणों पर होने वाले व्यय का हिस्सा कुल व्यय के 3.11 प्रतिशत से घटकर 1.44 प्रतिशत रह गया।

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गईं एवं वर्ष 2021-24 के दौरान केवल जिला-वार भौतिक लक्ष्य ही जारी किए गए। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह की अभ्युक्ति प्रतिवेदित किए जाने के बावजूद यह कमी बनी रही। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों और पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों जैसे प्रमुख पदों पर सात से 29 प्रतिशत की निरंतर रिक्तियों ने सेवा वितरण को और अधिक प्रभावित किया।

संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों से औपचारिक मांग-पत्र प्राप्त किए बिना ही ₹ 7.55 करोड़ की दवाओं एवं उपकरणों की खरीद की गई। कुल 885 दवाएं (1,906 दवाओं में से), जिनका मूल्य ₹ 3.08 करोड़ था, अनिवार्य विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के बिना ही स्वीकार कर ली गईं। 70 संस्थानों में रोगी पशुओं को एक्सपायर हो चुकी दवाएं (एक माह से लेकर 36 माह तक) दी गईं। दवाओं के कुल 364 नमूनों में से 235 दवाएं मानक गुणवत्ता की पाई गईं एवं दवाओं के 10 नमूने निम्न स्तरीय पाए गए, जबकि शेष 119 नमूनों के परिणाम 15 से 42 माह (जुलाई 2025 तक) बीत जाने के बाद भी प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं हुए। ₹ 9.22 लाख मूल्य की निम्न स्तरीय दवाएं वितरित की गईं और इनमें से 78 प्रतिशत दवाओं का राज्य में उपभोग भी कर लिया गया। निर्धारित ऑनलाइन इन्वेंट्री एप्लीकेशन कार्यान्वित नहीं की गई, जो एक्सपायरी दवाओं के वितरण को रोकने और बेकार पड़े उपकरणों की स्थिति पर नज़र रखने में सहायक हो सकती थी। टीकाकरण कार्यक्रमों में भी नौ से 75 प्रतिशत तक की भारी कमी देखी गई, जिससे रोग नियंत्रण के प्रयासों को हानि हुई। पशु चिकित्सा उपकरण (₹ 0.91 करोड़ की लागत के 487 उपकरण) खरीद के समय से ही अप्रयुक्त रहे या योजना, अधोसंरचना अथवा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यशील नहीं हो सके।

अवसंरचना के सन्दर्भ में वर्ष 2021-24 के दौरान स्वीकृत 68 कार्यों में से ₹ 1.82 करोड़ की लागत वाले केवल नौ कार्य ही पूर्ण हुए, जबकि 27 कार्य अपूर्ण (चल रहे) थे तथा मार्च 2024 तक शेष 32 कार्य आरंभ ही नहीं हो सके थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अवधि से पूर्व के भी ₹ 19.43 करोड़ की लागत वाले 26 कार्य अपूर्ण थे, जबकि ₹ 11.77 करोड़ की लागत वाले 40 कार्यों को निर्माण एजेंसियों द्वारा आरंभ ही नहीं किया गया था।

राज्य में निरीक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में 43 से 86 प्रतिशत तक की भारी कमी पाई गई।

29 पशु चिकित्सा संस्थानों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में अप्रयुक्त उपकरण, एक्सपायरी दवाओं का स्टॉक, कर्मचारियों की कमी, जर्जर बुनियादी ढांचा एवं विद्युत का अभाव पाया गया। लाभार्थी सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि 73 प्रतिशत उत्तरदाता उपचार एवं स्टाफ के सहयोग से संतुष्ट थे। हालांकि 38 प्रतिशत ने स्टाफ की कमी तथा 48 प्रतिशत ने इंजेक्शनों की कमी की सूचना दी। इसके अतिरिक्त, केवल 11 प्रतिशत ने नैदानिक परीक्षण की उपलब्धता का उल्लेख किया और केवल 35 प्रतिशत लोग शिकायत निवारण तंत्र से अवगत थे।

राज्य सरकार :

- *सुनिश्चित करें कि विभाग जनवरी माह में पशुधन आवश्यकताओं, संसाधनों व वित्तीय आवंटन के अनुरूप यथार्थवादी, जिला-वार लक्ष्यों सहित व्यापक वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करे।*
- *क्षेत्रीय इकाइयों से लिखित मांग-पत्र अनिवार्य कर खरीद प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाए तथा दवाओं व उपकरणों के स्टॉक स्तर, एक्सपायरी की तिथि एवं वितरण की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन इन्वेंटरी प्रबंधन सिस्टम को कार्यशील किया जाए।*
- *प्रमुख रिक्त पदों को भरकर, कार्मिकों को उपकरणों के उपयोग, टीकों के संचालन एवं स्टॉक प्रबंधन में प्रशिक्षित करके मानव-संसाधन व क्षमता सम्बन्धी कमियों का निराकरण करें।*

अध्याय V - स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

बाधारहित-कार्यस्थल सुनिश्चित कराने, लिखित संरचनात्मक ड्रॉइंग उपलब्ध कराने एवं कार्य पूर्ण करने की संविदात्मक शर्तों को लागू करने में विभाग की अक्षमता, ₹ 0.53 करोड़ के निष्फल व्यय, पुन: निविदा के कारण राज्य कोषागार पर ₹ 0.74 करोड़ के अतिरिक्त बोझ तथा स्वीकृति के आठ वर्षोपरांत भी पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका, जिससे अपेक्षित सार्वजनिक लाभों में विलम्ब हुआ।

अध्याय-I

सामान्य

अध्याय I: सामान्य

1.1 परिचय

यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को समाविष्ट करता है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों को तैयार करने में सक्षम होने की उम्मीद है जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

प्रतिवेदन को निम्नलिखित पांच अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय-I में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार का विवरण, वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की संक्षिप्त रूपरेखा, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, विभिन्न लेखापरीक्षा परिणामों यथा निरीक्षण प्रतिवेदन, स्वतंत्र टिप्पणियों/परिच्छेदों, निष्पादन लेखापरीक्षा और विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण शामिल है।

अध्याय-II में 'हिमाचल प्रदेश कारागारों की कार्यप्रणाली' पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन शामिल है।

अध्याय-III में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत कार्यों की योजना एवं निष्पादन' पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

अध्याय-IV में 'हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं' पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

अध्याय-V में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित स्वतंत्र टिप्पणी शामिल हैं।

1.2 हिमाचल प्रदेश राज्य के विषय में

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में स्थित है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.69 प्रतिशत है। राज्य का अभिलिखित वन क्षेत्र राज्य के क्षेत्रफल का 66.52 प्रतिशत है। राज्य मुख्य रूप से पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 350 मीटर से लेकर 6,975 मीटर तक है। राज्य का लगभग एक तिहाई क्षेत्र स्थायी

रूप से बर्फ, ग्लेशियर और ठंडे रेगिस्तान से आच्छादित है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1,800 मिलीमीटर है। राज्य का तापमान शून्य से नीचे से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं यमुना राज्य की प्रमुख नदियां हैं।

हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को एक राज्य बना। यह एक विशेष श्रेणी राज्य है। राज्य की सीमा पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है।

राज्य में तीन जनजातीय जिलों सहित कुल 12 पहाड़ी जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68.65 लाख है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 0.57 प्रतिशत है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या क्रमशः 89.97 प्रतिशत व 10.03 प्रतिशत है। जनजातीय जनसंख्या राज्य की आबादी का 5.71 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, क्योंकि यह लगभग 69 प्रतिशत मुख्य कार्यशील आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है। विनिर्माण, बागवानी एवं पर्यटन राज्य के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

1.2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति तक हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद[1] स्थिर मूल्यों[2] (2011-12) पर ₹ 1,42,800 करोड़ होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष की तुलना में 7.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर मूल्यों पर) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (₹ 173.82 लाख करोड़) का 0.82 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय (चालू व स्थिर दोनों मूल्यों पर) **चार्ट 1.1** में दर्शाई गई है।

1 राज्य के भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को मापने के लिए यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला संकेतक है।

2 स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है, जबकि चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल है।

चार्ट 1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद व प्रति व्यक्ति आय

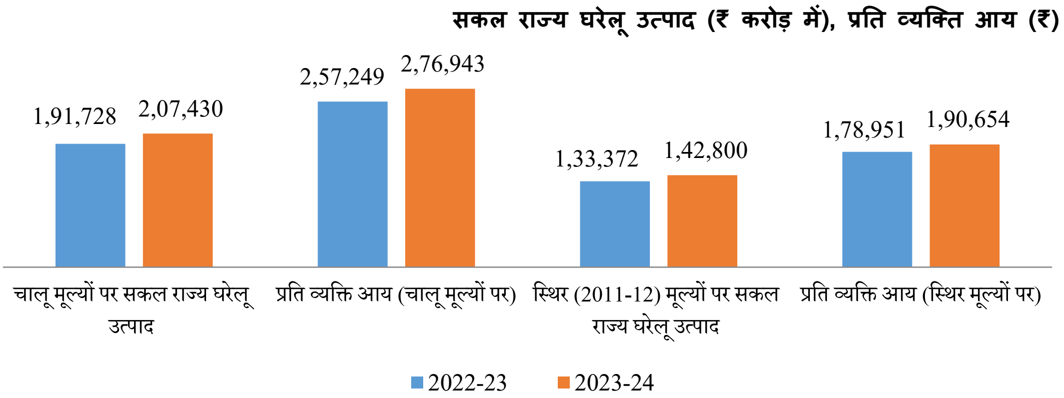

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी।

1.3 राज्य सरकार की रूपरेखा

1.3.1 सरकार की संरचना

हिमाचल प्रदेश सरकार 46 विभागों एवं 31 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संगठित है। इसके अतिरिक्त राज्य में 76 स्वायत्त निकाय हैं।

राज्य में 74 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें आठ नगर निगम, 29 नगर परिषदें एवं 37 नगर पंचायतें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2024 तक यहां 3,708 पंचायती राज संस्थान हैं, जिनमें 12 जिला परिषदें, 81 पंचायत समितियां व 3,615 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

1.3.2 राज्य सरकार की प्राप्तियां

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों व उसके घटकों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.2: राज्य के संसाधनों की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)

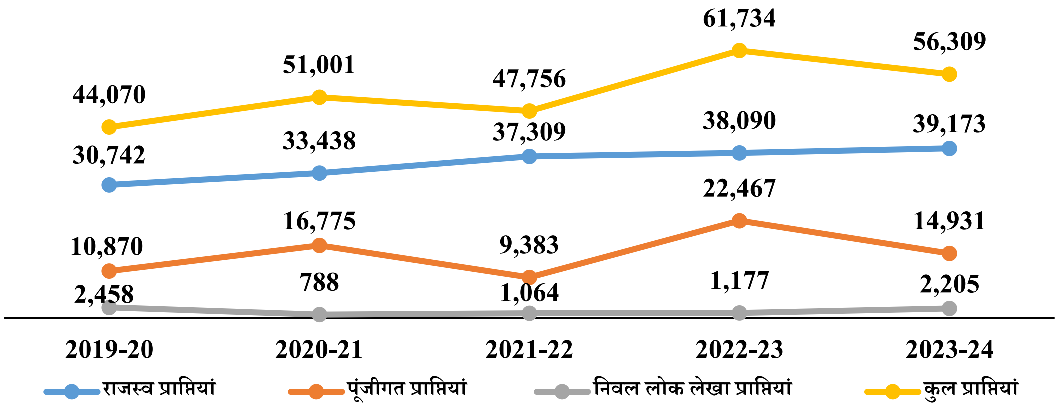

स्रोत: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, हिमाचल प्रदेश सरकार।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति **चार्ट 1.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3: राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)

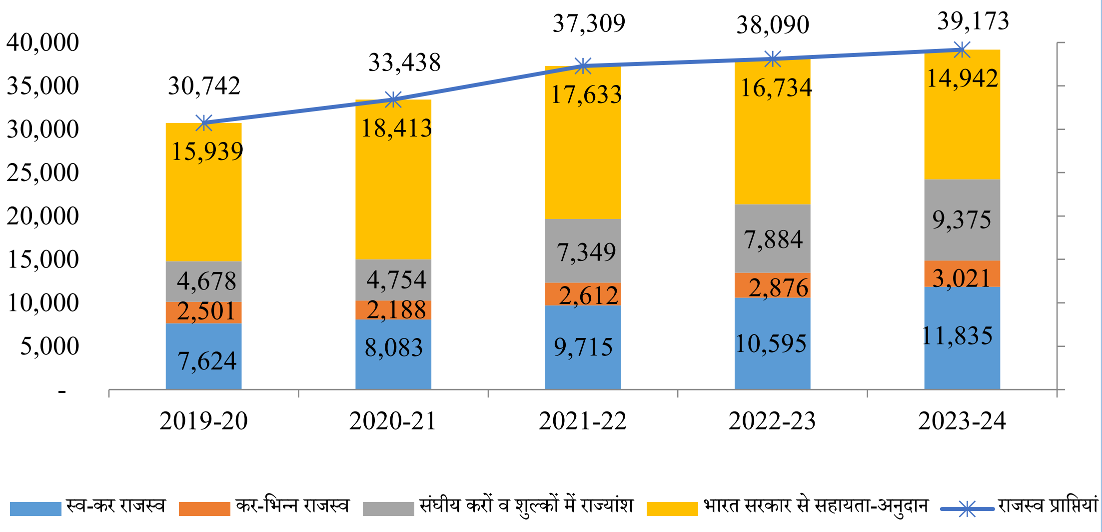

स्रोत: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, हिमाचल प्रदेश सरकार।

1.3.3 राज्य सरकार की व्यय रूपरेखा

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय एवं उसका संघटन **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: राज्य सरकार का कुल व्यय (₹ करोड़ में)

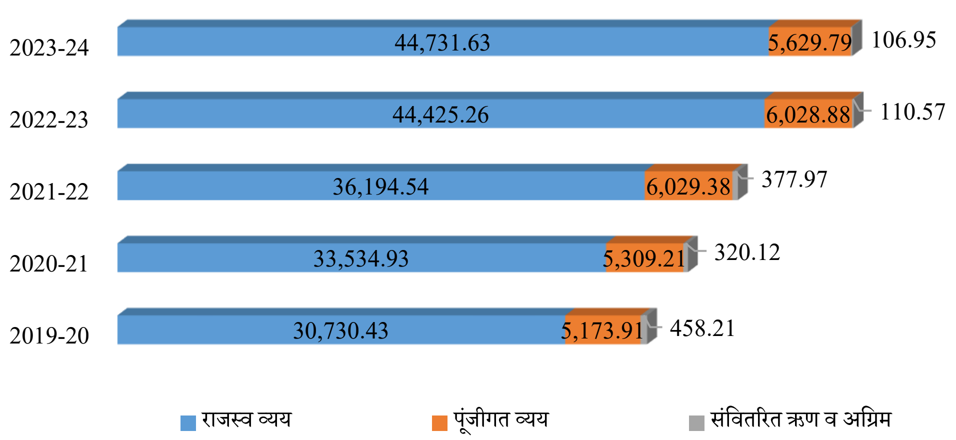

स्रोत: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, हिमाचल प्रदेश सरकार।

बजट, प्राप्तियां, व्यय एवं राज्य वित्त के अन्य आयामों पर विस्तृत जानकारी पर हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2023-24 हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई है, जिसे पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

1.4 लेखापरीक्षा प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं, जो कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र हैं तथा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। भारत का संविधान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को संघ, राज्यों एवं अन्य सार्वजनिक निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है, जिससे सरकार के कार्यकलापों में जवाबदेही, पारदर्शिता एवं सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। लेखापरीक्षा कार्य के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य सरकारों के लेखों का संकलन भी करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियाँ एवं दायित्व भारत के संविधान[3] के अनुच्छेद 149 व 151 से प्राप्त होते हैं, जिन्हें संसद द्वारा अधिनियमित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम (संशोधन), 2020 एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन हेतु सिद्धांतों, कार्यप्रणालियों व रूपरेखा को निर्धारित करते हैं।

1.4.1 लेखापरीक्षा का अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा करने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिदेश है:

- संघ व राज्यों की समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा में होने वाले सभी आवक एवं जावक लेन-देन।
- सभी सरकारी कार्यालयों एवं विभागों के लेखे तथा वित्तीय विवरणियां।

[3] भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 यह परिकल्पना करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संघ, राज्यों एवं किसी भी प्राधिकरण या निकाय के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के माध्यम से या उसके अधीन निर्धारित किया जाए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 151 यह प्रावधान करता है कि संघ या किसी राज्य सरकार के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन क्रमशः राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें संसद के प्रत्येक सदन/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाए।

- सभी सरकारी कार्यालयों एवं विभागों के स्टोर व स्टॉक लेखे।
- कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित सरकारी कंपनियों तथा किसी भी अन्य कंपनी के लेखे।
- सभी नियामक निकायों एवं अन्य सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों के लेखे, जहां उनके शासकीय कानूनों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान है; तथा सार्वजनिक कोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों व प्राधिकरणों के लेखे।
- शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं किसी भी अन्य निकाय या प्राधिकरण के लेखे, जिनमें गैर-सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं, जहां विधि के अंतर्गत लेखापरीक्षा का दायित्व नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है।
- दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग में संलग्न निजी कंपनियां, जहां लाइसेंस की शर्तों के अनुसार सरकार के साथ राजस्व साझा करना अनिवार्य है।

1.4.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियां

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को उसके लेखापरीक्षा अधिदेश के निर्वहन हेतु निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी भी कार्यालय या संगठन का निरीक्षण करने की शक्ति।
- सभी लेन-देन की जांच करने तथा कार्यपालिका से प्रश्न करने की शक्ति।
- किसी भी लेखापरीक्षणीय इकाई से अभिलेख, कागजात एवं दस्तावेज़ मंगाने की शक्ति।
- लेखापरीक्षा की सीमा एवं पद्धति निर्धारित करने की शक्ति।
- आवश्यकता होने पर विस्तृत लेखापरीक्षा से छूट देने तथा जैसा वह निर्धारित कर सके उस प्रकार विशिष्ट लेखों या लेनदेन पर सीमित जांच लागू करने की शक्ति।

1.4.3 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के विषय में

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। यह विभाग भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा के अधिकारियों तथा पर्यवेक्षणीय एवं कार्यात्मक संवर्गों में कार्यरत सहायक कार्यबल से मिलकर बना है।

नई दिल्ली में स्थित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का मुख्यालय, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के सभी लेखापरीक्षा, लेखांकन तथा हकदारी संबंधी कार्यों का निर्देशन व निगरानी करता है। मार्च 2024 तक 137 क्षेत्रीय कार्यालय (पांच विदेशी कार्यालयों सहित) कार्यरत हैं। हिमाचल प्रदेश में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं– कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी[4]) तथा विभाग का शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी।

1.4.4 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के बारे में

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, जिनका कार्यालय शिमला में गॉर्टन कैसल और रेलवे बोर्ड भवन में स्थित हैं, राज्य सरकार के विभागों, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों सहित हिमाचल प्रदेश के अन्य सार्वजनिक निकायों/प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का कार्य करते हैं। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत राज्य सरकार की कंपनियों एवं निगमों के वार्षिक लेखों की वित्तीय लेखापरीक्षा भी करता है। यह राज्य सरकार एवं वित्तपोषण एजेंसियों के मध्य हुए समझौतों के तहत, राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय का प्रमाणीकरण भी करता है।

गोर्टन कैसल, शिमला में स्थित कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

4 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्यों के लेखों का अनुरक्षण करता है तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 10 एवं 11 के अंतर्गत हकदारी संबंधी कार्यों का भी निर्वहन करता है। हकदारी संबंधी कार्यों में पेंशन भुगतान की स्वीकृति, सामान्य भविष्य निधि का अनुरक्षण व राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित अन्य राजपत्रित हकदारी कार्य सम्मिलित हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सरकार के वार्षिक वित्त एवं विनियोजन लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रमाणित किए जाने के पश्चात राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। यह कार्यालय राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखे भी अनुरक्षित करता है तथा पेंशन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करते हैं, जिन्हें नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक प्रतिहस्ताक्षरित करते हैं तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु राज्यपाल को सौंपा जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की सहायता वरिष्ठ उप/उप महालेखाकार के पद पर कार्यरत भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारियों द्वारा की जाती है, जिनकी आगे वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक तथा अन्य लिपिकीय कर्मचारी सहायता करते हैं।

1.4.5 लेखापरीक्षा के प्रकार

अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निम्नलिखित प्रकार के लेखापरीक्षा कार्य करते हैं :

(i) **वित्तीय लेखापरीक्षा -** यह जांच करना कि किसी संस्था के वित्तीय विवरण एवं जानकारी उचित रूप से तैयार की गई है, सभी मामलों में पूर्ण है तथा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग व नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है।

(ii) **निष्पादन लेखापरीक्षा -** सार्वजनिक निधियों की प्राप्ति एवं उसके अनुप्रयोग में **मितव्ययिता**, **दक्षता** एवं **प्रभावशीलता**, सरकार की योजनाओं एवं गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के वितरण का मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। यह लेखापरीक्षाएं सामान्यतः विषय-आधारित होती हैं, जिनका मुख्य केंद्र किसी सरकारी निकाय के कार्यकरण, किसी सरकारी योजना/कार्यक्रम के प्रदर्शन तथा उसके परिणामों के मूल्यांकन पर होता है।

(iii) **अनुपालन लेखापरीक्षा -** यह आकलन करने के लिए कि क्या गतिविधियां, वित्तीय लेन-देन व निर्णय प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों व निर्देशों के अनुरूप हैं या नहीं तथा अनियमित, अपव्ययी अथवा फिजूलखर्ची वाले व्यय के मामलों की जांच करने के लिए की जाती है। यह **विनियमन**–निर्धारित कानूनी एवं प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन–तथा **औचित्य** के पहलुओं–सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतों के पालन पर केंद्रित होती है। कुछ अनुपालन लेखापरीक्षा **विषय-विशिष्ट अथवा विषयगत** भी हो सकती हैं, जिनमें किसी विशेष मुद्दे, योजना या विभाग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

1.5 लेखापरीक्षा पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

1.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन से तात्पर्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा लेखापरीक्षा योग्य इकाई[5] की लेखापरीक्षा पूर्ण हो जाने के पश्चात् जारी किये गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से है। निरीक्षण प्रतिवेदन में स्वतंत्र लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां/ निष्कर्ष (लेखापरीक्षा परिच्छेद के रूप में संदर्भित) शामिल होते हैं तथा इसमें किसी विशिष्ट विषय पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के प्रमुख से उनके आगामी उच्च प्राधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश को निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित निष्कर्षों के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदित करना अपेक्षित है। की गई कार्रवाई के आधार पर एक लेखापरीक्षा परिच्छेद को या तो समायोजित किया जाता है अथवा लेखापरीक्षा योग्य इकाई से आगे सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है। जब निरीक्षण प्रतिवेदन के सभी लेखापरीक्षा परिच्छेदों का समायोजन हो जाता है, तो निरीक्षण प्रतिवेदन को समायोजित माना जाता है। वित्त विभाग वार्षिक आधार पर तदर्थ समिति की बैठकें निर्धारित करता है, जहां निरीक्षण प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों को समायोजित करने पर चर्चा की जाती है। 31 मार्च 2024 तक सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उनमें निहित लेखापरीक्षा परिच्छेदों की स्थिति **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है।

तालिका 1.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा परिच्छेदों के समायोजन की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	निरीक्षण प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा परिच्छेद
1.	31 मार्च 2023 तक लंबितता	11,605	58,256
2.	वर्ष 2023-24 के दौरान जारी	554	6,942
3.	2023-24 के दौरान समायोजित	229	4,189
4.	31 मार्च 2024 तक लंबितता	11,930	61,009

5 लेखापरीक्षा योग्य इकाई से तात्पर्य राज्य सरकार की किसी भी इकाई से है, जिसमें कोई कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कंपनी, निगम, निधि, स्थानीय निकाय या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन कोई अन्य इकाई शामिल है।

1.5.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल की लोक लेखा समिति को प्रेषित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकरण के प्रक्रिया नियमों (दिसम्बर 2002) के नियम 4 में यह प्रावधान है कि जैसे ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाता है, संबंधित विभाग समिति से औपचारिक प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्तर पर सुओ-मोटो कार्रवाई आरंभ कर देंगे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर प्रत्येक परिच्छेद पर उनके द्वारा की गई कार्रवाई के विषय में समिति को सूचित करेंगे।

31 मार्च 2024 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के सुओ-मोटो उत्तरों की स्थिति **तालिका 1.2** में दी गई है तथा **परिशिष्ट 1.1** में विवर्णित की गई है।

तालिका 1.2: पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुओ-मोटो उत्तर दिए जाने की स्थिति

प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		प्राप्त सुओ-मोटो उत्तर		प्राप्त न हुए सुओ-मोटो उत्तर	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त[6] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2012-13 से 2020-21	46	330	42	312	4	18

1.5.3 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में चर्चा

लोक लेखा समिति को भेजे गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर संबंधित समिति द्वारा चर्चा एवं मौखिक जांच की जाती है। लोक लेखा समिति राज्य सरकार के अधिकारियों (आमतौर पर राज्य सरकार के संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव) को मौखिक जांच हेतु बुलाती है। वर्ष 2023-24 के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई

[6] वर्ष 2012-13 से 2019-20 के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; वर्ष 2020-21 के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन की दक्षता पर निष्पादन लेखापरीक्षा; हिमाचल प्रदेश सरकार में पेयजल सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा 31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण **तालिका 1.3** में दिया गया है तथा **परिशिष्ट 1.2** में विवर्णित है।

तालिका 1.3: 2023-24 के दौरान लोक लेखा समिति में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर हुई चर्चा

संबंधित विधायी समिति - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में शामिल कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		मार्च 2023 तक चर्चा की गई कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		2023-24 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति में चर्चा के लिए लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
लोक लेखा समिति- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2008-09 से 2020-21	46	330	34	259	2	12	10	59

1.5.4 लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

समिति की सुनवाई, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई एवं समिति की अनुशंसाओं को सारांशित करते हुए लोक लेखा समिति रिपोर्ट तैयार करती है। ये रिपोर्टें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत की जाती हैं। प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर की गई कार्रवाई पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है तथा **परिशिष्ट 1.3** में विवर्णित है।

तालिका 1.4: लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों की स्थिति

प्रतिवेदन का नाम	विधानसभा कार्यकाल से संबंधित लोक लेखा समिति की अनुशंसा	विभागों की संख्या	लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर लंबित कुल की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों की संख्या
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानसभा VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII व XIV	25	240

1.6 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के विभागों एवं अन्य लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों को लेखापरीक्षा के दौरान दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान पशुपालन विभाग, कारागार एवं सुधार सेवाएं विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की हम विशेष रूप से सराहना करते हैं। उम्मीद है कि इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होंगे तथा समय पर और प्रभावी सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेंगे।

अध्याय-II

हिमाचल प्रदेश कारागारों की कार्यप्रणाली

अध्याय II: हिमाचल प्रदेश कारागारों की कार्यप्रणाली

कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग

2.1 परिचय

कारागार विभाग, जो आपराधिक न्याय प्रणाली का एक मुख्य घटक है, ने धीरे-धीरे अपनी नीति को दंड एवं भय-निवारण से हटाकर सुधार व पुनर्वास की ओर केंद्रित किया है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यापक सुधार किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने सितंबर 2024 तक कुल 14 कारागार संस्थानों का प्रबंधन किया है–जिनमें आदर्श केंद्रीय कारागार, जिला कारागार व उप-कारागार शामिल हैं–जिनकी कुल क्षमता 2,560 कैदियों की है। ये सभी मिलकर राज्य की आधुनिक सुधारात्मक रणनीति की आधारशिला बनाते हैं **(मानचित्र 1)**।

वर्तमान नीति का व्यापक लक्ष्य कैदियों को ऐसे कौशल, कार्य की आदतें व सामाजिक संबंध प्रदान करना है, जिनकी उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में समाज में लौटने के लिए आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य, कारागार की दीवारों के बाहर निगरानी में किए जाने वाले कार्य को प्रोत्साहित करता है, जिससे कैदी आय अर्जित करने, पारिवारिक व्यय में योगदान देने तथा अपने परिवारों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने में सक्षम होते हैं, ये सभी कारक पुनरावृत्ति[1] अपराध को कम करने में महत्वपूर्ण हैं। सुधारों का केंद्र उन्नत चिकित्सीय सेवाओं तथा बेहतर जीवनशैली पर रहा है, जैसे कि मुक्त कारागार योजना के दायरे का विस्तार करना, जिसके अंतर्गत कम सुरक्षा वाले ऐसे वातावरण का सृजन किया गया हैं जहां सावधानीपूर्वक चयनित कैदी न्यूनतम निगरानी में रह एवं कार्य कर सकें। कैदियों द्वारा संचालित मोबाइल कैंटीन लघु-व्यवसाय प्रबंधन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती हैं, जबकि वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग बूथ कैदियों तथा उनके रिश्तेदारों परिजनों के बीच निर्बाध बातचीत की सुविधा देते हैं, जिससे व्यक्तिगत मुलाकातों पर होने वाले भावनात्मक व वित्तीय खर्च कम हो जाते हैं।

[1] पुनरावृत्ति अपराध का आशय किसी व्यक्ति द्वारा सुधारात्मक या पुनर्वास उपायों के बाद रिहा होने पर फिर से अपराध करना है।

मानचित्र 1: हिमाचल प्रदेश में कारागार का जिलावार विवरण

1. आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा, शिमला
2. आदर्श केंद्रीय कारागार, नाहन
3. जिला मुक्त कारागार, धर्मशाला
4. जिला कारागार, कैथू, शिमला
5. जिला एवं मुक्त कारागार, बिलासपुर
6. जिला कारागार, सोलन
7. जिला कारागार, ऊना
8. जिला कारागार, मंडी
9. जिला कारागार, चंबा
10. जिला कारागार, हमीरपुर
11. जिला कारागार, कुल्लू
12. उप-कारागार, नालागढ़
13. उप-कारागार, नूरपुर
14. उप-कारागार, कल्पा

2.1.1 हिमाचल प्रदेश कारागार की शासन संरचना

हिमाचल प्रदेश में सभी सुधारात्मक संस्थान कारागार एवं सुधारात्मक सेवा विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिसकी नीतिगत स्तर पर देखरेख अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) द्वारा की जाती है। कारागार महानिदेशक, विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए परिचालन संबंधी मानक निर्धारित करते हैं तथा राज्य के प्रत्येक कारागार का समग्र पर्यवेक्षण करते हैं। प्रत्येक कारागार परिसर के भीतर एक स्पष्ट आदेश श्रृंखला इन निर्देशों को कार्यान्वन में लाती है: अधीक्षक के पास प्राथमिक प्रबंधकीय उत्तरदायित्व होता है, उप-अधीक्षक दैनिक सुरक्षा व व्यवस्था की निगरानी करते हैं, चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य सेवाओं का निर्देशन करते हैं तथा कल्याण अधिकारी पुनर्वास कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं। पुरुष व महिला मुख्य वार्डर अभिरक्षक कर्मचारियों का प्रबंधन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा कैदियों के कल्याण हेतू उठाये गए क़दमों को समान रूप से लागू किया जाए।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों का लक्ष्य यह आकलन करना है कि क्या:

- योजना व मानव संसाधन प्रबंधन;
- कैदियों के सुधार व पुनर्वास के लिए वित्तीय प्रणाली;

- कैदियों के सुधार और पुनर्वास के लिए की गई पहल; तथा
- निगरानी तंत्र व आंतरिक नियंत्रण

लागू नियमों/प्रावधानों के अनुसार थे।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- कारागार अधिनियम, 1894 व कैदी अधिनियम, 1900;
- आदर्श कारागार नियमावली 2016, भारत सरकार;
- हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली (एचपीएम), 2021;
- कारागारों के प्रबंधन के लिए समय-समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाएं व निर्देश एवं विभागीय नियम तथा विनियम;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व कार्यप्रणाली

हिमाचल प्रदेश के कारागारों में शासन, वित्त तथा कल्याण सेवाओं से संबंधित विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान की गई जो वर्ष 2021-24 की अवधि को समाविष्ट करती है। लेखापरीक्षा के दौरान कारागार महानिदेशक के कार्यालय, कंडा स्थित एक आदर्श केंद्रीय कारागार, तीन जिला कारागार – जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला, जिला कारागार सोलन तथा जिला कारागार चंबा व कल्पा स्थित एक उप-कारागार के अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। इकाइयों का चयन आईडीईए सॉफ़्टवेयर के माध्यम से सरल यादृच्छिक नमूना विधि तथा स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग करके किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में इकाइयों के विभागीय अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी। लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्यों पर चर्चा करने हेतु 10 दिसंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के साथ प्रथम बैठक आयोजित की गई। 18 सितंबर 2025 को आयोजित अंतिम बैठक में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के साथ चर्चा की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को

स्वीकार किया तथा इनके शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन का आश्वासन दिया। सरकार के विचारों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से शामिल किया गया है।

2.1.5 पूर्व विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई

कारागारों में सुधार, पुनर्वास व अन्य सेवाओं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य व आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिच्छेद संख्या 3.5 (अध्याय III) के रूप में भी मुद्रित की गई थी। इस प्रतिवेदन पर अभी तक लोक लेखा समिति (सितम्बर 2025) में चर्चा नहीं की गई है।

2.1.6 सर्वोत्तम प्रथाएं

- कल्पा उप-कारागार, यद्यपि एक लघु क्षमता वाला संस्थान है, ने आधुनिक कारागार नियमावली के अनुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या बनाए रखी है। निर्धारित कार्मिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य कारागारों द्वारा इस अच्छी प्रथा का अनुसरण किया जा सकता है।

- राज्य ने "जेल वार्ता" मंच प्रारम्भ किया है, जो कैदियों को समर्पित वीडियो लिंक के माध्यम से अपने परिवारों से संवाद करने का नियंत्रित तंत्र प्रदान करता है। जिला कारागार, सोलन ने इस सुविधा का उच्चतर उपयोग किया है, जिसका अन्य कारागारों द्वारा भी अनुसरण किया जा सकता है, ताकि कैदियों के लिए पारिवारिक संपर्क सेवाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2 योजना व मानव संसाधन प्रबंधन

2.2.1 आदर्श कारागार नियमावली के प्रावधानों को अपनाया न जाना

भारत सरकार के 2016 के आदर्श कारागार नियमावली के अध्याय XXIX एवं XXXII एक सशक्त निगरानी ढांचे को निर्धारित करते हैं, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज़ करना, सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना तथा कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। इसके लिए तीन सांविधिक निकायों की आवश्यकता है: राज्य सलाहकार बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता कारागार प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है; उच्चाधिकार प्राप्त कारागार विकास बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है; तथा जिला एवं उप-मंडलीय आगंतुक बोर्ड, जिनके

कार्यक्षेत्र में जीवन-यापन की स्थितियों का निरीक्षण करना, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का मूल्यांकन करना और कैदियों की शिकायतें सुनना शामिल है। आदर्श कारागार नियमावली के परिच्छेद 32.01 में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक राज्य, केंद्रीय व राज्य योजनाओं के अंतर्गत कारागारों के समग्र विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए कदम उठाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली का अद्यतन वर्ष 2021 में ही किया गया था, तथापि आदर्श कारागार नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा अनिवार्य बोर्डों का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-24 की अवधि के लिए कारागारों के लिए वार्षिक कार्य योजनाएं या राज्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं।

अंतिम बैठक के दौरान, अतिरिक्त महानिदेशक (कारागार) ने बताया कि हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली 2021 में राज्य सलाहकार बोर्ड व कारागार विकास बोर्ड के प्रावधानों को अपनाया नहीं गया है। हालांकि, आगंतुक बोर्ड का गठन अप्रैल 2025 में किया गया है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इन बोर्डों की आवश्यकता का निर्धारण आदर्श कारागार नियमावली, 2016 में किया गया था, जिसमें कारागार शासन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों का प्रावधान किया गया था जिनका राज्यों द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, इन बोर्डों के आभाव में नीतिगत नियोजन और शिकायत निवारण प्रक्रिया खंडित रही, जिससे विभाग आवश्यक संस्थागत निगरानी से वंचित रह गया।

2.2.2 कर्मचारियों की कमी पुनर्वास प्रयासों को कमजोर करती है तथा सुरक्षा जोखिम बढ़ाती है

प्रभावी कारागार प्रशासन के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित कर्मियों की पर्याप्त संख्या होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश की 14 कारागारों की लेखापरीक्षा समीक्षा में कई प्रमुख संवर्गों में कर्मचारियों की दीर्घकालिक कमी उजागर हुई। मार्च 2024 तक, कुल मिलाकर कर्मचारियों की कमी 25 प्रतिशत थी (**परिशिष्ट 2.1**)।

आदर्श कारागार नियमावली के परिच्छेद 4.02 के अनुसार, प्रत्येक तीन पालियों में से प्रत्येक छह कैदियों के लिए कम से कम एक सुरक्षा अधिकारी तथा प्रत्येक 300 कैदियों पर एक चिकित्सा अधिकारी होना आवश्यक है, परंतु हिमाचल प्रदेश के कारागार इन मानकों के अनुरूप नहीं हैं। 1 अप्रैल 2024 तक, 1,281 [(2560/6)*3 पाली)] की मानक आवश्यकता के सापेक्ष केवल 466 मुख्य वार्डर व वार्डर (433 पुरुष व 33 महिलाएं) ड्यूटी पर थे, इस प्रकार राज्य की 2,560 कैदियों की स्वीकृत क्षमता की निगरानी के लिए मात्र 36 प्रतिशत गार्ड ही उपलब्ध

थे। 602 सुरक्षाकर्मियों (553 पुरुष एवं 49 महिलाएं) की स्वीकृत संख्या अपने आप में कारागार नियमावली के 1,281 के मानक से काफी कम है। इसलिए नियमावली के अनुसार जो आवश्यक है और जो उपलब्ध है, उसके बीच का वास्तविक अंतर और भी अधिक विस्तृत है (**चार्ट 2.1**)।

चार्ट 2.1: नमूना-जांच के लिए चयनित कारागारों में सुरक्षा कर्मचारियों की स्थिति का विवरण

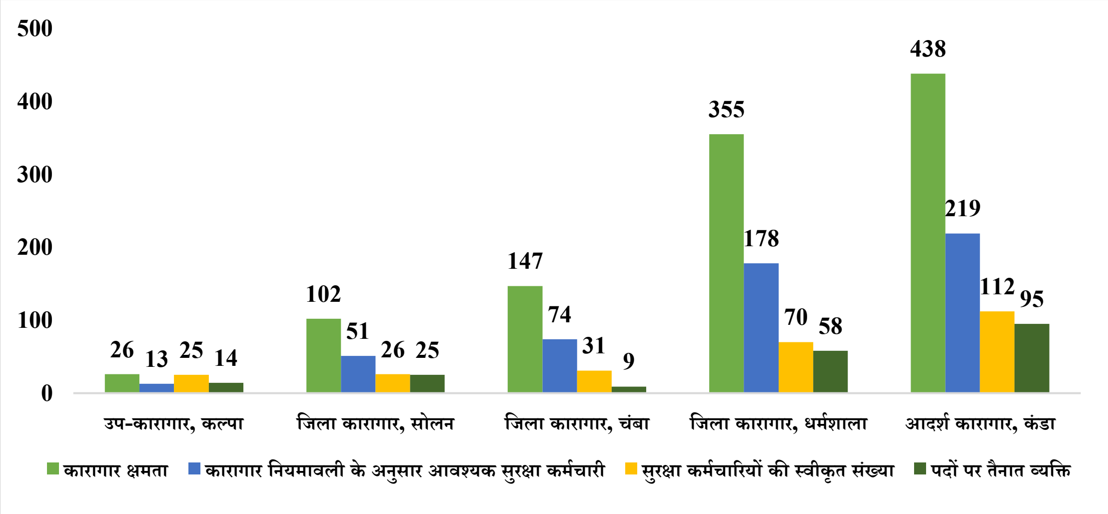

लेखापरीक्षा के क्षेत्रीय दौरे इन कमियों के परिचालन सम्बन्धी प्रभाव की पुष्टि करते हैं। धर्मशाला, चंबा, कंडा तथा सोलन कारागार में, सुरक्षाकर्मियों के स्वीकृत पदों तथा कारागार नियमावली के अनुसार आवश्यक पदों के बीच का अंतर 49 से 61 प्रतिशत (**चार्ट 2.1**) तक है, केवल उप-कारागार कल्पा इसका अपवाद है, जहां नियमावली के मानकों से अधिक सुरक्षा कर्मचारी स्वीकृत किए गए हैं। चार नमूनाकृत कारागार में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कर्मचारियों के बीच का वास्तविक अंतर चार से 71 प्रतिशत तक है, इस कमी के कारण अधीक्षकों (धर्मशाला) को साप्ताहिक अवकाश रद्द करने, महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों को पुनः तैनात करने तथा अस्थायी ड्यूटी पर होमगार्ड के जवानों को नियुक्त करने (चंबा, आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा, मुक्त कारागार, धर्मशाला) के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। केवल उप-कारागार कल्पा में ही कारागार नियमावली के मानकों के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध हैं।

अन्य संवर्गों में भी रिक्तियां बनी हुई हैं, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में विस्तृत है। सहायक अधीक्षकों की अधिक कमी है, जहां 23 में से 13 पद रिक्त हैं और डिस्पेंसर्स[2] के 19 में से 13 पद रिक्त हैं। कारागार उद्योगों के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवसाय भी प्रभावित हुए हैं; नाहन और कंडा के दो कारागार के लिए स्वीकृत बुनाई-प्रशिक्षक के तीन पदों में से दो रिक्त हैं, जिससे वे व्यावसायिक कार्यक्रम कमज़ोर पड़ रहे हैं जो कैदियों के पुनर्वास के लिए अत्यंत

2 एक चिकित्साकर्मी/फार्मासिस्ट जो कैदियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करता है व दवाएं वितरित करता है।

महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक कार्य व शैक्षिक कार्यकलाप काफी हद तक निष्क्रिय बने हुए हैं, क्योंकि केवल चार पद (एक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, एक कनिष्ठ बुनियादी शिक्षक, एक पुरुष समाज सेवक व एक महिला समाज सेवक) स्वीकृत किए गए हैं और वे सभी रिक्त हैं, जिससे कैदी व्यवस्थित निर्देश या परामर्श से वंचित रह गए हैं। शिक्षकों, कल्याण अधिकारियों व कौशल तकनीशियनों का अभाव, कैदियों के पुनर्वास के कार्यक्रमों में बड़ी बाधा है।

यह भी पाया गया कि महानिदेशक (कारागार) ने रिक्त पदों को भरने तथा नियमावली के कार्मिक अनुपात के अनुरूप अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए बार-बार अनुरोध किया था। अधीक्षकों ने भी लंबे समय तक कर्मचारियों की कमी के कारण सुरक्षा और निर्धारित मानकों से समझौता होने को कारण के रूप में व्यक्त करते हुए इसी प्रकार के अनुरोध किए हैं।

अंतिम बैठक में सरकार ने कर्मचारियों की कमी के संकट को स्वीकार किया तथा यह माना कि शिक्षकों व समाज सेवकों की कमी प्रभावी पुनर्वास के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बाधा है। आगे यह भी बताया गया कि कर्मचारियों की कमी को दूर करने के प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

2.3 कल्याणकारी गतिविधियों हेतु निधियां प्राप्त करने के प्रयासों की कमी

वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, कारागार विभाग को कुल ₹ 180.50 करोड़ की बजटीय स्वीकृतियां प्राप्त हुईं तथा ₹ 176.55 करोड़ व्यय किए, जिससे कुल ₹ 3.95 करोड़ की बचत हुई (**तालिका 2.1**)। वार्षिक अल्प-व्यय में कमी केवल शून्य से छह प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही। राजस्व पक्ष में, वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान विभाग के स्वयं के प्राप्ति लक्ष्य ₹ 1.28 करोड़ थे। हालांकि, वास्तविक संग्रह केवल ₹ 0.57 करोड़ तक ही पहुंच सका, जिससे 55 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई।

तालिका 2.1: वर्ष 2021-24 के दौरान बजट अनुमानों के सापेक्ष व्यय व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-)	अनुमानित प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां
2021-22	53.39	50.14	-3.25(6)	0.32	0.15
2022-23	63.20	63.16	-0.04(0)	0.46	0.26
2023-24	63.91	63.25	-0.66(1)	0.50	0.16
योग	**180.50**	**176.55**	**-3.95**	**1.28**	**0.57**

स्रोत: विभागीय आंकड़े। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

वित्तपोषण संरचना लगभग पूरी तरह से नियमित स्थापना खर्चों की ओर केंद्रित थी, जैसे कि वेतन, राशन, दवाएं व अनुरक्षण। यह पाया गया कि विभाग ने समीक्षा अवधि (2021-24) के

दौरान कैदियों के सुधार, पुनर्वास या सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए अलग से निधियों का अनुरोध नहीं किया। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सुधार व पुनर्वास के लिए कोई समर्पित बजट आवंटन प्रदान नहीं किया गया था। इस प्रकार वे कार्यक्रम जो विभाग के पुनर्संयोजन व कौशल विकास के मिशन को आगे बढ़ा सकते थे, बिना वित्तपोषण के ही रह गए।

2.3.1 हिमकारा उन्नयन समिति: सीमित कल्याणकारी व्यय के साथ निधियों का संचय

हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जुलाई 2017 में पंजीकृत, हिमकारा उन्नयन समिति का गठन कारागारों के अंदर आजीविका उद्यम[3] संचालित कर कैदियों के कल्याण के अवसरों को व्यापक करने के लिए किया गया था। समिति की निधियों में दान, सरकार से प्राप्त अनुदान एवं कारागार उद्योगों की आय शामिल है। प्रत्येक कारागार में एक स्थानीय समिति खाता होता है जिसकी सीमा ₹ एक लाख है; कोई भी अधिशेष राशि कारागार मुख्यालय में एक केंद्रीय खाते में स्थानांतरित की जानी चाहिए, जहां कुल प्राप्तियां व व्यय दर्ज किए जाते हैं।

तालिका 2.2: समिति के केंद्रीय बैंक खाते में निधियों की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	अथ शेष	जमा राशि	कुल	व्यय	अंत शेष
2021-22	52.75*	21.84**	74.59	16.02 (73%)	58.57
2022-23	58.57	37.98	96.55	11.98 (32%)	84.57
2023-24	84.57	48.68	133.25	3.89 (8%)	129.36
योग		**108.50**	**--**	**31.89**	**--**

** इसमें ₹ 47.41 लाख की सावधि जमा प्राप्तियां शामिल हैं (सावधि जमा प्राप्तियां वर्ष 2020 में तैयार की गई थीं तथा सितंबर 2021 में भुनाई गई थीं) ** जमा = ₹69.25 - 47.41 (सावधि जमा प्राप्तियां) लाख = 21.84 लाख*

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उस वर्ष की जमा राशि के संबंध में प्रतिशत दर्शाते हैं।

2021-22 से 2023-24 के दौरान समिति ने ₹ 1.62 करोड़ की उपलब्ध निधियों के सापेक्ष केवल ₹ 31.89 लाख व्यय किए, जो उपलब्ध संसाधनों के अकुशल उपयोग को इंगित करता है।

नमूना-जांचित कारागारों[4] की लेखापरीक्षा में उजागर हुआ कि वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है क्योंकि स्थानीय शेष राशि को मुख्यालय में स्थानांतरित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा मौजूद नहीं है, जिससे वर्ष के अंत (मार्च 2024) में कुछ कारागारों में अतिरिक्त नकदी शेष रहती है। इसके अतिरिक्त, आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा (चार खाते) और

---

3 बेकरी, डेयरी, कृषि खेती, मोबाइल कैंटीन, बढ़ईगिरी, बुनाई/सिलाई, मसाला इकाई, सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली इकाई, कैदी कैंटीन, वॉशिंग शॉप मेकिंग इकाई, नर्सरी, लॉन्ड्री आदि।

4 आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा; जिला कारागार, सोलन; जिला एवं मुक्त कारागार, धर्मशाला।

जिला कारागार सोलन (दो खाते) 31 मार्च 2024 तक समिति के नाम पर कई बचत खाते चला रहे हैं, जोकि कारागार मुख्यालय के निर्देशों के विपरीत है जिसके अनुसार प्रत्येक कारागार द्वारा केवल एक ही खाता संचालित किया जाना चाहिए। ये कमियां पारदर्शिता को कम करती हैं तथा कैदी-कल्याण परियोजनाओं के साथ निधियों का मिलान करना अधिक कठिन बना देती हैं।

परिणामस्वरूप, कारागार-उद्योग की आय को कैदी कल्याण में पुनर्निवेश करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया एक कार्यक्रम, विकास गतिविधियों पर सीमित खर्च के साथ भारी शेष राशि के रूप में परिणत होकर रह गया है।

अंतिम बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया कि समिति निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हिमकारा उन्नयन समिति व कैदी कल्याण कोष की बैठकें नियमित रूप से बुलाई जाएंगी।

2.3.2 कैदी कल्याण कोष का उपयोग करने में प्राथमिकता नहीं दी गई

हिमाचल प्रदेश के 'कैदी कल्याण कोष' की स्थापना जून 2007 में की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रत्येक कैदी की मजदूरी का 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसी पहलों में लगाना था जो उनकी जीवन शैली में सुधार करें तथा पुनर्वास को बढ़ावा दें। इस कोष का उपयोग कैदियों के कल्याण, सेवाओं व वस्तुओं के लिए किया जाता है, जिसमें टीवी, किताबें, संगीत व खेल के उपकरण खरीदना तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन आदि शामिल है। कारागार अधीक्षक इन कटौतियों को कारागार मुख्यालय भेजते हैं, जहां उन्हें कोष में जमा किया जाता है तथा कारागार विभाग के प्रमुख की अध्यक्षता वाली एक प्रबंधन समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। समिति के लिए वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना अनिवार्य है तथा इसकी पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता है। साथ ही समिति के समक्ष संचालित की गई कल्याणकारी गतिविधियों और प्रदान की गई सेवाओं पर वर्ष की दूसरी तिमाही में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

चार्ट 2.2: कैदियों के कल्याण कोष से जमा व व्यय का विवरण (₹ लाख में)

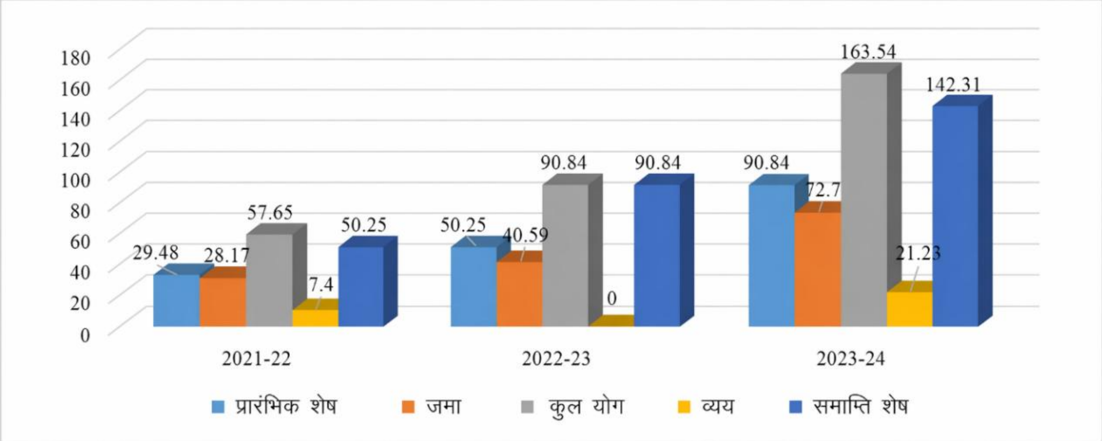

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है, विभाग विभिन्न कारागरों में रसोई, जिम, मनोरंजन व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर होने वाले खर्च की पूर्ति हेतु पूरी अवधि के दौरान केवल ₹ 28.63 लाख ही खर्च कर सका। वर्ष 2022-23 में कोई व्यय नहीं किया गया तथा अन्य दो वर्षों में से प्रत्येक में उपलब्ध संसाधनों[5] का केवल 13 प्रतिशत ही खर्च किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 तक ₹ 1.42 करोड़ का शेष बच गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि प्रबंधन समिति की बैठकें अनिवार्य निर्देशानुसार आयोजित नहीं की गईं। वर्ष 2021-24 के दौरान, आवश्यक छह बैठकों के सापेक्ष केवल दो बैठकें आयोजित की गईं (अप्रैल 2021 व जनवरी 2023)। व्यय की स्वीकृतियां कार्योत्तर थीं, जो यह दर्शाती हैं कि खरीदारी करने से पहले समिति में कोई चर्चा नहीं की गई थी और न ही कोई पूर्व स्वीकृति ली गई थी। साथ ही संचालित की गई कल्याणकारी गतिविधियों पर कोई भी वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई और न ही उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2.3.3 न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन न होना: कैदियों की मजदूरी व बचत में प्रणालीगत कमियां

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली 2021 के अनुसार यह अनिवार्य है कि कैदियों की मजदूरी सरकार की न्यूनतम मजदूरी अधिसूचनाओं के अनुरूप हो, प्रत्येक तीन वर्ष में इसकी समीक्षा की जाए और अनुरक्षण प्रभार काटने के बाद शेष राशि हर माह कैदी के बचत बैंक खाते में जमा की जाए। राज्य ने अकुशल श्रम के लिए अपने न्यूनतम वेतन को संशोधित कर सितंबर 2021 में ₹ 300, मई 2022 में ₹ 350 और जुलाई 2023 में ₹ 375 प्रतिदिन कर दिया।

---

5 वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 57.65 लाख की उपलब्ध राशि में से ₹ 7.40 लाख (13 प्रतिशत) का व्यय व वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 163.54 लाख में से ₹ 21.23 लाख (13 प्रतिशत) का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वास्तव में इन सुरक्षा उपायों को निरंतरता के साथ लागू नहीं किया गया है। आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा ने सफाई कर्मचारियों को पूरे माह की उपस्थिति के बावजूद केवल पंद्रह दिनों का वेतन दिया और नाइयों को प्रति बाल कटाई ₹ दो का भुगतान किया - ये दोनों ही संबंधित न्यूनतम मजदूरी हकदारी से काफी कम थे। इसके अतिरिक्त चयनित[6] किये गए पांच कारागारों में से तीन ने कैदियों को ₹ 10.40 लाख की मजदूरी का भुगतान एक से छह माह के विलंब से किया, क्योंकि मजदूरी के लिए पर्याप्त बजट राशि आवंटित नहीं की गई थी।

हिमकारा उन्नयन समिति के तहत संचालित आजीविका उद्यमों में भी मजदूरी का निर्धारण असंगत था। धर्मशाला, चंबा व सोलन में, कैदियों को उद्यम के सकल लाभ का 30-40 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसमें से 15 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती कैदी कल्याण कोष में विचलन करने के लिए की गई, जबकि सोलन में बेकरी बिक्री में लगे कैदियों को सीधा छह प्रतिशत कमीशन दिया गया। चूंकि प्रत्येक कारागार अपना अलग फ़ॉर्मूला अपनाती है, इसलिए एक जैसा कार्य करने वाले दो कैदी स्पष्ट रूप से अलग-अलग राशि कमा सकते हैं और कई मामलों में यह प्रचलित न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम होती है।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया कि हिमकारा के तहत खरीद प्रक्रिया, भंडार व कैदियों की मजदूरी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार कर लिया गया है और अनुमोदन के अधीन हैं।

2.3.4 कैदियों के संपत्ति खातों से अनुचित आहरण

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली 2021 का परिच्छेद 33.06 (19-2(बी)) यह अनिवार्य करता है कि प्रत्येक कारागार एक कैदी संपत्ति खाता अनुरक्षित करे, जिसमें कैदी की नकदी की हर मद का विवरण दर्ज हो, जिसमें रिहाई के समय प्राप्त धन या अर्थदंड के रूप में सरकार के खाते में जमा की गई राशि भी शामिल है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि नमूना-जांचित कारागारों ने नियमित बजट अपर्याप्त होने पर पुलिस एस्कॉर्ट, बस किराया व चिकित्सा जांच आदि जैसी परिचालन लागत को समाविष्ट करने के लिए इन खातों से नियमित रूप से धन आहरित किया। यद्यपि इन आहरणों की प्रतिपूर्ति निधियां उपलब्ध होने पर की जानी थी, परंतु 2021-24 के दौरान कैदी संपत्ति खाते से आहरित की गई कुल ₹ 65.89 लाख की राशि में से,

6 जिला कारागार, सोलन: ₹ 3,97,875/- (एक से छह माह का विलंब); जिला कारागार, धर्मशाला: ₹ 2,17,050/- (दो से चार माह का विलंब); जिला कारागार, चंबा: ₹ 4,24,950/- (दो से पांच माह का विलंब)।
कारागार कंडा व उप-कारागार कल्पा में नमूना-जांच के दौरान मजदूरी के भुगतान में कोई विलंब नहीं देखा गया।

मार्च 2024 के अंत तक ₹ 6.56 लाख बकाया[7] रहे। कैदियों की निजी निधियों का उपयोग अस्थायी नकदी कोष के रूप में करना कारागार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है, यह कैदियों की संपत्ति को जोखिम में डालता है तथा कारागार प्रणाली के भीतर बजट योजना व नकदी प्रबंधन की व्यापक कमजोरियों को उजागर करता है।

अंतिम बैठक में सरकार ने आश्वासन दिया कि ऐसे निर्देश जारी किए जाएंगे कि अत्यंत आवश्यकता के मामलों को छोड़कर कैदियों के संपत्ति खातों से निधियों का आहरण न किया जाए।

2.4 सुधार एवं पुनर्वास सुविधाएं

2.4.1 सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली में बुनियादी ढांचा मानक

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली का अध्याय-II किसी भी कारागार के लिए एक आधारभूत मानक स्थापित करता है ताकि कारावास को केवल कैद न मानकर सामाजिक पुनर्एकीकरण की दिशा में प्रथम कदम के रूप में देखा जाए। नियमावली यह निर्दिष्ट करती है कि आवास, स्वच्छता, सफाई, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि दैनिक जीवन की स्थितियां मानवीय गरिमा के अनुकूल बनी रहें। अतिसंवेदनशील समूहों की सुरक्षा के लिए नियमावली यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक राज्य को कम से कम एक विशिष्ट महिला कारागार संचालित करना चाहिए, ताकि महिलाओं को शोषण से बचाया जा सके तथा उन्हें उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य देखभाल, व्यावसायिक प्रशिक्षण व परामर्श प्रदान किया जा सके।

2.4.1 (क) बुनियादी ढांचे का अभाव: हिमाचल प्रदेश के कारागारों में स्वागत केंद्र व महिला सुविधाओं का अभाव

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली स्पष्ट रूप से प्रत्येक राज्य में कम से कम एक (वांछनीय) अलग महिला कारागार बनाने की मांग करता है। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में एक भी अलग महिला कारागार मौजूद नहीं था, जबकि विगत तीन वर्षों (2021-24) के दौरान महिला कैदियों की संख्या 100 से 118 के बीच रही। फरवरी 2024 में विभाग ने जिला कारागार, मंडी को महिलाओं के लिए एक संयुक्त जिला-एवं-मुक्त-कारागार में बदलने का प्रस्ताव दिया था, परंतु यह योजना अभी भी (मार्च 2025 तक) सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा में है।

[7] आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा ₹ 4,57,878/-; जिला कारागार, सोलन: ₹ 1,81,380/-; धर्मशाला: ₹ 17,085/-

स्वागत केंद्रों का अभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण था। नियमावली में ऐसी समर्पित इकाइयों की अपेक्षा की गई है जहां नए आने वाले कैदियों की क्वारंटीन, स्वास्थ्य जांच व अभिविन्यास प्रक्रिया पूर्ण की जा सके तथा यह दोनों लिंगों के युवा अपराधियों के लिए विशिष्ट स्वागत केंद्र व किशोर/युवा सदनों को अनिवार्य बनाता है। हालांकि नमूना-जांचित कारागारों में नए कैदियों को सामान्य बैरकों में ही रखा जाता है क्योंकि वहां कोई स्वागत भवन मौजूद नहीं है। अधिकारियों ने इसके कारणों में स्थान की कमी (धर्मशाला व कल्पा), 2021 से पूर्व के पुराने कारावास वास्तुकला (कंडा) व बजटीय निर्देशों का अभाव (चंबा) बताया है। इसका व्यावहारिक परिणाम एक समान ही है: पहली बार अपराध करने वाले या युवा अपराधियों को आदतन/पुराने कैदियों के साथ मिला दिया जाता है, जिससे विलंब से होने वाले वर्गीकरण[8] के कारण डराने-धमकाने व संघर्ष का जोखिम बढ़ जाता है। जबकि कुछ न्यायालय किशोरों को शिमला के सम्प्रेक्षण गृह में स्थानांतरित करते हैं, युवा महिलाओं के लिए कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं है, न ही उन वयस्कों के लिए जिन्हें प्रारंभिक पृथक्करण की आवश्यकता होती है।

अधीक्षकों (कंडा, धर्मशाला, चम्बा, सोलन व कल्पा) ने इन कमियों को स्वीकार किया (नवंबर 2024-मार्च 2025) तथा अधीक्षक धर्मशाला ने आगे बताया कि जिला कांगड़ा में अतिरिक्त कारागार के निर्माण हेतू प्रयास किए जा रहे हैं जिसे आवश्यक बुनियादी अवसंरचना को शामिल करते हुए डिज़ाइन किया जा सकता है।

2.4.1 (ख) हिमाचल प्रदेश के कारागारों में क्षमता में कमी व भीड़भाड़

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली, आवास के न्यूनतम मानक निर्धारित करती है और संख्या के क्षमता से अधिक होने पर आपातकालीन स्थानांतरण का निर्देश देती है। अत्यधिक भीड़ स्वच्छता, वेंटिलेशन व जल प्रणालियों पर दबाव डालती है, पहले से ही कमी का सामना कर रहे सुरक्षा कर्मियों के कार्य में बाधा डालती है तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा देती है। राज्य के 14 कारागार निरंतर तीन वर्षों से उन सीमाओं (**तालिका 2.3**) से ऊपर संचालित हो रहे हैं।

---

[8] प्रभावी निगरानी, सुरक्षित अभिरक्षा एवं भागने से रोकने हेतु सुरक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए कई श्रेणियों में।

तालिका 2.3: कारागारों में कैदियों की क्षमता व कैदियों की संख्या

वर्ष	कारागारों की संख्या	क्षमता			कैदियों की संख्या (वर्ष के अंत में)			क्षमता से अधिक (+) या कम (-) कैदियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
2021-22	14	2,290	147	2,437	2,877	118	2,995	587 (26)	(-)29 (20)	558 (23)
2022-23	14	2,365	195	2,560	2,790	111	2,901	425 (18)	(-)84 (43)	341(13)
2023-24	14	2,350	210	2,560	2,821	100	2,921	471 (20)	(-)110 (52)	361 (14)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

वर्ष 2021-22 में 2,437 कैदियों की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष कारागार में 2,995 कैदियों को रखा गया, जो क्षमता से 23 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2022-23 में यह अंतर कम हुआ परंतु फिर भी 13 प्रतिशत (2,560 की क्षमता वाली जगह में 2,901 कैदी) के साथ काफी अधिक रहा तथा 2023-24 में उस क्षमता के सापेक्ष 2,921 कैदियों के साथ यह 14 प्रतिशत रहा। पुरुष बैरकों में 18 से 26 प्रतिशत के बीच क्षमता से अधिक संख्या रही। उप-कारागार कल्पा में अतिरिक्त पुरुष कैदियों को महिला क्वार्टरों में भी रखा गया क्योंकि वहां कोई भी महिला कैदी नहीं थी। विभाग ने कैदियों की संख्या के अनुरूप क्षमता का विस्तार नहीं किया तथा मुख्यालय की दैनिक क्राउडिंग रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए केवल तदर्थ स्थानान्तरण ही किए।

महानिदेशक ने कमी को स्वीकार किया (जनवरी 2025) तथा उल्लेख किया कि कल्पा व नालागढ़ में दो नए कारागारों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं, जबकि मंडी व कुल्लू में बड़े कारागार परिसरों का निर्माण कार्य चल रहा है। अंतिम बैठक में सरकार ने इन कमियों को स्वीकार किया तथा बताया कि मंडी व कुल्लू में नए महिला कारागारों के प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

2.4.2 कारागार स्वास्थ्य सेवाएं: बुनियादी ढांचे का अभाव

आदर्श कारागार नियमावली के अनुसार प्रत्येक कैदी की मासिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है, यह संक्रामक मामलों को अलग रखने का निर्देश देती है तथा बुजुर्गों एवं मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले कैदियों पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य करती है। इन कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली दोनों केंद्रीय कारागारों (नाहन व कंडा) तथा दो जिला केन्द्रों (बिलासपुर मुक्त कारागार व धर्मशाला) में एम्बुलेंस के साथ दस बिस्तरों वाले अस्पतालों का प्रावधान करती है। अन्य सभी कारागारों में एक प्रतिनियुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सुबह का दौरा किया जाना अनिवार्य है।

आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा व जिला कारागार धर्मशाला की जांच से उजागर हुआ है कि इन मानकों को काफी हद तक पूर्ण नहीं किया गया है। कंडा में एक अस्पताल की भवन तथा एक एम्बुलेंस है परंतु कोई क्रियाशील बिस्तर नहीं है, जबकि धर्मशाला में अस्पताल के लिए जगह व एम्बुलेंस दोनों नहीं है। पूरे राज्य में, स्वीकृत डिस्पेंसर के पदों में से 68 प्रतिशत पद रिक्त हैं (**परिशिष्ट 2.1**), जिसके कारण नियमित देखभाल के लिए कर्मचारियों की कमी बनी हुई है और परिणामस्वरूप कैदियों को बार-बार बाहरी अस्पतालों में भेजना पड़ता है।

कंडा, धर्मशाला एवं सोलन के रेफरल डेटा (**तालिका 2.4**) से उजागर हुआ है कि अस्पताल रेफरल के मामले में कई कमियां रही हैं। वर्ष 2021 व 2024 के बीच इन तीनों कारागारों ने बाहरी उपचार के लिए 16,723 अनुरोध किए। हालांकि केवल 9,992 कैदियों को ही अस्पताल भेजा जा सका।

तालिका 2.4: तीन नमूना-जांचित कारागारों में बाहरी अस्पताल में रेफरल व अस्वीकृत मामले

क्र. सं.	अवधि	कुल चिकित्सा रेफरल	अस्पताल भेजे गए कैदियों की संख्या	कैदियों को अस्पताल नहीं भेजा गया (प्रतिशत)
1	2021	2,183	1,635	548 (25)
2	2022	4,860	2,236	2,624 (54)
3	2023	5,229	3,055	2,174 (42)
4	2024	4,451	3,066	1,385 (31)
योग		**16,723**	**9,992**	**6,731 (40)**

शेष 6,731 मामले (40 प्रतिशत) इसलिए संसाधित नहीं किए जा सके क्योंकि पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध नहीं थे, जो कि कर्मचारियों की निरंतर कमी का प्रत्यक्ष परिणाम है।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक (कारागार) ने बताया कि डिस्पेंसर्स की कमी एक गंभीर मुद्दा है तथा इसे सरकार के समक्ष रखा जाएगा।

2.4.2 (क) चिकित्सा पेशेवरों की कमी तथा अनुपयोगी उपकरण

पांच नमूना-जांचित कारागारों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह सामने आया कि बुनियादी चिकित्सीय क्षमता, कम कर्मचारियों वाली तथा खंडित पद-व्यवस्थाओं, तदर्थ भूमिकाओं[9] तथा चिकित्सकों के अनियमित दौरों पर निर्भर थी। केवल आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा तथा जिला कारागार, धर्मशाला में ही एक चिकित्सा अधिकारी तैनात है; शेष तीन कारागार प्रिस्क्रिप्शन दवाएं वितरित करने के लिए फ़ार्मासिस्टों, डिस्पेंसरों या "मेडिक" के रूप में प्रशिक्षित वार्डरों पर निर्भर हैं, साथ ही इस बात का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि सरकारी अस्पतालों

9 अनाधिकारिक चिकित्सा कर्तव्यों का पालन करने वाला कर्मचारी।

से प्रतिनियुक्त डॉक्टर किसी निश्चित समय-सारिणी के अनुसार वहां दौरा करते हों। स्वीकृत फ़ार्मासिस्ट-सह-डिस्पेंसर के आठ पदों में से केवल तीन ही भरे गए हैं (**तालिका 2.5** में विवर्णित) तथा प्रयोगशाला तकनीशियन के कोई पद स्वीकृत ही नहीं हैं, जिसके कारण वार्डरों को प्रयोगशाला सहायक के दायित्व निभाने पड़ रहे हैं।

तालिका 2.5: नमूना-जांचित कारागारों में चिकित्सा कार्मिकों की उपलब्धता की स्थिति (2023-24)

कारागार का नाम	चिकित्सा अधिकारी		फार्मासिस्ट/डिस्पेंसर	
	स्वीकृत	कार्यरत	स्वीकृत	कार्यरत
आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा	01	01	02	01
जिला कारागार, धर्मशाला	01	01	02	01
जिला कारागार, चंबा*	0	0	02	00
जिला कारागार, सोलन	0	0	01	01
उप-कारागार, कल्पा*	0	0	01	00
योग	**02**	**02**	**08**	**03**

** जिला कारागार, चंबा व उप-कारागार, कल्पा में अर्धचिकित्सक के रूप में प्रशिक्षित एक वार्डर दवाओं के वितरण का कार्य संभाल रहा था।*

यह भी देखा गया कि आवश्यक उपकरण, जिनमें दंत चिकित्सा कुर्सियां, निदान उपकरण तथा सहायक चिकित्सीय उपकरण[10] शामिल हैं, योग्य संचालकों की अनुपलब्धता के कारण निष्क्रिय रहे। जबकि समर्पित एम्बुलेंस व एस्कॉर्ट स्टाफ़ के अभाव ने नियमित अस्पताल स्थानांतरण को सीमित कर दिया।

महानिदेशक कारागार ने इन कमियों को स्वीकार किया और बताया (मार्च 2025) कि अस्पताल की इमारतों, वाहनों व अतिरिक्त कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है। अंतिम बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक कारागार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से कारागारों में सप्ताह में दो बार चिकित्सकों को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त टेलीमेडिसिन व साझा एस्कॉर्ट व्यवस्था की संभावनाओं को तलाशने का आश्वासन दिया गया ताकि रेफरल की कमियों को कम किया जा सके।

---

10 **केंद्रीय कारागार, कंडा**: हेमेटोलॉजी एनालाइज़र, सेंट्रीफ्यूज, इन्क्यूबेटर, बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र तथा दंत चिकित्सा कुर्सी उपलब्ध हैं, जिनसे डब्ल्यूबीसी काउंट, एसजीपीटी/एएलटी, किडनी/रीनल फ़ंक्शन जांच, लिपिड प्रोफ़ाइल तथा लिवर फ़ंक्शन जांच जैसी विभिन्न चिकित्सीय जांच की जा सकती हैं; **जिला कारागार, धर्मशाला**: ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ईसीजी मशीन, नेबुलाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर तथा बीपी उपकरण; **जिला कारागार, चंबा**: सेंट्रीफ्यूज मशीन, यूपीएस इंटेक्स, इन्क्यूबेशन चैंबर, सेमी ऑटो एनालाइज़र, 3-पार्ट डिफ़रेंशियल हेमेटोलॉजी एनालाइज़र; **जिला कारागार, सोलन**: सेमी-ऑटोमेटेड एनालाइज़र एवं 3-पार्ट डिफ़रेंशियल हेमेटोलॉजी एनालाइज़र।

2.4.3 कैदियों द्वारा शिक्षा जारी न रखना

कारागार नियमावली शिक्षा को सुधार के आधारस्तंभ के रूप में मान्यता देता है जिसके लिए प्रत्येक कारागार में कक्षाओं, पुस्तकालयों व प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रावधान आवश्यक है, ताकि निरक्षर व अर्ध-शिक्षित कैदी अपनी शिक्षा पूर्ण कर सकें तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कैदी रिहाई के बाद उनकी शिक्षा को निर्बाध रूप से जारी रख सकें। आधिकारिक डेटा (**तालिका 2.6**) दर्शाता हैं कि 2021-24 के दौरान लगभग एक चौथाई कैदी या तो निरक्षर थे या प्राथमिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ चुके थे, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक कैदी मिडिल या हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाए। दूसरे शब्दों में पांच में से चार से अधिक कैदी उस व्यवस्थित शिक्षा का सीधा लाभ ले सकते थे, जिसकी परिकल्पना कारागार नियमावली में की गई है।

तालिका 2.6: हिमाचल प्रदेश के कारागारों में कैदियों की शैक्षिक रुपरेखा (2021-24)

शैक्षिक योग्यता	2021-22	2022-23	2023-24
	कैदियों की संख्या		
निरक्षर	313 *(9.2)*	362 *(9.3)*	377 *(9.0)*
प्राथमिक	661 *(19.4)*	770 *(19.8)*	773 *(18.4)*
माध्यमिक	742 *(21.8)*	803 *(20.6)*	827 *(19.7)*
उच्चतर माध्यमिक + मैट्रिक	1,302 *(38.2)*	1,466 *(37.6)*	1,640 *(39.1)*
स्नातक	245 *(7.2)*	355 *(9.1)*	379 *(9.0)*
स्नातकोत्तर	58 *(1.7)*	56 *(1.4)*	114 *(2.7)*
अन्य	84 *(2.5)*	85 *(2.2)*	80 *(1.9)*
योग	**3,405**	**3,897**	**4,190**

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

पांच कारागारों में से किसी में भी एक भी प्रशिक्षित स्नातक या जूनियर बेसिक शिक्षक नियुक्त नहीं था तथा किसी भी स्तर पर नियमित कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं। शैक्षणिक सुविधाओं के नाम पर केवल आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा व जिला कारागार, चंबा में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र ही थे। आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा में वर्ष 2023 में सिर्फ़ 12 कैदियों ने डिग्री के लिए नामांकन कराया, जबकि जिला कारागार, चंबा में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी कैदी ने अपना शिक्षा स्तर बढ़ाने में रुचि नहीं दिखाई। धर्मशाला में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के साथ हुए लिंक अप के तहत उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए केवल एक ही उम्मीदवार ने पंजीकरण कराया। जेल अधीक्षकों ने इसके पीछे शिक्षण के स्वीकृत पदों की कमी तथा कुछ मामलों में (धर्मशाला, सोलन व चंबा) कैदियों की स्पष्ट अरुचि का हवाला दिया। निदेशालय ने बताया कि उसने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और जूनियर बेसिक शिक्षक पदों की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के समक्ष बार-बार मामला उठाया है, परंतु प्रस्ताव अभी भी लंबित हैं।

इसका परिणाम एक दुष्चक्र के रूप में सामने आता है: बिना शिक्षकों या कक्षाओं के कैदियों को अध्ययन करने की बहुत कम प्रेरणा मिलती है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अभाव से पुनर्वास प्रयासों में एक गंभीर कमी उत्पन्न होती है, जिससे रिहाई के बाद स्थायी रोजगार व वैध आजीविका की संभावनाएं कमजोर हो जाती हैं तथा सुधारात्मक प्रणाली के मूल उद्देश्य को भी क्षति पहूंचती है।

2.4.4 डिजिटल सेतु: परिवार से सम्पर्क हेतु जेल वार्ता

जेल वार्ता मंच कैदियों को अपने पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए एक विनियमित माध्यम प्रदान करता है: परिजन ऑनलाइन अनुरोध करते हैं तथा स्वीकृति मिलने के बाद एक विशेष वीडियो लिंक के माध्यम से कैदी से बात कर सकते हैं। कारागार नियमावली की "उचित संपर्क" उपलब्ध कराने की आवश्यकता को कारागार के परिसर के भीतर ही पूरा करके जेल वार्ता पहल, कैदियों व उनके परिवारों के मानसिक तनाव को कम करती है तथा व्यक्तिगत भेट के लॉजिस्टिक बोझ को कम करती है, जो एक अधिक मानवीय व तकनीक-सक्षम सुधारात्मक प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

2.4.4 (क) जेल वार्ता: हिमाचल प्रदेश के कारागारों में मंच का असमान उपयोग

राज्य का जेल वार्ता मंच, जिसे कैदियों को सुरक्षित वीडियो लिंक के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है, जिला कारागार, सोलन को छोड़कर अन्यत्र केवल कभी-कभार ही उपयोग में लाया गया है। तीन वर्षीय समीक्षा अवधि के दौरान, कैदियों ने इस सेवा का उपयोग धर्मशाला में मात्र 57 बार, चंबा में 37 बार तथा आदर्श केंद्रीय कारागार, कंडा में 96 बार किया। उप-कारागार कल्पा में इसका उपयोग बिल्कुल शून्य दर्ज किया गया क्योंकि अप्रैल 2021 में सुविधा प्रारम्भ होने के समय खरीदी गई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग किट अभी तक स्थापित नहीं की गई है। सोलन एकमात्र अपवाद है, जहां 1,957 कॉल दर्ज की गईं क्योंकि कैदियों ने बार-बार इस सेवा का उपयोग किया।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा अभी शुरुआती चरणों में है व इसका उपयोग सीमित है।

2.4.4 (ख) हिमाचल प्रदेश कारागारों में रिहाई के पश्चात् पुनर्वास का अभाव

हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली 2021, बाद की देखभाल को संस्थागत उपचार का एक निरंतर विस्तार मानता है तथा राज्य को यह दायित्व देता है कि वह रिहा किए गए कैदियों के लिए बाद की देखभाल व पुनर्वास समिति बनाए तथा रिहाई के बाद रोजगार, आवास, स्वास्थ्य व कानूनी सहायता में समर्थन के लिए वित्तीय प्रावधान करे।

यह पाया गया कि वर्ष 2021-22 व 2023-24 के बीच, न तो कारागार मुख्यालय ने और न ही समीक्षा किए गए पांचों कारागारों में से किसी ने, इन उद्देश्यों के लिए समर्पित बजट का अनुरोध किया और न ही उन्हें ऐसा कोई बजट प्राप्त हुआ। उक्त अवधि के दौरान 494 दोषसिद्ध कैदियों ने अपनी सजा पूरी की, जिनमें आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा से 154, जिला एवं मुक्त कारागार धर्मशाला से 162, जिला कारागार चंबा से 127, जिला कारागार सोलन से 42 तथा उप-कारागार कल्पा से नौ कैदी शामिल थे, परंतु उनके पुनर्वास की योजना बनाने या गैर-सरकारी संगठनों, स्थानीय उद्योगों या समाज-कल्याण एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कोई भी समिति अस्तित्व में नहीं थी।

यद्यपि परिवार के संपर्क विवरण ई-प्रिजन्स मंच पर संग्रहित थे, परंतु इन फाइलों में प्रत्येक कैदी के कौशल, स्वास्थ्य या पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही कोई केस स्टडी या अनुवर्ती रिपोर्ट संकलित की गई थी। रिहा किए गए कैदियों को न तो व्यावसायिक नियुक्तियां मिलीं और न ही अस्थायी आवास की सुविधा और न ही उन्हें कानूनी सहायता सेवाओं से जोड़ा गया। अधीक्षकों ने पुष्टि की (नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान) कि कारागारों के परिसर के भीतर दिए जाने वाले व्यावसायिक कार्यों के अतिरिक्त, रिहा होने के बाद पूर्व अपराधियों की सहायता के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है।

2.5 हिमाचल प्रदेश के कारागारों में आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने की आवश्यकता

जैसा कि **परिच्छेद 2.2.1** में उल्लेख किया गया है, हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली व संबंधित नियमों द्वारा प्रस्तावित आंतरिक-नियंत्रण ढांचा 2021 से निष्क्रिय रहा है। शीर्ष स्तर पर, राज्य सलाहकार बोर्ड, कारागार विकास बोर्ड व जिला-स्तरीय आगंतुक बोर्ड – ऐसे निकाय जो नीतियां बनाने, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण व कैदियों की शिकायतों को सुनने के लिए गठित हैं – का गठन ही नहीं किया गया था। इनके अभाव ने कारागार प्रणाली के रणनीतिक मार्गदर्शन व बाहरी संवीक्षा के लिए औपचारिक माध्यमों तक पहुंच को सीमित कर दिया।

इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं अस्तित्व में थीं, उनके भीतर भी नियमित निगरानी कमजोर पाई गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- हिमकारा उन्नयन समिति – वह संस्था जो कारागारों के भीतर आय-सृजन करने वाली गतिविधियों का प्रबंधन करती थी – में भी इसी तरह का पैटर्न देखा गया। इसकी शासन परिषद की बैठक त्रैमासिक और इसकी साधारण सभा की बैठक वार्षिक होनी चाहिए; परंतु 2021 व 2024 के बीच परिषद की केवल दो बार बैठक हुई और साधारण सभा की एक भी बैठक नहीं हुई। आरंभ के सात वर्ष के बाद भी परिषद की अवधि की

औपचारिक रूप से समीक्षा या नवीनीकरण नहीं किया गया था, जिससे इसके अधिकार क्षेत्र व जवाबदेही को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुईं।

- कैदी कल्याण प्रबंधन समिति, जो कैदी कल्याण कोष से वित्तपोषित पहलों की जांच के लिए जिम्मेदार है, तीन वर्षों में निर्धारित छह बार के बजाय केवल दो बार मिली। अतः कैदियों के लाभ के लिए की गई खरीदारियों को पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकृति दी गई तथा जनवरी 2023 के बाद हुए खर्च को अभी भी समिति की अनुमति का इंतज़ार है। इस अवधि के लिए कल्याणकारी गतिविधियों पर कोई वार्षिक रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, जिससे इसके प्रभाव का आकलन करना या प्राथमिकताओं को तय करना कठिन हो गया।

- विभाग के भीतर आंतरिक नियंत्रणों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। नियमावली में निर्देश दिया गया था कि कारागार उद्योगों के लेखो, जैसे बेकरी व डेयरी से लेकर सिलाई एवं मसाला उत्पादन तक, की वार्षिक रूप से सरकारी लेखापरीक्षकों (स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग) द्वारा लेखापरीक्षा की जाए। फिर भी 2021-24 के दौरान चंबा, सोलन या धर्मशाला में किसी भी उद्योग की कोई लेखापरीक्षा नहीं हुई और आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा की अधिकांश इकाइयों की भी अप्रैल 2022 से अब तक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

- प्रत्येक केंद्रीय, जिला व उप-कारागार में वर्ष में दो औपचारिक निरीक्षण किए जाने थे, जिनके बाद लिखित निर्देश तथा अनुपालन का दस्तावेजीकरण किया जाना था। 2021 से 2024 के दौरान ऐसी कोई औपचारिक निरीक्षण की प्रक्रिया नहीं हुई। वरिष्ठ अधिकारियों ने अनौपचारिक दौरे अवश्य किए, परंतु निरीक्षण से संबंधित टिप्पणियां शायद ही कभी कारागार अधीक्षकों को भेजी गईं; कंडा में 31 में से केवल चार तथा सोलन में 13 में से सिर्फ एक ही दौरा रिपोर्ट अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कारागार भेजी गई। अन्य तीन नमूना-जांचित कारागारों में अनौपचारिक निरीक्षणों की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। लिखित निष्कर्षों या अनुपालन की निगरानी के बिना ऐसे अनौपचारिक निरीक्षणों से केवल सीमित निगरानी ही सुनिश्चित हो पाई।

ये कमियाँ कारागार विभाग में व्यवस्थित फीडबैक प्रणाली और सुधारात्मक व्यवस्था के अभाव को दर्शाती हैं।

अंतिम बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक (कारागार) ने बताया कि भविष्य में औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह के निरीक्षणों को मजबूत किया जाएगा, इसके अतिरिक्त उप महानिरीक्षक कारागार, सहायक महानिरीक्षक कारागार तथा नाहन, कंडा व धर्मशाला के कारागार

अधीक्षकों के लिए निरीक्षण कार्यक्रम अब जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे यह भी बताया कि अब अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और लेखापरीक्षा कराने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

2.6 निष्कर्ष

राज्य सलाहकार बोर्ड, कारागार विकास बोर्ड और आगंतुक बोर्ड जैसे प्रमुख निरीक्षण निकायों के गठन को हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप संरचित नीति निर्देश, शिकायत निवारण व बाहरी निगरानी का अभाव रहा। संस्थागत स्तर पर कर्मचारियों की संख्या गंभीर रूप से कम पाई गई, क्योंकि कारागार नियमावली के अनुसार आवश्यक वार्डरों में से केवल एक-तिहाई एवं डिस्पेंसर्स में से भी केवल एक-तिहाई ही पद पर तैनात थे, इसके कारण अधीक्षकों को कर्मचारियों के अवकाश के दिन रद्द करने, कर्मियों को पुनः तैनात करने व होमगार्डों की तदर्थ सहायता पर निर्भर रहने के लिए विवश होना पड़ा। यह पाया गया कि चयनित कारागारों में से किसी ने भी न तो प्रशिक्षित स्नातक/ जूनियर बेसिक शिक्षकों को नियुक्त किया था और न ही कैदियों की शैक्षिक योग्यता में सुधार के लिए नियमित कक्षाएं आयोजित की थीं।

यद्यपि विभाग के कुल बजट में वृद्धि हुई थी, परंतु इसने सुधार या आधुनिकीकरण के लिए कभी भी समर्पित आवंटन की मांग नहीं की। हिमकारा उन्नयन समिति व कैदी कल्याण कोष के पास उपलब्ध चिह्नित कल्याणकारी संसाधन काफी हद तक अप्रयुक्त रहे।

बाहरी उपचार के लिए भेजे गए चालीस प्रतिशत कैदी अस्पताल नहीं पहुँच सके क्योंकि एस्कॉर्ट कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे और मानकों के विपरीत दो कारागारों (आदर्श कारागार कंडा व जिला कारागार धर्मशाला) में कोई भी क्रियाशील अस्पताल बेड नहीं थे। पुरुष वार्डों में अधिक भीड़ की समस्या बनी रही तथा युवा पुरुषों व महिलाओं के लिए स्वागत केंद्र/विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। समीक्षा अवधि के दौरान रिहा किए गए कैदियों की सहायता के लिए रिहाई के बाद की देखभाल के लिए कोई संरचित तंत्र मौजूद नहीं था, जिससे कैदियों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम कम हो गए।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी अपर्याप्त थे, क्योंकि प्रबंधन समितियां अनियमित रूप से ही बैठक करती थीं, कारागार उद्योगों के अधिकांश भाग की लेखापरीक्षा नहीं की गई तथा 2021 से 2024 के बीच किसी भी कारागार में अनिवार्य अर्द्धवार्षिक निरीक्षण नहीं हुआ।

2.7 अनुशंसाएं

राज्य सरकार:

- *राज्य सलाहकार बोर्ड व कारागार विकास बोर्ड के गठन के संबंध में भारत सरकार के आदर्श कारागार नियमावली 2016 के प्रावधानों को अपनाये व कार्यान्वित करें;*

- *कार्मिकों की कमी के मुद्दे विशेष रूप से सुरक्षा व चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर हल करें; और*

- *टेली-परामर्श व साझा-एस्कॉर्ट सुविधाओं के उपयोग की संभावनाओं को तलाशें, ताकि कैदियों को व्यक्तिगत रूप से अस्पताल ले जाने की आवश्यकता कम हो तथा मार्ग में होने वाले सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके।*

अध्याय-III

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अन्तर्गत कार्यों की योजना एवं निष्पादन

अध्याय III: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अन्तर्गत कार्यों की योजना एवं निष्पादन

ग्रामीण विकास विभाग

3.1 परिचय

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिनियमित किया (सितंबर 2005), जिसे बाद में (अक्टूबर 2009) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में नामित कर दिया गया। मनरेगा राज्य के किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों। हिमाचल प्रदेश सरकार ने (19 अप्रैल 2018) इस रोजगार स्कीम के अंतर्गत रोजगार के दिनों की संख्या को राज्यांश से वहन करते हुए 2018-19 से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया।

मनरेगा का कार्यान्वयन पांच गतिविधियों में किया जाता है, जैसे पंजीकरण, कार्यों हेतु योजना-निर्माण, कार्यों का निष्पादन, मजदूरी का भुगतान तथा पारदर्शिता व जवाबदेही। इनमें से **चित्र 1** में दर्शाई गई चार गतिविधियों की लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई तथा उनसे संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किए गए हैं।

चित्र 1: मनरेगा के अंतर्गत गतिविधियों का अवलोकन

3.1.1 फंडिग पैटर्न एवं निधियों का उपयोग

मनरेगा के लिए केंद्र व राज्य के मध्य निधियां साझा करने का पैटर्न **तालिका 3.1** में दिया गया है।

तालिका 3.1: मनरेगा के लिए निधियां साझा करने का पैटर्न

घटक	केंद्रांश	राज्यांश
अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी	100 दिनों के नियोजन तक 100 प्रतिशत	अतिरिक्त 20 दिनों के नियोजन के लिए मजदूरी
कुशल व अर्ध-कुशल श्रम के लिए मजदूरी और सामग्री की लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
अन्य घटक	प्रशासनिक व्यय (कुल व्यय के छः प्रतिशत तक)	बेरोजगारी भत्ता एवं भुगतान में विलम्ब हेतु मुआवजा
रोजगार गारंटी परिषद	केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय	राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्यय

स्रोत: मनरेगा अधिनियम, 2005

वर्ष 2019-24 के दौरान जारी की गई निधियां एवं हुए व्यय **तालिका 3.2** में दिए गए हैं।

तालिका 3.2: 2019-24 के दौरान मनरेगा के तहत जारी निधियां एवं उनका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	श्रम बजट में अनुमोदित व्यक्ति-दिवस (लाख में)	अथ शेष	भारत सरकार/राज्य द्वारा जारी निधियां	विविध प्राप्तियां	उपलब्ध कुल निधियां	कुल व्यय	अंत शेष
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8 = 6-7
2019-20	283	0.97	705.88	0.80	707.65	707.04	0.61
2020-21	330	0.61	988.75	1.38	990.74	988.87	1.87
2021-22	343	1.87	1,117.19	2.94	1,122.00	1,093.13	28.87
2022-23	315	28.87	1,287.80	3.53	1,320.20	1,293.63	26.57
2023-24	350	26.57	1,274.11	2.40	1,303.08	1,284.75	18.33
योग	**1,621**	**--**	**5,373.73**	**11.05**	**--**	**5,367.42**	**--**

स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए मनरेगा के वार्षिक लेखाओं से संकलित आंकड़े।

3.1.2 विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

मनरेगा के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न हितधारकों, अर्थात ग्राम पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी (खंड स्तर) तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला स्तर) की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां **चित्र 2** में दर्शाई गई हैं।

चित्र 2: मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां

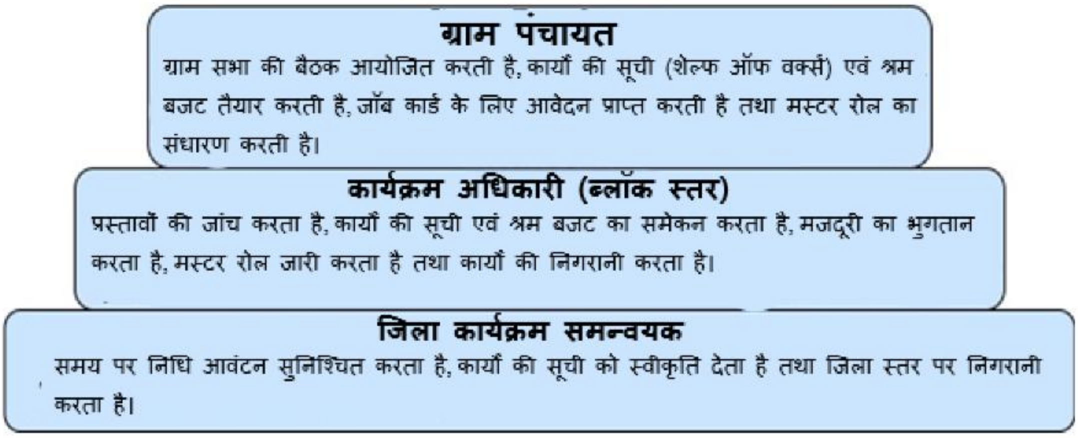

हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुक्त (मनरेगा), राज्य में इस स्कीम के कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जो योजना-निर्माण, समन्वय एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। सचिव (ग्रामीण विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार, समग्र प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करते हैं, कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करते हैं और नीति निर्देशन व बजटीय सहायता सुनिश्चित करते हैं। राज्य रोजगार गारंटी परिषद राज्य सरकार के एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है, जो स्कीम की प्रगति की समीक्षा करती है एवं आगे के सुधारों की सिफ़ारिश करती है।

3.1.3 मनरेगा पर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा पहले भी की गई थी और 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 2 - सिविल) के परिच्छेद 1.2 में शामिल किया गया था। इस प्रतिवेदन को अप्रैल 2011 में राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा में परिप्रेक्ष्य व वार्षिक योजनाओं एवं दरों की जिला अनुसूची तैयार करने में कमी तथा मजदूरी के भुगतान में विलम्ब आदि को रेखांकित किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति ने फरवरी 2021 में इस प्रतिवेदन पर चर्चा की।

3.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- श्रमिकों का पंजीकरण, कार्यों की योजना-निर्माण एवं पहचान तथा श्रम बजट तैयार किया जाना, प्रासंगिक नियमों व विनियमों के अनुरूप था।

- कार्यों का निष्पादन एवं मजदूरी का भुगतान नियमों व विनियमों के अनुरूप किया गया था।

3.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षो का मुल्यांकन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर किया गया:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 एवं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित),
- मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013, उनसे संबंधित संशोधन, और अधिनियम के अंतर्गत जारी नियम तथा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मास्टर परिपत्र,
- भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश, परिपत्र एवं निर्देश, दिशा-निर्देश, वित्तीय नियम आदि।

3.1.6 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2019-24 की अवधि को सम्मिलित करने वाली यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा जुलाई एवं अक्तूबर 2024 के मध्य, निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई निदेशालय, राज्य के 12 में से तीन जिला कार्यक्रम समन्वयकों[1] के कार्यालयों, चयनित जिलों के 28 खंडों[2] में से छः तथा चयनित खंडों के क्षेत्राधिकार में आने वाली 282 ग्राम पंचायतों[3] में से 24 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से की गई। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रत्येक जिले/खण्ड के कुल व्यय को मानदंड के रूप में लेते हुए जिलों व खण्डों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से किया गया। ग्राम पंचायतों का चयन, ग्राम पंचायतों में जारी कुल जॉब कार्डों की संख्या के आधार पर, आकार के अनुपात में प्रायिकता बिना पुनर्स्थापन नमूना चयन पद्धति के माध्यम से किया गया।

---

1 कांगड़ा, सिरमौर एवं सोलन।

2 **कांगड़ा**: देहरा गोपीपुर, नगरोटा सूरियां; **सिरमौर**: पच्छाद, राजगढ़ एवं **सोलन**: सोलन व धर्मपुर।

3 **कांगड़ा जिला –देहरा गोपीपुर खंड:** घुरकल, कमलोटा, घालौर एवं बुग; **नगरोटा सूरियां खंड:** जरोत, कठोली, भाली एवं पड़ार:
सिरमौर जिला –राजगढ़ खंड: ताली भुज्जल, शिलांजी, माटल भाखोग एवं सेर जगास; **पच्छाद खंड:** बनोना, नैना टिक्कर, दिलमन एवं टिक्करी कुठाड़।
सोलन जिला –सोलन खंड: भोजनगर, हरिपुर, चेवा एवं टोप की बेहर; **धर्मपुर खंड:** कोट, धकरियाना, गंगुड़ी एवं मांडेसर।

चयनित 24 ग्राम पंचायतों में आईडीईए[4] सॉफ्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक नमूना विधि से चयन किए गए 193 कार्यों का विभागीय अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। कुछ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि हेतु लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा के आरंभ में सचिव (ग्रामीण विकास), हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ प्रथम बैठक आयोजित की गई (अगस्त 2024)। 24 सितंबर 2025 को आयोजित अंतिम बैठक में प्रतिवेदन में समाविष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं सिफारिशों पर सचिव, ग्रामीण विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ चर्चा की गई। अंतिम बैठक के दौरान हुई चर्चानुसार राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं को इस प्रतिवेदन में यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

3.1.7 अच्छी प्रथाएं

मनरेगा के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने के लिए नरेगासॉफ्ट में सभी सक्रिय श्रमिकों के आधार नंबरों की सीडिंग की जानी है। जुलाई 2025 तक, 13.79 लाख (99.92 प्रतिशत) लाभार्थियों के बैंक खातों के साथ आधार की सीडिंग पूर्ण कर ली गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को चार समूहों में वर्गीकृत किया गया, जैसे श्रमिकों का पंजीकरण, कार्यों हेतु योजना-निर्माण, कार्यों का निष्पादन एवं मजदूरी का भुगतान, जिन पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

3.2 श्रमिकों का पंजीकरण

मनरेगा, 2005 की अनुसूची II में आवेदन के 15 दिनों के भीतर ग्रामीण गृहस्थी को जॉब कार्ड जारी करने का अधिदेश दिया गया है। मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 में (परिच्छेद 3.1.5) प्रत्येक पांच वर्षों के बाद जॉब कार्डों का नवीकरण/पुनर्वैधीकरण एवं निधन होने, दोहराव होने या अन्य ग्राम पंचायतों/शहरी क्षेत्रों में जॉब कार्ड धारक के प्रवासन पर निरस्तीकरण निर्दिष्ट किया गया है। जॉब कार्डों को अपडेट (परिच्छेद 3.1.5) करते समय परिवार का सत्यापन, कार्यों की मांग, आवंटन, किए गए कार्य एवं भुगतान का विवरण तथा अन्य संबंधित जानकारी की आवश्यकता होती है। जॉब कार्ड जारी करने और तदोपरांत सत्यापन/अपडेट करने की प्रक्रिया को **चित्र 3** में दर्शाया गया है।

---

4 डेटा विश्लेषण, नमूना चयन आदि के लिए उपयोग किया जाने वाला इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर।

चित्र 3: जॉब कार्ड जारी करने एवं सत्यापन/अपडेट करने की प्रक्रिया

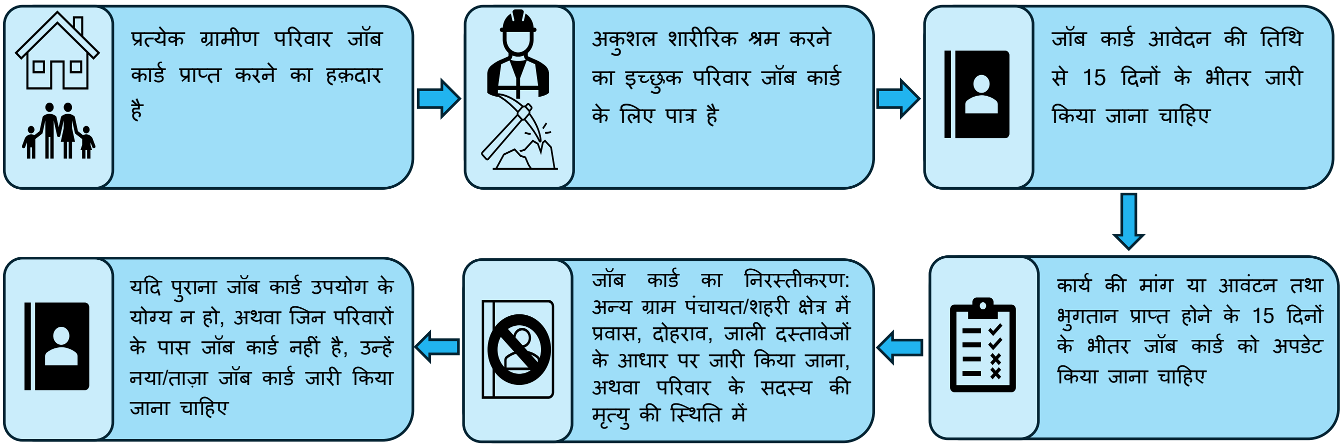

लेखापरीक्षा में जॉब कार्डों से संबंधित निम्नलिखित कमियां पाई गईं :

3.2.1 जॉब कार्ड जारी करने तथा उसके बाद अपडेट करने में निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना

(i) दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर एक समर्पित ग्राम रोजगार सहायक या रोजगार गारंटी सहायक तैनात किया जाना है। जॉब कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव की सहायता से ग्राम पंचायत की थी। चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से नमूना-जांचित 23 ग्राम पंचायतों के नरेगासॉफ्ट[5] पर जॉब कार्ड आवेदन रजिस्टरों के विश्लेषण से पाया गया कि अगस्त 2019 से अगस्त 2025 की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 2,455 जॉब कार्डों में से 895 जॉब कार्ड (36.46 प्रतिशत) जारी करने में असामान्य विलम्ब हुआ। यह विलम्ब एक दिन से 6,682 दिनों[6] के बीच था, जिसमें 249 दिनों का औसत विलम्ब हुआ।

जॉब कार्ड जारी करने की निर्धारित 15 दिनों की समय-सीमा का अनुपालन न होने एवं असामान्य विलम्ब का मुख्य कारण यह रहा कि दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के विपरीत एक ही ग्राम रोजगार सहायक द्वारा कम से कम तीन ग्राम पंचायतों का कार्य संभाला जा रहा था। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि स्वीकृत 1,205 पदों के सापेक्ष केवल 1,031 पदों पर ही ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ थे एवं 174 कर्मियों (14 प्रतिशत) की कमी थी। खंड एवं जिला स्तर पर पदस्थ अधिकारियों ने इस स्थिति की निगरानी नहीं की। जॉब कार्ड जारी करने

5 नरेगासॉफ्ट: मनरेगा के अंतर्गत योजना-निर्माण, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाने वाली एक वेब-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है।

6 विलंब की सीमा: एक दिन से तीन माह तक - 289 मामले, तीन से छ: माह - 97 मामले, छ: माह से एक वर्ष - 141 मामले, एक से दो वर्ष - 154 मामले, दो से पांच वर्ष - 168 मामले व पांच वर्ष से अधिक - 46 मामले।

में हुआ विलम्ब श्रमिकों को मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लाभ प्राप्त न कर पाने में परिणत हुआ।

ग्राम पंचायतों ने (अगस्त-सितंबर 2024) जॉब कार्ड जारी करने में हुए विलम्ब का कारण कर्मचारियों की कमी बताया। इन उत्तरों में असामान्य विलम्ब के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया, जिसे उचित निगरानी के माध्यम से दूर किया जा सकता था।

(ii) जॉब कार्डों को ग्राम पंचायतों द्वारा अथवा उन परिवारों के माध्यम से अपडेट किया जाता है जो जोड़ने/हटाने, स्थायी निवास में परिवर्तन आदि के लिए ग्राम पंचायत से संपर्क करते हैं। जॉब कार्डों को पांच वर्ष की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद नवीनीकृत किया जाना होता है। नमूना-जांचित 24 ग्राम पंचायतों में फरवरी 2006 से सितंबर 2020 की अवधि के मध्य जारी किए गए कुल 9,560 जॉब कार्डों में से 8,482 जॉब कार्ड (88.72 प्रतिशत) सितंबर 2025 तक न तो नवीनीकृत किए गए थे और न ही अद्यतन किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण (जुलाई-अक्टूबर 2024) में पाया गया कि सर्वेक्षित 257 लाभार्थियों में से 14 के जॉब कार्डों में परिवार का फोटो उपलब्ध नहीं था, 94 जॉब कार्डों पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे, 61 परिवारों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध नहीं थे, दो परिवारों ने जॉब कार्ड खो दिए थे तथा 115 जॉब कार्डों में भुगतान विवरण को अद्यतन नहीं किया गया था। उपरोक्त उल्लिखित कमियों में से कम से कम एक कमी प्रत्येक सर्वेक्षित लाभार्थी के संबंध में पाई गई। अतः जॉब कार्डों को अद्यतन करने की प्रक्रिया अपूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण थी, जिसके परिणामस्वरूप नरेगासॉफ्ट में व्यक्तिगत विवरणों से संबंधित आंकड़े अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण पाए गए।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (सितंबर 2024) कि ग्राम रोजगार सहायक के पास अतिरिक्त ग्राम पंचायतों का प्रभार होने के कारण कार्यभार अत्यधिक बढ़ गया। इसके कारण रिकॉर्ड अनुरक्षित करने में उपरोक्त कमी हुई।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि मनरेगा श्रमिकों का सत्यापन अभियान प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि नवीनीकरण/ अद्यतन करने में लंबित मामलों का मुख्य कारण श्रमिकों का विलोपन, मृत्यु अथवा प्रवासन था। यह भी बताया गया कि वर्तमान में लाभार्थियों का ई-केवाईसी परीक्षण आधार पर प्रगति पर है।

3.3 कार्यों हेतु योजना-निर्माण

3.3.1 कार्यों की शेल्फ बनाना

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के परिच्छेद 2.1.4 (ix) एवं मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र 2022-23 के परिच्छेद 6.1.10 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत कार्यों की पहचान व योजना बनाने, परियोजनाओं का शेल्फ बनाने, उनकी प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों का यह शेल्फ[7] जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया जाता है। साथ ही, योजना में कार्यों के संबंध में इकाइयों (जैसे आयतन/लंबाई/क्षेत्रफल आदि) तथा व्यक्ति-दिवस, लागत आदि के संदर्भ में संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 15.3.1.1 में पांच वर्षों के लिए जिला परिप्रेक्ष्य योजना[8] तैयार करने का प्रावधान है, जो सभी क्षेत्रों में जिलों की आवश्यकताओं व कमियों की पहचान करता है। इसके अतिरिक्त, परिच्छेद 6.3 में ग्राम पंचायत स्तर पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए स्थानीय विकास हेतु एक एकीकृत योजना (विकास योजना[9]) तैयार किए जाने का प्रावधान है। पांच वर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना में क्षेत्रीय अंतरालो का विवरण होता है, जबकि सामुदायिक आवश्यकताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायत स्तरीय एकीकृत/विकास योजना मनरेगा के अंतर्गत परियोजनाओ की वार्षिक शेल्फ तैयार करने का आधार बनती है।

---

7 परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के अनुसार, कार्यों का शेल्फ, ग्राम पंचायत द्वारा तैयार एवं ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अनुमत कार्यों की एक प्राथमिकता-आधारित सूची होती है। इसमें मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध श्रम-प्रधान गतिविधियां शामिल होती हैं, ताकि अपेक्षित रोजगार मांग को पूरा किया जा सके।

8 परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 15.3.1.1 (i) में यह उल्लेख है कि विकेन्द्रीकृत योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में **जिला परिप्रेक्ष्य योजना** तैयार किए जाने की परिकल्पना की गई है, जो सभी क्षेत्रों में जिले की आवश्यकताओं एवं कमियों की पहचान करती है। जिला परिप्रेक्ष्य योजना विभिन्न विभागीय परियोजनाओं के लिए एक बहुवर्षीय योजना होती है।

9 मनरेगा अधिनियम की धारा 16(4) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा एवं वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात एक **विकास योजना** तैयार करेगी। इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 6.3 में यह प्रावधान है कि विकास योजना के वे घटक, जिन्हें मनरेगा के अंतर्गत लिया जा सकता है, उन्हें पृथक रूप से परियोजनाओं के एक शेल्फ के रूप में चिह्नित किया जाएगा तथा उन्हें श्रम बजट में सम्मिलित किया जाएगा। परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 15.3.1.1 (i) में आगे यह भी निर्धारित किया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यान्वयन हेतु चिह्नित समन्वित गतिविधियों को मनरेगा के कार्यों के वार्षिक शेल्फ में शामिल किया जाएगा तथा वे श्रम बजट का हिस्सा होंगी।

अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित छः खंडों में वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 1,993.90 करोड़ की लागत वाले 1.95 लाख कार्यों को कार्यों के शेल्फ में शामिल किया गया था, जैसाकि **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित खंडों में प्रस्तावित कार्यों का शेल्फ

(लागत ₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रस्तावित कार्यों का शेल्फ		अतिरिक्त कार्यों का प्रस्ताव		प्रस्तावित कुल कार्य	
	कार्यों की संख्या (1)	प्रस्तावित लागत (2)	अतिरिक्त कार्यों की संख्या (3)	प्रस्तावित लागत (4)	प्रस्तावित कुल कार्य (कॉलम 1 + कॉलम 3)	प्रस्तावित लागत (कॉलम 2 + कॉलम 4)
2019-20	27,556	248.24	1,078	18.14	28,634	266.38
2020-21	24,635	265.05	0	0	24,635	265.05
2021-22	36,510	407.49	164	1.76	36,674	409.25
2022-23	42,627	441.46	3,529	37.71	46,156	479.17
2023-24	41,978	399.27	16,905	174.78	58,883	574.05
योग	**1,73,306**	**1,761.51**	**21,676**	**232.39**	**1,94,982**	**1,993.90**

स्रोत: छः नमूना-जांचित खंडों के अनुमोदित कार्यों का शेल्फ एवं एमआईएस डेटा।

लेखापरीक्षा में कार्यों का शेल्फ तैयार करने में निम्नलिखित कमियां पाई गईं :

(i) वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित तीनों जिलों[10] द्वारा जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं, जिनमें जिलों की आवश्यकताओं एवं कमियों की पहचान की जाती है, तैयार नहीं की गईं। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में नमूना-जांचित 24 ग्राम पंचायतों में से किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा विकास योजनाएं भी तैयार नहीं की गईं। इसके परिणामस्वरूप समन्वय कार्यों एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की योजना प्रभावी रूप से नहीं हो सकी। साथ ही, जिला स्तर पर जिला परिप्रेक्ष्य योजनाओं एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के तैयार न होने के कारण समन्वित कार्यों[11] को वार्षिक कार्य योजना/कार्य शेल्फ में सम्मिलित नहीं किया जा सका, जिससे व्यवस्थित समन्वित योजना[12] की कमी रही।

10 कांगड़ा, सिरमौर व सोलन

11 **समन्वित कार्य** उन कार्यों अथवा गतिविधियों को कहते हैं, जिन्हें मनरेगा के अंतर्गत अन्य सरकारी योजनाओं या विभागों के समन्वय से योजना बनाकर एवं कार्यान्वित किया जाता है, ताकि संसाधनों, निधियों तथा तकनीकी इनपुट्स को एक साथ जोड़कर बेहतर एवं अधिक टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके।

12 **समन्वित योजना** का अर्थ है मनरेगा के कार्यों को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ समन्वित करना, ताकि संसाधन, विशेषज्ञता तथा गतिविधियां एक साझा विकास लक्ष्य को प्रभावी एवं कुशल रूप से प्राप्त करने हेतु एकीकृत रूप से संरेखित की जा सकें।

(ii) सोलन व सिरमौर जिलों की नमूना-जांचित सभी 16 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों को कार्य शेल्फ में किसी प्राथमिकता क्रम में नहीं रखा गया। कांगड़ा जिले की नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में हालांकि प्राथमिकताएं निर्दिष्ट की गई थीं, फिर भी कार्य निर्धारित क्रम के अनुसार स्वीकृत नहीं किए गए, अपितु यादृच्छिक रूप से चुने गए। इससे परियोजनाओ/कार्यों का मनमाना चयन और निष्पादन हुआ।

(iii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोलन जिले में वर्ष 2019-24 हेतु कार्य अनुमान (वार्षिक कार्य योजना/कार्य शेल्फ) प्रस्तावित कार्यों के आयामों (आयतन/लंबाई/क्षेत्रफल) को दर्शाए बिना और उनसे उत्पन्न होने वाले सम्बन्धित व्यक्ति-दिवसों का अनुमान लगाये बिना तैयार किये गए थे। सिरमौर एवं कांगड़ा जिलों में कार्य अनुमान तथा संबंधित व्यक्ति-दिवसों का आकलन तो किया गया, परंतु प्रस्तावित कार्यों के आयामों (आयतन/लंबाई/क्षेत्रफल) का विवरण उनमें सम्मिलित नहीं पाया गया। परिणामस्वरूप तीनों जिलों में श्रम बजट[13] में अनुमानित व्यक्ति-दिवस तदर्थ थे और केवल अनुमान पर आधारित थे। प्रत्येक व्यक्तिगत कार्य के प्रस्ताव चरण में कार्यों के आयामों के अभाव व अवैज्ञानिक अनुमान विधियों के उपयोग के कारण लागत अनुमान का केवल अनुमान मात्र था एवं ये कार्य समय एवं गति अध्ययन या लागू दर सूची पर आधारित नहीं थे।

(iv) वार्षिक मास्टर परिपत्र 2022-23 के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की योजना भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) एवं रिमोट सेंसिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाई जानी है। भारत सरकार ने जीआईएस-आधारित योजना एवं कार्यों की निगरानी में सहायता के लिए भू-स्थानिक योजना पोर्टल 'युक्तधारा' प्रस्तुत की (अगस्त 2021)। तदनुसार कार्यों का शेल्फ ग्राम पंचायत स्तर पर युक्तधारा प्लेटफॉर्म पर जीआईएस-आधारित योजना के माध्यम से बनाना अपेक्षित है तथा तदोपरांत उसे नरेगासॉफ्ट में दर्ज किया जाना है।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि चार वर्ष बीत जाने के बाद भी नमूना-जांचित 24 ग्राम पंचायतों में से किसी में भी इन तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सांख्यिकी अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग ने बताया (अक्टूबर 2024) कि युक्तधारा को प्रत्येक खंड की एक ग्राम पंचायत में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके लिए कार्ययोजना अक्टूबर 2024 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। इस उत्तर में ग्राम पंचायत स्तर

13 श्रम बजट दो पहलुओं, अर्थात कार्य की मांग की मात्रा व समय का आकलन तथा कार्यों की मांग को पूरा करने के लिए परियोजनाओं के शेल्फ के निर्माण को सम्मिलित करता है।

पर जीआईएस-आधारित योजना-निर्माण लागू न किए जाने के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला वार्षिक विकास योजना बनाने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम समन्वयक की थी। निगरानी प्राधिकरण होने के नाते जिला कार्यक्रम समन्वयक व कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी थे कि ग्राम पंचायतों द्वारा विकास योजनाएं तैयार की जा रही हों एवं कार्यों के शेल्फ में शामिल कार्य प्राथमिकता के आधार पर हों जिनमें आयामों का विवरण व जीआईएस-रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया गया हो। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और जिला कार्यक्रम समन्वयक व कार्यक्रम अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत कार्यों के शेल्फ को बिना किसी समीक्षा या संशोधन[14] के अनुमोदित कर दिया। अतः हर स्तर पर निर्धारित निगरानी नहीं की गई।

सचिव, ग्रामीण विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यों का शेल्फ तैयार करने से संबंधित निष्कर्षों को स्वीकार किया, किंतु मास्टर परिपत्र 2017-18 में निहित प्रावधानों को रेखांकित किया, जिसके अनुसार शेल्फ में शामिल कार्यों की संख्या वास्तविक मांग से दोगुनी से अधिक होनी चाहिए।

3.3.2 श्रम बजट की तैयारी

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 का अध्याय 6 श्रम बजट बनाने का प्रावधान करता है, जिसमें कार्य की प्रत्याशित मांग के साथ-साथ एक योजना शामिल होती है जो कार्य की मांग करने वालों को दिए जाने वाले कार्यों की मात्रा व उनकी समय-सारणी को रेखांकित करती है। परिच्छेद 3.1.1(ii) प्रावधान करता है कि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण से वंचित रह गए और पंजीकरण कराना चाहने वाले पात्र परिवारों की पहचान करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष घर-घर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। परिच्छेद 6.2(i) में निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग की मात्रा एवं समय का आकलन करने हेतु आधाररेखा तैयार करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर पांच वर्ष में एक बार जॉब कार्ड धारकों का सर्वेक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना है। आधारभूत सर्वेक्षण के लिए रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने तथा इसके पश्चात जिला स्तरीय टीमों को सर्वेक्षण करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु राज्य द्वारा विशेषज्ञ संस्थानों को पैनलबद्ध किया जा सकता है। परिच्छेद 7.7 में

14 यह सुनिश्चित करने हेतु कि ग्राम सभा द्वारा कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, प्रस्तावित कार्यों की अनुमेयता की जांच की जाए तथा सभी मौसमों में कार्य की मांग को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्यों की संख्या की पर्याप्तता की जांच की जाए।

अनुसूची दरें तैयार करने हेतु उचित दैनिक कार्यभार निर्धारित करने के लिए कार्य समय एवं गति अध्ययन के संचालन को अनिवार्य किया गया है।

श्रम बजट ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जा रहा था तथा इसकी प्रविष्टि नरेगासॉफ्ट में की जा रही थी। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए श्रम प्राक्कलन एवं राज्य में सृजित व्यक्ति-दिवसों का विवरण **चार्ट 3.1** में दिया गया है।

चार्ट 3.1: 2019-24 की अवधि के लिए राज्य का अनुमानित व वास्तविक श्रम बजट

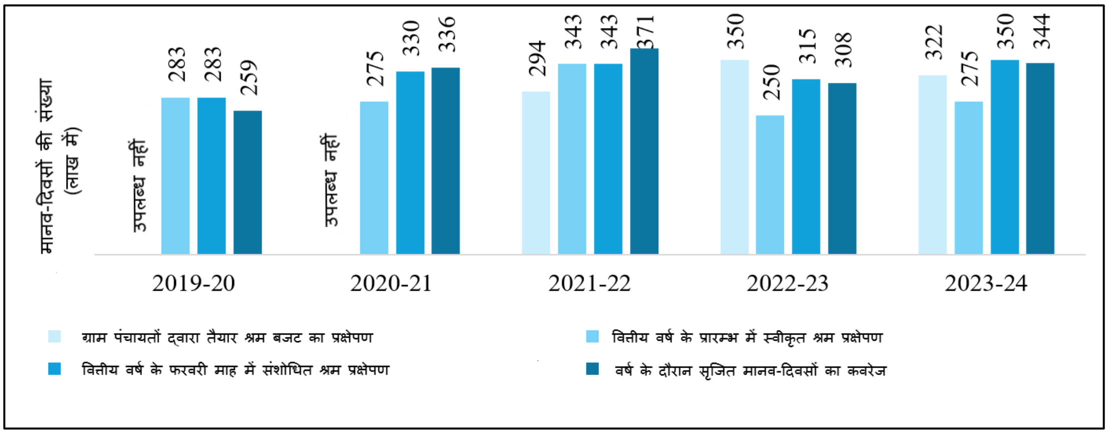

स्रोत: नरेगासॉफ्ट व विभागीय अभिलेख।

कार्य की मांग को श्रम बजट के माध्यम से मान्यता देने में निम्नलिखित कमियां पाई गईं :

i. राज्य सरकार ने व्यक्तिगत कार्यों जैसे–पशु शालिका (₹ एक लाख), जल संचयन टैंक (₹ 1.50 लाख) व घर के पास दीवार के निर्माण (पहले ₹ 0.35 लाख, बढ़ाकर ₹ 0.50 लाख कर दिया गया) के लिए व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की (अक्टूबर 2020)। हालांकि अनुसूची दरों में दिए गए निर्दिष्ट कार्यों के लिए श्रम सामग्री, जो कार्य के आयामों एवं कार्य समय व गति अध्ययन के आधार पर तैयार की जाती है, का उपयोग करके व्यक्ति-दिवस (श्रम प्राक्कलन) की गणना करने के बजाय, ग्राम पंचायतों ने उपरोक्त अधिकतम सीमा को दैनिक मजदूरी दर से विभाजित करके उनका अनुमान बनाया, जो कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

ii. वर्ष 2019-24 के दौरान नमूना-जांचित 24 ग्राम पंचायतों द्वारा पात्र परिवारों की पहचान हेतु घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध कार्य-बल एवं श्रम बजट में वार्षिक रूप से शामिल किए जाने वाले अनुमानित व्यक्ति-दिवसों से संबंधित सटीक आंकड़ों का अभाव रहा। घर-घर सर्वेक्षण न किए जाने के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) कार्ड धारक मनरेगा के अंतर्गत पूर्ण रूप से पंजीकृत नहीं थे तथा सोलन जिले की नमूना-जांचित पांच ग्राम पंचायतों[15] में पंजीकरण दर सात से 33 प्रतिशत के मध्य थी। इसका परिणाम यह हुआ कि बीपीएल कार्ड धारकों का एक बड़ा हिस्सा मनरेगा रजिस्ट्रीकरण से बाहर रह गया, जो अभीष्ट लाभार्थियों के समावेशन को प्रभावित कर सकता है।

iii. नमूना-जांचित किसी भी ग्राम पंचायत में नियोजन की मांग की मात्रा व समय का आकलन करने के लिए कोई आधारभूत सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मार्च 2024 तक ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण की रूपरेखा एवं कार्यप्रणाली को अंतिम रूप देने के लिए किसी भी विशेषज्ञ संस्थान को पैनल में शामिल नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रम बजट वास्तविक मांग के विश्वसनीय आकलन के बिना तैयार किया गया।

सरकार ने अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में यह स्वीकार किया कि घर-घर एवं आधारभूत सर्वेक्षण नियमित रूप से नहीं किए जा रहे थे, जिसका कारण जन शक्ति की कमी बताई, क्योंकि प्रशासनिक खर्चों के तहत सीमित निधियों की उपलब्धता के अतिरिक्त ग्राम रोजगार सहायकों के पास कई पंचायतों की जिम्मेदारी भी थी।

मानव संसाधनों व निधियों की सीमाएँ आधारभूत सर्वेक्षण तथा घर-घर सर्वेक्षणों के पूर्णतः न कराए जाने को न्यायोचित नहीं ठहराती हैं।

iv. अपेक्षित अनुसूची दरें तैयार नहीं की गई थीं। वर्ष 2018-21 के दौरान कार्य समय एवं गति अध्ययन ₹ 19.98 लाख की लागत से कराए गए थे। तथापि अक्टूबर 2024 तक भारत सरकार द्वारा कार्य समय एवं गति अध्ययन की स्वीकृति प्रतीक्षित थी। कार्य समय एवं गति अध्ययन की स्वीकृति के अभाव में ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राक्कलन तैयार करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में प्रयोज्य प्रचलित अनुसूची दरों का उपयोग करना पड़ा। मनरेगा परिचालन दिशानिर्देशों के परिच्छेद 7.7.1 के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत मशीनों के अभाव में इस प्रकार की

15 भोजनगर, चेवा, धाकरियाना, कोट व मंडेसर

मशीन/ठेकेदार आधारित अनुसूची दरों का उपयोग अपरिहार्य रूप से श्रमिकों को कम मजदूरी भुगतान की स्थिति उत्पन्न करता है।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि 8 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने कार्य समय एवं गति अध्ययन पर स्वीकृति प्रदान कर दी थी तथा इसे अब रोजगार हेतु ग्रामीण दरों का उपयोग कर प्राक्कलन गणना सॉफ्टवेयर (सिक्योर) में एकीकृत किया जा रहा है।

v. नमूना-जांचित सभी तीनों जिलों में मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.4.3 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यों के शेल्फ की जांच करने, सामान्य कार्यों के लिए जिला-विशिष्ट अनुसूची दरें तैयार करने, दरों का निर्धारण करने, सामग्री घटकों के गुणवत्ता मानकों एवं आपूर्तिकर्ताओं की सूची तय करने तथा मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन नहीं किया गया। अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि तकनीकी समिति बनाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

vi. मनरेगा श्रमिकों के कौशल एवं आजीविका को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में उन्नति परियोजना[16] प्रस्तुत की। इस परियोजना के अंतर्गत मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिवसों का कार्य पूर्ण कर चुके परिवार का एक वयस्क सदस्य कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्र हो जाता था। भारत सरकार ने प्रशिक्षण के दौरान श्रमिकों को होने वाली मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में वजीफा लागत हेतु ₹ 1.29 करोड़ जारी किए (मार्च 2021)। हालांकि वर्ष 2021-22 के दौरान 4,810 लक्ष्यित अभ्यर्थियों के सापेक्ष केवल 710 अभ्यर्थियों को ही प्रशिक्षण दिया जा सका एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मात्र ₹ 11.95 लाख का ही उपयोग किया गया, जबकि ₹ 2.26 लाख के अर्जित ब्याज सहित शेष ₹ 1.17 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही (अक्टूबर 2024)।

सांख्यिकी अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग ने योजना के अंतर्गत चयन हेतु आधार वर्ष (अर्थात 2018-19) में मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिन का नियोजन पूर्ण करने वाले परिवारों की सीमित संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई आबादी, संभावित लाभार्थियों

---

16 इस परियोजना का उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करना तथा उनके आजीविका स्तर में सुधार करना है, ताकि वे वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर हो सकें और इस प्रकार मनरेगा पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

के घरों से प्रशिक्षण केंद्रों की अत्यधिक दूरी तथा प्रशिक्षण की लंबी अवधि को लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाने के कारकों के रूप में बताया (नवंबर 2024)।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि लोग इस योजना में रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि अधिकांश श्रमिक महिलाएं हैं, जो खंड अथवा जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं थीं। आगे यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत पात्रता की शर्तों में ढील देते हुए प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्यदिवसों की सीमा 100 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी है, जिससे प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक सहायता मिलेगी।

अतः श्रम बजट तैयार करना निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप लक्ष्यित लाभार्थी बाहर हो गये। इसके अतिरिक्त, श्रम बजट की जांच, अनुसूची दरों की तैयारी आदि के लिए जिला स्तरीय तकनीकी समिति का गठन नहीं किया गया, जिससे श्रम बजट की तैयारी कमजोर हो गई। राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के कौशल विकास के लिए उन्नति योजना लागू की गई, जिसमें राज्य के लक्ष्यित लाभार्थियों में से केवल 15 प्रतिशत को ही सम्मिलित किया गया।

3.4 कार्यों का निष्पादन

मनरेगा का कार्यान्वयन उन कार्यों के निष्पादन पर निर्भर करता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति-दिवस सृजित किए जाते हैं एवं रोजगार प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 कि अवधि के दौरान राज्य स्तर पर निष्पादित (चल रहे एवं पूर्ण) कार्यों के विवरण **तालिका 3.4** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 3.4: 2019-20 से 2023-24 के दौरान व्यक्तिगत संपत्तियों, ग्रामीण अधोसंरचना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत निष्पादित कार्य

कार्यों के विवरण	सामुदायिक संपत्तियां व व्यक्तिगत संपत्तियां	ग्रामीण अधोसंरचना	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्य	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य	कुल व्यय (₹ करोड़ में)
2019-20	57,266	48,585	23	44,214	707.04
2020-21	77,854	58,506	68	58,788	988.87
2021-22	94,431	66,553	94	74,904	1,090.93
2022-23	94,919	65,144	97	71,290	1,289.04
2023-24	1,47,662	67,104	86	87,561	1,251.85
योग	**4,72,132**	**3,05,892**	**368**	**3,36,757**	**5,327.73**

स्रोत: कार्यों की संख्या नरेगासॉफ्ट रिपोर्ट संख्या 6.3 से ली गई है तथा कुल व्यय विभाग द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के अनुसार है।

इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों एवं ग्राम पंचायतों में तीन श्रेणियों अर्थात सामुदायिक संपत्तियां/व्यक्तिगत संपत्तियां, ग्रामीण अधोसंरचना एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यों के अंतर्गत निष्पादित (चल रहे एवं पूर्ण) कार्यों का विवरण नीचे **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5: वर्ष 2019-24 के दौरान व्यक्तिगत संपत्तियों, ग्रामीण अधोसंरचना व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत निष्पादित कार्य

(₹ लाख में)

कार्यों के विवरण	सामुदायिक संपत्तियां व व्यक्तिगत संपत्तियां		ग्रामीण अधोसंरचना		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य	
	कार्यों की संख्या	व्यय	कार्यों की संख्या	व्यय	कार्यों की संख्या	व्यय
चयनित जिले	90,802	22,496	92,895	62,089	1,01,194	43,479
चयनित ग्राम पंचायतें	3,229	1,026	1,563	1,112	1,576	652
योग	**94,031**	**23,522**	**94,458**	**63,201**	**1,02,770**	**44,131**

स्रोत: नरेगासॉफ्ट (रिपोर्ट संख्या आर 6.3; 1 व 2 दिसंबर 2025 को एक्सेस की गई)।

लेखापरीक्षा ने चयनित 24 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-24 के दौरान निष्पादन हेतु लिए गए ₹ 307.58 लाख लागत के 193 नमूना कार्यों (प्रति ग्राम पंचायत औसतन आठ कार्य) की विस्तृत जांच की, जैसाकि **चित्र 4** में विवर्णित है।

चित्र 4: क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित किए गए नमूना कार्य एवं उनकी स्वीकृत लागत

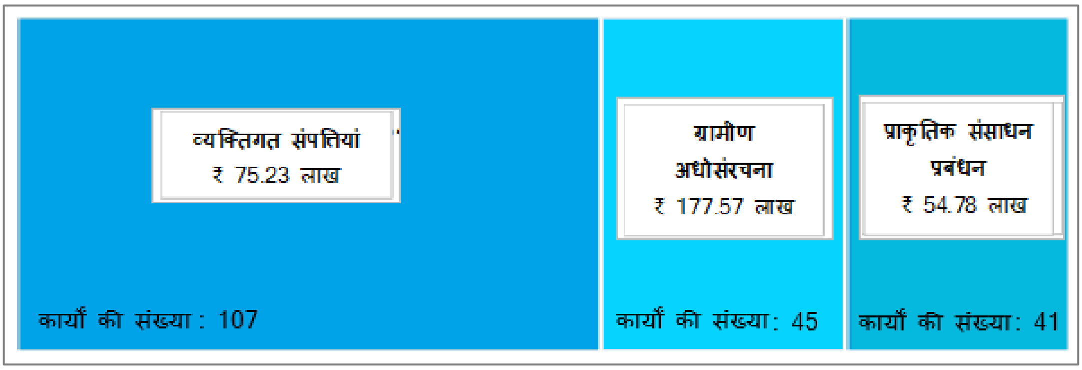

इन श्रेणियों के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन की स्थिति **तालिका 3.6** में दर्शाई गई है।

तालिका 3.6: नमूना कार्यों की स्थिति

कार्यों की श्रेणी	कार्यों की प्रकृति	कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य#	अवरुद्ध कार्य	आरंभ न किए गए कार्य
व्यक्तिगत संपत्तियां	गोशालाएं	30	74	26 (+3)	0	4
	भूमि समतलीकरण/ वृक्षारोपण	26				
	भू-जल पुनर्भरण टैंक/ तालाब	5				
	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण / मुख्यमंत्री आवास योजना	27				
	संरक्षण कार्य	19				
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	चेक डैम/नालियां	4	26	7 (+2)	3	3
	भूमि समतलीकरण/ वृक्षारोपण	10				
	भू-जल पुनर्भरण टैंक/ तालाब	12				
	संरक्षण कार्य	14				
	तालाब का जीर्णोद्धार	1				
ग्रामीण अधोसंरचना	आंगनवाड़ी भवन	1	27	7 (+5)	4	2
	खेल का मैदान	1				
	संरक्षण कार्य	10				
	सड़कें/पक्के रास्ते/पुलिया	33				
योग		**193**	**127**	**40 (+10)**	**7**	**9**

 # कोष्ठक में दर्शाए गए कार्यों की संख्या उन कार्यों को दर्शाती है जिन्हें नरेगासॉफ्ट पर अपूर्ण दर्शाया गया, परन्तु क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक रूप से पूर्ण पाया गया।

3.4.1 भौतिक रूप से पूर्ण किए गए कार्यों को एमआईएस में गलत रूप से "चल रहे" दर्शाया जाना

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2018-19 के परिच्छेद 7.10 में चल रहे कार्यों को समय पर पूर्ण करने पर जोर दिया गया है तथा कार्यों को एक से अधिक वित्तीय वर्ष तक अपूर्ण रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 20.4(xix) के अनुसार कार्यों से संबंधित सभी प्रविष्टियां भौतिक पूर्णता के दो माह के भीतर नरेगासॉफ्ट (एमआईएस) में दर्ज की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कांगड़ा जिले की नमूना-जांचित छः ग्राम पंचायतों[17] में ₹ 6.51 लाख (₹ 12.41 लाख की अनुमानित लागत के प्रति) की लागत वाले 10 कार्य

17 भली: एक कार्य; बग: एक कार्य; घलौर: तीन कार्य; जरोट: दो कार्य; खथोली: एक कार्य व पधर: दो कार्य

सितंबर 2022 से जुलाई 2024 के मध्य भौतिक रूप से पूर्ण किए गए। हालांकि विक्रेताओं द्वारा सामग्री के बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण ये कार्य एमआईएस में लगातार "चल रहे" दर्शाए जाते रहे। इसके परिणामस्वरूप पूर्ण हो चुके कार्यों को एमआईएस में गलत रूप से "चल रहे" दर्शाया गया, जिससे एमआईएस रिकॉर्ड की विश्वसनीयता प्रभावित हुई।

3.4.2 कार्यों के निष्पादन में असामान्य विलम्ब

मनरेगा के मास्टर परिपत्र 2018-19 का परिच्छेद 7.10 कार्यों के पूर्ण होने पर पर्याप्त जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्य पूरा होने की अनुमानित अवधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है तथा किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी के पास उन कार्यों के प्रस्तावित वर्ष के बाद, एक वित्तीय वर्ष से अधिक समय तक कार्य अपूर्ण नहीं रहने चाहिए।

चयनित विकास खंडों की 24 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-24 के दौरान 193 चयनित कार्यों में से ₹ 2.02 करोड़ की अनुमानित लागत वाले 127 कार्य ₹ 1.45 करोड़ के व्ययोपरांत पूर्ण किए गए। इनमें से 57 कार्य 10 से 874 दिनों के विलम्ब से पूर्ण किए गए (एक अतिरिक्त मामले में यह विलम्ब 1,412 दिनों का था)। इसके अतिरिक्त 15 कार्य एक वर्ष से अधिक के विलम्ब से पूर्ण किए गए। इन असामान्य विलम्बों का प्राथमिक कारण खण्ड स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों व जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्धारित नियमित निगरानी का अभाव था।

इसके अतिरिक्त ₹ 78.06 लाख की अनुमानित लागत वाले 50 कार्य चल रहे थे तथा सितंबर 2024 तक इन कार्यों पर ₹ 46.58 लाख का व्यय किया जा चुका था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 23 कार्यों में 153 से 884 दिनों का विलम्ब (153 दिनों का औसत विलम्ब) हुआ।

ग्राम पंचायतों ने इन असामान्य विलम्बों के लिए वर्षा ऋतु में श्रमिकों की काम करने की अनिच्छा, विक्रेताओं द्वारा समय पर बिल या सामग्री उपलब्ध न कराना एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों का मापन न करने को जिम्मेदार ठहराया।

3.4.3 अवरुद्ध/आरंभ न किए गए कार्य

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायतों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-24 के दौरान ₹ 11.94 लाख की लागत से स्वीकृत सात कार्य भूमि विवाद व लाभार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण करने में अनिच्छा दिखाए जाने के कारण ₹ 1.66 लाख के व्ययोपरांत अवरुद्ध रह गए।

दूसरी ओर वर्ष 2020-24 के दौरान ₹ 15.67 लाख की लागत से स्वीकृत नौ कार्य भूमि विवाद, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेंट की बोरियां न लेने, लाभार्थी की रुचि की कमी आदि कारणों से आरंभ नहीं हुए। हालांकि निर्माण सामग्री की खरीद व मजदूरी पर ₹ 1.90 लाख की राशि खर्च हुई।

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त 16 कार्यों में से चार कार्यों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 1.10 लाख मूल्य की सीमेंट की 290 बोरियों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को अग्रिम भुगतान किया गया (नवंबर 2021 व मई 2024)। हालांकि सितंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेंट की बोरियां नहीं ली गई। परिणामस्वरूप वे चार कार्य आरंभ नहीं हो सके।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने कार्यों के अवरुद्ध होने या आरंभ न होने का प्राथमिक कारण भूमि विवादों को बताया और कहा कि मार्च 2022 तक मजदूरी व सामग्री पर शून्य व्यय वाले कार्यों को हटा दिया जाएगा (एमआईएस से)।

3.4.4 कार्यों के निष्पादन में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा में 193 नमूना कार्यों के निष्पादन में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

कार्य की श्रेणी	कार्य की प्रकृति	चयनित कार्यों की संख्या	अनियमितता वाले कार्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
व्यक्तिगत संपत्तियां	भूमि समतलीकरण / वृक्षारोपण	26	11	• वर्ष 2021-24 के दौरान तीन भूमि विकास कार्य[18] पूर्ण किए गए। लेखापरीक्षा द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों/अधिकारियों के साथ किए कार्यों के भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2024) के दौरान पाया गया कि विकसित की गई भूमि पर लाभार्थियों द्वारा कोई भी आजीविका गतिविधि नहीं की जा रही थी। • मनरेगा, 2005 की अनुसूची-I की धारा 5(j) यह निर्धारित करती है कि व्यक्तिगत संपत्ति बनाने वाले कार्यों को उन परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या घर पर प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसे परिवारों के पास जॉब कार्ड हो एवं कम से कम एक सदस्य अपनी भूमि या घर पर शुरू की गई परियोजना में काम करने का इच्छुक हो। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-24 के दौरान तीन ग्राम पंचायतों[19] में आठ व्यक्तिगत कार्यों को निष्पादन हेतु लिया गया। हालांकि

[18] 1. श्री सेवा राम, ग्राम पंचायत शिलांजी, खंड राजगढ़ 2. श्री ब्रह्म प्रकाश, ग्राम पंचायत घल्लौर, खंड देहरा गोपीपुर व 3. श्रीमती कांता देवी, ग्राम पंचायत पधर, खंड नगरोटा सूरियां।

[19] ग्राम पंचायत घुरकल, ग्राम पंचायत कमलोता, खंड देहरा गोपीपुर व ग्राम पंचायत कठोली, खंड नगरोटा सूरियां।

कार्य की श्रेणी	कार्य की प्रकृति	चयनित कार्यों की संख्या	अनियमितता वाले कार्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
				दो कार्य संबंधित परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए बिना निष्पादित किए गए तथा छः कार्यों को संबंधित परिवारों के कम से कम एक सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना निष्पादन हेतु लिया गया।
ग्रामीण अधोसंरचना	सड़कें/पक्के रास्ते/पुलिया	33	1	खंड नगरोटा सूरियां के गांव/ग्राम पंचायत जरोट में एम्बुलेंस सड़क का निर्माण मई 2024 में पूर्ण हुआ था। लेखापरीक्षा द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों/ अधिकारियों के साथ किए गए भौतिक निरीक्षण (अगस्त 2024) के दौरान पाया गया कि सड़क का निर्माण व्यक्तियों के निजी परिसरों के भीतर किया गया एवं अन्य निवासियों के लिए कोई संपर्क मार्ग प्रदान नहीं किया गया था।

3.4.5 सामग्री की खरीद में ग़ैर-अनुपालन

मास्टर परिपत्र 2019-20 के परिच्छेद 7.1.7 में अपेक्षित है कि ग्राम पंचायतें संपूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु सामग्री (जैसे ईंटें, सरिया, रेत आदि) की मांग का आकलन कर उसे खंड स्तर पर संकलित करें। खंड से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से केंद्रीय प्रतिस्पर्धी दरों पर इन सामग्रियों की खरीद की व्यवस्था करनी अपेक्षित है।

चयनित छः खंडों[20] के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि वर्ष 2019-24 के दौरान ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई ही नहीं गई। इसके बजाय ₹ 108.99 करोड़ मूल्य की सामग्री की खरीद टुकड़ों में की गई।

चयनित 24 ग्राम पंचायतों में ₹ 8.67 करोड़ मूल्य की सामग्री विभिन्न विक्रेताओं से अलग-अलग दरों पर प्राप्त कोटेशन के आधार पर खरीदी गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान निकटवर्ती ग्राम पंचायतों में सामग्री की दरों में पाए गए अंतर का एक दृष्टांत नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 3.7: नगरोटा सूरियां खंड, कांगड़ा की ग्राम पंचायतों में खरीदी गई सामग्री की दरों की तुलना (2020-21)

(राशि ₹ में)

सामग्री का विवरण	प्रति घन मीटर दर		
	ग्राम पंचायत कठोली	ग्राम पंचायत जरोट	ग्राम पंचायत भाली
रेत क्रशर	800	1,059	750
बजरी क्रशर	1,200	950	750
पत्थर क्रशर	750	882	750

20 देहरा गोपीपुर, धरमपुर, नगरोटा सूरियां, पच्छाद, राजगढ़ व सोलन।

कार्यक्रम अधिकारी-सह-खंड विकास अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रावधानानुसार केंद्रीकृत खरीद सुनिश्चित नहीं की गई और इस प्रकार केंद्रीकृत खरीद के माध्यम से प्राप्त होने वाली प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ नहीं उठाया जा सका। केंद्रीकृत खरीद के संबंध में मास्टर परिपत्र के प्रावधान की अनुपालना न करने के कारण सामग्री की खरीद उच्च एवं असंगत दरों पर की गई।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम परामर्श के अनुसार सामग्री की खरीद से संबंधित आदेश जारी किए गए थे। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन आदेशों में खंड स्तर पर निविदा प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर केंद्रीकृत खरीद की अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया था।

3.4.6 पंचवटी पार्कों के कार्यों पर अस्वीकार्य व्यय

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 7.2.2 में किसी भी नए कार्य श्रेणी के लिए राज्य सरकार को औचित्य, लक्ष्यित क्षेत्र व अपेक्षित रोजगार सृजन का विवरण प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से मंज़ूरी प्राप्त करनी अपेक्षित है।

वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में हिमाचल प्रदेश सरकार ने "पंचवटी योजना" की घोषणा करते हुए इसे मंजूरी दी, जिसमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के परस्पर समन्वय के माध्यम से पार्कों/उद्यानों के निर्माण को शामिल किया जाना था। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक खंड में कम से कम एक बीघा भूमि पर पार्कों/उद्यानों के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। प्रत्येक पार्क/उद्यान की अनुमानित लागत ₹ 8.75 लाख थी।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की स्वीकृति के बिना "पंचवटी योजना" के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया (जून 2020)। समन्वय पद्धति के अन्तर्गत 12 जिलों में कुल 364 स्थलों को ग्राम सभा/खंड पंचायत/जिला पंचायत की सहमति के बिना पार्क/उद्यान के विकासार्थ चुना गया (जून 2020 से दिसंबर 2020)। वर्ष 2020-21 के दौरान इनमें से 180 स्थलों पर ₹ 15.75 करोड़[21] की अनुमानित लागत के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से ₹ 5.29 करोड़ पहले ही दिसंबर 2020 तक खर्च किए जा चुके थे। दिसंबर 2020 के बाद राज्य स्तर पर इस स्कीम से संबंधित व्यय का विवरण न तो निदेशालय के अभिलेखों में उपलब्ध था और न ही नरेगासॉफ्ट पर। नमूना-जांचित तीन ज़िलों हेतु ग्रामीण विकास विभाग[22], हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा

[21] 180 कार्यों के लिए कुल अनुमानित लागत = ₹ 8.75 लाख x 180 = ₹ 1,575.00 लाख

[22] ग्रामीण विकास विभाग ने चयनित तीन जिलों (कांगड़ा, सिरमौर व सोलन) के जनवरी 2025 तक के व्यय के आंकड़े उपलब्ध कराए।

उपलब्ध कराई गई जानकारी (जनवरी 2025) के अनुसार दिसंबर 2024 तक 143 पंचवटी पार्कों के निर्माण पर ₹ 7.13 करोड़[23] का कुल व्यय हुआ, जिसमें मनरेगा निधि से ₹ 4.41 करोड़ शामिल हैं।

यह देखते हुए कि "पंचवटी योजना" के अंतर्गत किए गए कार्य, मनरेगा के अन्तर्गत लिए गए प्राधिकृत कार्यों की सूची में शामिल नहीं थे, संपूर्ण राज्य में "पंचवटी योजना" के अंतर्गत किए गए कार्यों पर मनरेगा निधियों से किया गया व्यय अस्वीकार्य था, जिसमें नमूना-जांचित तीन जिलों में किया गया ₹ 4.41 करोड़ का व्यय भी शामिल था।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने बताया कि इस स्कीम को वर्ष 2024-25 में बंद कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि स्कीम को अन्य योजनाओं के साथ समन्वित करके प्रस्तुत किया गया था तथा इसमें मजदूरी व अनुमत सामग्री घटक मनरेगा से लिए गए थे। तथापि तथ्य यह है कि इस नई श्रेणी के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई।

3.4.7 नौकरी (जॉब) की मांग के आवेदनों में अनियमितताएं

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 3.2 में प्रावधान है कि कार्य हेतु दिए जाने वाले आवेदनों में जॉब कार्ड का पंजीकरण क्रमांक, वह तिथि जिससे रोजगार की आवश्यकता है तथा मांगे गए रोजगार के दिनों की संख्या का उल्लेख होना चाहिए।

दो (नमूना-जांचित 24 ग्राम पंचायतों में से) ग्राम पंचायतों[24] के चयनित 193 कार्यों में से आठ कार्यों में इन कार्यों में संलिप्त 194 परिवारों में से 52 परिवारों (27 प्रतिशत) द्वारा प्रस्तुत रोजगार मांग आवेदन में न तो आवेदन की तिथि का उल्लेख था और न ही मांगी गई रोजगार अवधि का। परिणामस्वरूप कार्य की मांग की वास्तविक तिथि एवं रोजगार के प्रावधान में हुए किसी विलम्ब का पता नहीं लगाया जा सका, जो आवेदकों को उन मामलों में बेरोजगारी भत्ते का दावा करने के उनके अधिकार से वंचित कर सकता है जहां रोजगार में विलम्ब हुआ या प्रदान नहीं किया गया।

---

23 कांगड़ा (117 पंचवटी पार्क): **₹ 552.50 लाख** (मनरेगा: ₹ 317.88 लाख; स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 62.51 लाख व 14वां वित्तायोग: ₹ 172.11 लाख); सिरमौर (सात पंचवटी पार्क): **₹ 65.88 लाख** (मनरेगा: ₹ 38.84 लाख; स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 15.31 लाख व 14वां वित्तायोग: ₹ 11.73 लाख) तथा सोलन (19 पंचवटी पार्क): **₹ 94.31 लाख** (मनरेगा: ₹ 84.57 लाख; स्वच्छ भारत मिशन: ₹ 4.20 लाख व 14वां वित्तायोग: ₹ 5.54 लाख)।

24 नैना टिक्कर व टिक्करी कुठार।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

3.5 मजदूरी का भुगतान

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2020-21 के अध्याय-14 में प्रावधान है कि श्रमिकों को किए जाने वाले सभी भुगतान उनके बैंक या डाकघर के खातों में जमा किए जाने चाहिए, जब तक कि उन्हें इससे छूट न दी गई हो।

3.5.1 मजदूरी के भुगतान में विलम्ब

मनरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II के परिच्छेद 29 में निर्धारित किया गया है कि मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाए अन्यथा श्रमिक विलम्ब होने पर प्रतिदिन भुगतान न हुई मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विलंबित भुगतान एवं विलंबित भुगतान पर मुआवजे की निगरानी हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, नरेगासॉफ्ट में मजदूरी भुगतान में विलम्ब की गणना हेतु मजदूरी भुगतान की तिथि, मस्टर रोल बंद होने की तिथि, ऐसे विलम्ब की अवधि, देय कुल मजदूरी व मुआवजे की दर अर्थात प्रति दिन भुगतान न हुई कुल मजदूरी का 0.05 प्रतिशत, का परीक्षण किया जाता है, ताकि मनरेगा श्रमिकों को देय मुआवजे का निर्धारण किया जा सके। मजदूरी के समयबद्ध भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार दर्शाई गई है।

मनरेगा मजदूरी भुगतान प्रक्रिया की समयसीमा

मस्टर रोल बंद होने की तिथि →	**टी**
कार्यस्थल पर माप, तकनीकी कर्मियों द्वारा माप की जांच और उपस्थिति भरना। →	**टी + 5 दिन**
मजदूरी सूची करना →	**टी + 6 दिन**
निधि अंतरण आदेश जारी करना →	**टी + 8 दिन**
श्रमिक के खाते में राशि जमा करना →	**टी + 15 दिन**

नरेगासॉफ्ट से मिले डेटा के विश्लेषण एवं क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान किए गए रिकॉर्ड की जांच से निम्नलिखित उजागर हुआ :

i) 1.45 करोड़ लेनदेन में से 3.41 लाख लेनदेन (जिनमें ₹ 77.47 करोड़ की मजदूरी शामिल है) में मजदूरी जारी करने में 16 दिन से लेकर 90 दिन से अधिक विलम्ब हुआ (मस्टर रोल की अंतिम तिथि से लेकर एमआईएस पर उपलब्ध लाभार्थी को मजदूरी के वास्तविक भुगतान की तिथि तक)। ₹ 1.39 करोड़ की मजदूरी से सम्बन्धित 5,523 लेनदेनों में मस्टर रोल बंद होने के बाद 90 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ। इस विलम्ब के कारण लाभार्थी ₹ 6.25 लाख से अधिक की मुआवजे की राशि के पात्र थे, परन्तु उन्हें इसका भुगतान नहीं किया गया।

ii) 24 में से 23 ग्राम पंचायतों से संबंधित 193 कार्यों में से 94 कार्यों में 1,290 श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलम्ब हुआ, जिसमें विलंब की औसत अवधि 32 दिनों की थी। इस विलम्ब के कारण सम्बंधित श्रमिकों को ₹ 58,618 का मुआवजा का भुगतान देय हो गया।

एमआईएस के अनुसार मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के कारणों में बैंक/डाकघर खाते का अस्तित्व में न होना, खातों का निष्क्रिय या बंद होना आदि के कारण लेनदेन रद्द होना शामिल था।

इस संबंध में कार्यक्रम अधिकारियों ने उत्तर दिया (नवंबर 2024-अगस्त 2025) कि विलम्ब के कारणों में लेनदेन का बार-बार अस्वीकृत होना, एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभाल रहे ग्राम पंचायत कर्मियों पर कार्यभार अधिक होने के कारण बैंक/आधार विवरणों का सत्यापन न होना, संशाधित निधि अंतरण आदेशों के मामले में राज्य रोजगार गारंटी कोष खातों[25] में निधियों की अनुपलब्धता आदि शामिल थे।

नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ों/जानकारी की जाँच से पता चला कि पहली बार निधि अंतरण आदेश जारी किए जाने के बाद उपर्युक्त कारणों के चलते मजदूरी भुगतान से संबंधित लेन-देन रद्द हुए थे।

---

[25] राज्य रोजगार गारंटी कोष- यह वह निर्दिष्ट कोष है जिससे मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान किया जाता है। निधि अंतरण आदेश- यह नरेगासॉफ्ट पर जारी किया गया एक इलेक्ट्रॉनिक निर्देश है, जिसका उपयोग राज्य रोजगार गारंटी कोष से श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में मजदूरी अंतरित करने के लिए किया जाता है।

यह पाया गया कि मजदूरी के भुगतान में विलम्ब को नरेगासॉफ्ट में केवल तभी दर्ज किया गया जब निधि अंतरण आदेश नियत समय (टी+8 दिन) के भीतर जारी नहीं किए गए थे। हालांकि जो निधि अंतरण आदेश समय पर जारी किए गए थे परन्तु बाद में अस्वीकृत हो गए, उनके कारण हुए विलम्ब को मुआवजे की गणना हेतु सिस्टम में नहीं दर्शाया गया था। कुछ मामलों में प्रथम निधि अंतरण आदेश के अंततः संशाधित हो जाने के पश्चात् कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रारंभ में दर्ज विलम्ब को भी रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में मुआवजे की देयता नरेगासॉफ्ट पर दर्ज नहीं हुई।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निधियों को समयबद्ध जारी करने के लिए भारत सरकार के साथ यह मामला उठाया जाएगा, ताकि श्रमिकों के खातों में मजदूरी अविलम्ब जमा की जा सके। तकनीकी कारणों से निधि अंतरण आदेश अस्वीकृत होने के कारण मजदूरी भुगतान में हुए विलम्ब को भी स्वीकार किया गया।

3.5.2 मजदूरी के भुगतान में अनियमितताएं

मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(2) में कहा गया है कि स्कीम के अन्तर्गत आवंटित कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्य दिवस हेतु निर्धारित मजदूरी दर पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा। मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 7.13.8 में निर्धारित है कि श्रमिकों की मजदूरी की गणना कार्य-निष्पादन[26] के आधार पर की जानी चाहिए। मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों की अनुसूची-I के परिच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि मस्टर रोल बंद होने के तीन दिनों के भीतर केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा कार्यस्थल पर ली गई माप के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में किए गए भुगतानों के संबंध में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं :

i) **अल्प भुगतान:** 24 ग्राम पंचायतों में से दो ग्राम पंचायतों में तीन कार्यों के संबंध में 28 श्रमिकों को ₹ 11,624 का अल्प भुगतान किया गया, यह अल्प भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा लागू मजदूरी दरों में कमी किए जाने के कारण हुआ, जबकि तकनीकी सहायक द्वारा निर्धारित प्रचलित मजदूरी दरें लागू की गई थीं एवं एक अन्य मामले में यह त्रुटि ग्राम पंचायत की चूक के कारण हुई।

---

26 इसका आशय किसी निश्चित समय अवधि (आमतौर पर एक दिन) के भीतर श्रमिकों के एक समूह से अपेक्षित कार्य की मात्रा से है।

ii) **बिना सत्यापन के भुगतान:** नमूना-जांचित 24 ग्राम पंचायतों में से चार में 193 कार्यों में से 10 में किसी अधिकृत तकनीकी व्यक्ति द्वारा सत्यापन किए बिना 30 मस्टर रोल के माध्यम से ₹ 4.17 लाख का भुगतान किया गया। संबंधित ग्राम पंचायतों ने मस्टर रोल के सत्यापन की कमी का कारण कार्मिकों की कमी को बताया।

iii) **कार्य निष्पादन के बिना भुगतान:** चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से सात ग्राम पंचायतों[27] में चयनित 193 कार्यों में से आठ कार्यों के नौ मस्टर रोल के प्रति ₹ 67,200 का भुगतान किया गया, जबकि ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा किए गए क्षेत्र निरीक्षण में यह पाया गया कि इन कार्य-स्थलों पर कोई कार्य निष्पादन नहीं हुआ था। हालांकि, नरेगासॉफ्ट पर बनाये गए परिसंपत्ति रजिस्टरों में 274 मानव-दिवसों का कार्य दिखाया गया। कार्यों की निगरानी हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के स्तर पर समन्वय की कमी के कारण ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की प्रथाएं परिलक्षित हो रही हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि नरेगासॉफ्ट पर इलेक्ट्रॉनिक-माप पुस्तिकाएं नहीं भरी जा रही थीं और तकनीकी कर्मचारियों द्वारा केवल माप पुस्तिका की भौतिक प्रति ही भरी जा रही थी, जो उच्च अधिकारियों द्वारा कार्य के निष्पादन एवं निगरानी के सत्यापन को सीमित करती है। इसके अतिरिक्त नरेगासॉफ्ट में पूर्ण किए गए कार्यों की जियो-टैग्ड छवियों को संलग्न करने, उन्हें मजदूरी भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने का प्रावधान नहीं है, जिससे कार्य निष्पादन के बिना भुगतान जैसी स्थितियों से बचा जा सकता था।

ग्राम पंचायतों ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए कहा (सितंबर 2024) कि संबंधित व्यक्तियों से वसूली की जाएगी।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने वेतन भुगतान में हुई चूकों को स्वीकार किया और इन मामलों में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सरकार ने यह भी बताया कि इस मामले को भारत सरकार के समक्ष उठाया जाएगा ताकि राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन के माध्यम से उपस्थिति को वेतन भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए नरेगासॉफ्ट में प्रावधान किया जा सके।

3.5.3 उपस्थिति में अनियमितताएं

3.5.3.1 राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2022-23 के परिच्छेद 22.6 में यह अनिवार्य किया गया है कि जब मास्टर रोल में 20 या उससे अधिक श्रमिक शामिल हों; तो कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करने

[27] बग, जरोट, कमलोटा, कठोली, मंडेश्वर, सेर जागास व शिलान्जी।

के लिए राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन का उपयोग किया जाए, जिसमें सुबह व दोपहर के सत्रों के मध्य क्रमशः पहली और दूसरी तस्वीर लेने के लिए सख्ती से चार घंटे का अंतर रखते हुए दो टाइम-स्टैम्प व जियो-टैग वाली तस्वीरें खींची जाएं। सभी श्रमिकों (व्यक्तिगत लाभार्थी स्कीम/परियोजना के अतिरिक्त) की उपस्थिति राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के माध्यम से दर्ज करना अनिवार्य था।

राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली पोर्टल पर अपलोड किये गए एक छायाचित्र में चार श्रमिकों की उपस्थिति दर्शाई गई, जबकि 10.08.2024 को ग्राम पंचायत जडला (सोलन) में ई-मस्टर रोल संख्या 4516 में 10 श्रमिक उपस्थित दर्शाए गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन पर केवल पिछले 15 दिनों की ही उपस्थिति प्रदर्शित हो रही थी। अतः चुने गए कार्यों के निष्पादन के दौरान राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति की प्रामाणिकता एवं शुद्धता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में कमी केवल दो प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में 60 मस्टर रोल पर तैनात मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति/ छायाचित्र का आगे विश्लेषण किया गया (जुलाई-सितंबर 2024) और पाया गया कि नरेगासॉफ्ट में उपस्थिति को ठीक से अंकित/अपलोड नहीं किया गया था, जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

अ) छः मस्टर रोल[28] (51 श्रमिक तैनात) में कार्यस्थल का पहला या दूसरा छायाचित्र प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में अपलोड पाया गया, तथापि अपलोड किये गए छायाचित्र में कोई भी श्रमिक दिखाई नहीं दे रहा था।

ब) 36 मस्टर रोल[29] (241 श्रमिक तैनात) में श्रमिकों का दूसरा छायाचित्र एमआईएस में अपलोड नहीं किया गया था।

स) 18 मस्टर रोल[30] (113 श्रमिक तैनात) में मस्टर रोल पर तैनात 113 श्रमिकों के प्रति 71 श्रमिक नरेगासॉफ्ट में लिए गए छायाचित्रों में दिखाई दिए।

28 कांगड़ा: चार व सिरमौर: दो

29 कांगड़ा: 19, सिरमौर: दो व सोलन: 15

30 कांगड़ा: 10 व सोलन: आठ

उपरोक्त मामलों में मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति संबंधी आंकड़ों में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाई गईं, जिनमें गायब या अधूरे छायाचित्र थे। कई कार्यस्थलों के छायाचित्र या तो बिना श्रमिकों के लिए गए थे अथवा आवश्यकतानुसार अपलोड नहीं किये गए थे, जो राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली के दिशा-निर्देशों के उचित अनुपालन के अभाव का परिचायक है।

3.5.3.2 राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लीकेशन में उपस्थिति के बावजूद श्रमिकों की भौतिक अनुपस्थिति

ग्राम पंचायत जरोट में 11:45 पूर्वाहन से 12:15 अपराहन के मध्य राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन के उपस्थिति अभिलेखों की भौतिक जांच एवं संवीक्षा (13 अगस्त 2024) से पता चला कि दो पृथक कार्यस्थलों पर कुल 16 श्रमिकों में से केवल 10 श्रमिक ही उपस्थित थे। शेष छः श्रमिक, जो उस दिन राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली एप्लिकेशन में उपस्थित के रूप में अंकित थे, लेखापरीक्षा द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ की गई जांच के दौरान अनुपस्थित पाए गए, जो छः श्रमिकों की उपस्थिति की गलत रिपोर्टिंग को दर्शाता है।

खंड विकास अधिकारी, नगरोटा सूरियां ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2024) कि ग्राम पंचायत जरोट से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया कि इस संबंध में जांच की जाएगी।

3.5.3.3 मस्टर रोल पर हस्ताक्षर के बिना भुगतान

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 7.11.3 में निर्दिष्ट है कि प्रत्येक श्रमिक की नाम सहित उपस्थिति एवं अदा की गई मजदूरी को मस्टर रोल में दर्ज किया जाना चाहिए और उसे उसके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान से सत्यापित किया जाना चाहिए।

मस्टर रोल पर हस्ताक्षर के बिना मजदूरी का भुगतान निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन है, जो भुगतान प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर करता है तथा संभावित धोखाधड़ी की प्रथाओं की अनुमति देता है। चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से दो में 193 कार्यों में से तीन कार्यों में संलिप्त चार श्रमिकों को तीन मस्टर रोल पर उनके हस्ताक्षर के बिना भुगतान किया गया, जैसाकि **चित्र 5** में दर्शाया गया है।

चित्र 5: श्रमिक के हस्ताक्षर सुनिश्चित किए बिना प्रक्रिया किया गया मस्टर रोल (उदाहरण)

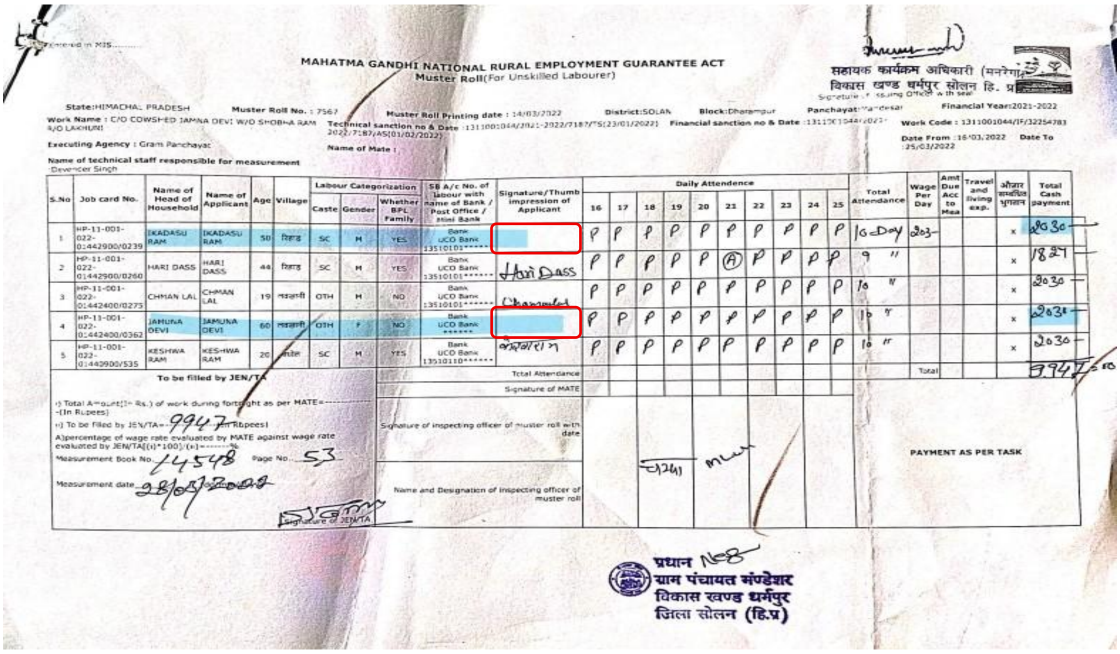

Entered in MIS.........

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Muster Roll(For Unskilled Labourer)

सहायक कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)
विकास खण्ड धर्मपुर सोलन हि. प्र.
Signature of Issuing Officer with seal

State:HIMACHAL PRADESH | Muster Roll No. : 7567 | Muster Roll Printing date : 14/03/2022 | District:SOLAN | Block:Dharampur | Panchayat:Mandesar | Financial Year:2021-2022

Work Name : C/O COWSHED JAMNA DEVI W/O SHOBHA RAM R/O LAKHUNI

Technical sanction no & Date :1311001044/2021-2022/7187/TS(23/01/2022) | Financial sanction no & Date :1311001044/2021-2022/7187/AS(01/02/2022)

Work Code : 1311001044/IF/32254783

Date From :16/03/2022 Date To :25/03/2022

Executing Agency : Gram Panchayat

Name of Mate :

Name of technical staff responsible for measurement : Devender Singh

S.No	Job card No.	Name of Head of Household	Name of Applicant	Age	Village	Labour Categorization: Caste	Gender	Whether BPL Family	SB A/c No. of labour with name of Bank / Post Office / Mini Bank	Signature/Thumb impression of Applicant	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Total Attendance	Wage Per Day	Amt Due Acc to Mea	Travel and living exp.	औजार सम्बंधित भुगतान	Total Cash payment
1	HP-11-001-022-01442900/0239	IKADASU RAM	IKADASU RAM	50	रिहड़	SC	M	YES	Bank UCO Bank 13510101******		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10 Day	203-			x	2030-
2	HP-11-001-022-01442900/0260	HARI DASS	HARI DASS	44	रिहड़	SC	M	YES	Bank UCO Bank 13510101******	Hari Dass	P	P	P	P	P	(A)	P	P	P	P	9 "				x	1827
3	HP-11-001-022-01442400/0275	CHMAN LAL	CHMAN LAL	19	लखूनी	OTH	M	NO	Bank UCO Bank 13510101******	Chamanlal	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10 "				x	2030
4	HP-11-001-022-01442400/0362	JAMUNA DEVI	JAMUNA DEVI	60	लखूनी	OTH	F	NO	Bank UCO Bank ******		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10 "				x	2030
5	HP-11-001-022-01440900/535	KESHWA RAM	KESHWA RAM	20	[illegible]	SC	M	YES	Bank UCO Bank 13510110******	केशवराम	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	10 "				x	2030
										Total Attendance												Total				9947/-
										Signature of MATE																

To be filled by JEN/TA

i) Total Amount(in Rs.) of work during fortnight as per MATE= -(In Rupees)

ii) To be filled by JEN/TA= 9947 (in Rupees)

A)percentage of wage rate evaluated by MATE against wage rate evaluated by JEN/TA[(i)*100]/(ii)=------%

Measurement Book No. 14548 Page No. 53

Measurement date 28/03/2022

Signature of JEN/TA

Signature of inspecting officer of muster roll with date

Name and Designation of inspecting officer of muster roll

PAYMENT AS PER TASK

प्रधान
ग्राम पंचायत मंडेशर
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला सोलन (हि.प्र.)

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए सरकार ने प्रत्युत्तर दिया कि इस संबंध में जांच की जाएगी तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

3.5.3.4 मस्टर रोल में अनियमितताएं

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 7.9 प्रावधान करता है कि मस्टर रोल को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाना चाहिए तथा ग्राम पंचायतों को कार्य प्रारंभ करने के अपने आशय की घोषणा की तिथि से तीन दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वार्षिक मास्टर परिपत्र 2018-19 के परिच्छेद 7.11.5 में प्रावधान है कि कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सत्यापित ई-मस्टर रोल (या पेपर मस्टर रोल, यदि राज्य में प्रयोग हो रहा हो तो) के उचित क्रमांक सहित प्रिंटआउट को संबंधित सहकर्मी या ग्राम रोजगार सेवक द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु कार्य स्थल पर अनुरक्षित किया जाए। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में सहकर्मी नियुक्त नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में मस्टर रोल से संबंधित निम्नलिखित कमियां पाईं:

i) अनियमित मस्टर रोल का सृजन

नमूना-जांचित 24 ग्राम पंचायतों में से चार[31] के 193 नमूना कार्यों में से सात में पाया गया कि संबंधित कार्यक्रम अधिकारी ने अगस्त 2021 से अगस्त 2023 तक 56 परिवारों के लिए

31 बनोना, मतल भकोग, पड्डर व सेर जगास

रोजगार सृजन हेतु 11 मस्टर रोल जारी किए। इन मस्टर रोल के अनुसार, संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा 775 मानव-दिवसों के लिए 53 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। हालांकि नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार संबंधित अवधियों के दौरान इन मस्टर रोल के सापेक्ष कोई भी कार्य निष्पादित पाया नहीं गया। इन मस्टर रोल के लिए कोई मजदूरी भुगतान भी नहीं किया गया था।

इन 11 मस्टर रोल में से तीन का सत्यापन संबंधित तकनीकी कर्मियों अथवा संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधान द्वारा भी किया गया था।

ग्राम पंचायतों ने तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकार किया।

ii) मस्टर रोल के प्रारूप में भिन्नता

लेखापरीक्षा में 17 ग्राम पंचायतों से संबंधित 193 कार्यों में से 18 कार्यों में यह पाया गया कि:

अ) हालाँकि निर्धारित मस्टर रोल में सात दिनों की उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान है, लेखापरीक्षा में जांचे गए 31 नमूना मस्टर रोल में 10/13/14/15 दिनों का स्थान था। यहां उल्लिखित मस्टर रोल की संख्या केवल उदाहरण स्वरूप है, जो कि मस्टर रोल के निर्धारित प्रारूप के उपयोग में पाई गई अनियमितता को दर्शाता है।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में सरकार ने बताया कि पहाड़ी राज्यों को मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देशों में निर्धारित सात-दिवसीय मस्टर रोल प्रारूप का पालन करने से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्य होने के लिए नरेगासॉफ्ट में मस्टर रोल को 14 दिनों के लिए अनुमति दी जा रही है।

हालांकि लेखापरीक्षा को ऐसे निर्देशों की प्रति या उनके जारी होने की तिथि उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अतिरिक्त, यह देखते हुए कि मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, लंबी अवधि वाले मस्टर रोल का मतलब श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त करने के लिए अधिक समय तक प्रतीक्षा करना है।

ब) सरपंच/प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर के लिए स्थान नहीं था, जिसके कारण चयनित कार्यों में ग्राम पंचायतों के सरपंच/प्रधान के हस्ताक्षर के बिना 22 मस्टर रोल के आधार पर भुगतान हो गए। दिव्यांग श्रमिकों की पहचान हेतु कोई विशिष्ट बॉक्स प्रदान नहीं किया गया था, जिससे मस्टर रोल से उनके रोजगार का सत्यापन नहीं हो सका।

स) उपस्थिति दर्ज करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के लिए पंक्ति अनुपस्थित थी, जिसके कारण मस्टर रोल में अप्रमाणित कटौती/ओवरराइटिंग हुई और गबन या अवैतनिक मजदूरी का जोखिम बढ़ा।

द) मस्टर रोल में भुगतान के प्रकार को भी अलग-अलग दर्शाने के लिए निर्धारित स्तंभ/पंक्तियां नहीं बनाई गई।

3.6 निष्कर्ष

मनरेगा की चार प्रमुख गतिविधियों (योजना, बजट, निष्पादन व भुगतान) पर की गई लेखापरीक्षा, योजना के कार्यान्वयन को प्रत्येक चरण पर सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता को परिलक्षित करते है, क्योंकि प्रमुख नियंत्रण उपायों को या तो छोड़ा जा रहा है अथवा उन्हें केवल औपचारिक रूप से लागू किया जा रहा है। योजना अभी भी तदर्थ बनी हुई है: नमूना-जांचित किसी भी जिले ने अनिवार्य पांच वर्षीय जिला परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की तथा ग्राम पंचायतों ने स्थानीय आवश्यकताओं, आयामों या जीआईएस विश्लेषण से कोई संबंध न रखते हुए कार्यों का शेल्फ तैयार किया। परिणामस्वरूप परियोजनाओं का चयन अनुक्रम के बाहर एवं स्पष्ट प्राथमिकताओं के बिना किया गया। श्रम बजट तैयार करने की प्रक्रिया भी उतनी ही कमजोर थी। ग्राम पंचायतों ने घर-घर या आधारभूत सर्वेक्षण, अनुसूची दर या कार्य-समय-गति अध्ययन का उपयोग करने के बजाय, अधिकतम लागत को मजदूरी दरों से विभाजित करके व्यक्ति-दिवसों का अनुमान बनाया; 2019-24 में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

कार्यों के निष्पादन में नमूना के लगभग आधे कार्यों में लम्बा विलम्ब था, उन्हें अधूरा छोड़ दिया गया अथवा कभी आरंभ ही नहीं किया गया। पंचवटी-पार्क के कार्यों पर ₹ 4.41 करोड़ की अस्वीकार्य राशि खर्च की गई, जो मनरेगा कार्यों की अधिकृत सूची में शामिल नहीं थे। सामग्रियों हेतु केंद्रीकृत निविदा को दरकिनार कर दिया गया, जिससे निकटवर्ती पंचायतों में मूल्य भिन्नता आई। भुगतानों पर नियंत्रण भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। यह भी पाया गया कि मस्टर रोल अनियमित थे अथवा उनमें श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं थे। राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली उपस्थिति डेटा को मजदूरी सृजन से नहीं जोड़ा गया था, जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 3.41 लाख के विलम्बित मजदूरी लेनदेन हुए–जिसमें 90 दिनों से अधिक विलम्ब के 5,523 मामले शामिल थे, फिर भी सिस्टम ने परिणामी मुआवजे की देयता की न तो गणना की और न ही उसे अभिलिखित किया। आजीविका सुदृढ़ करने के अवसर भी चूक गए; उन्नति कौशल उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यित 4,810 श्रमिकों में से केवल 710 को ही प्रशिक्षित किया गया, जिससे ₹ 1.29 करोड़ की अधिकांश वजीफा अनुदान राशि अप्रयुक्त रह गई। ये चूकें जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं कार्यक्रम अधिकारियों की कमजोर निगरानी को परिलक्षित

करती हैं और एक सुदृढ़ जवाबदेही ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो योजना मानकों, डेटा-आधारित बजट निर्माण, समयबद्ध निष्पादन तथा सत्यापन योग्य भुगतानों को लागू करे।

3.7 अनुशंसाएं

राज्य सरकार:

- ***जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि जॉब कार्ड जारी करने/अद्यतन करने, कार्यों के निष्पादन व मजदूरी के भुगतान में होने वाले असामान्य विलम्ब को रोका जा सके।***

- ***कार्यों की शेल्फ एवं श्रम बजट मनरेगा दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करें।***

अध्याय-IV

हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं

अध्याय IV: हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं

पशुपालन विभाग

4.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश सरकार का पशुपालन विभाग, राज्य में पशुधन के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। इसके कार्यों में पशुधन की आनुवंशिक क्षमता में सुधार, प्रभावी स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम व नियंत्रण, वैज्ञानिक पोषण एवं प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा दूध, अंडे, मांस एवं ऊन के उत्पादन में वृद्धि जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह विभाग संकटग्रस्त नस्लों के संरक्षण और पशुपालकों को विस्तार सेवाएं जैसे प्रशिक्षण, जागरूकता गतिविधियां, आदि प्रदान करने में भी संलिप्त है।

20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 59,41,142[1] पशुधन एवं कुक्कुट की आबादी थी। विभाग उसके विभिन्न संस्थानों के माध्यम से पशुधन के उपचार व टीकाकरण की सेवाएं प्रदान करता है, जैसाकि **परिच्छेद 4.1.2** में विवर्णित है।

4.1.1 विभाग का संगठनात्मक पदानुक्रम

राज्य में पशुधन के समग्र विकास हेतु जिम्मेदार पशुपालन विभाग का संगठनात्मक ढांचा **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: संगठनात्मक ढांचा

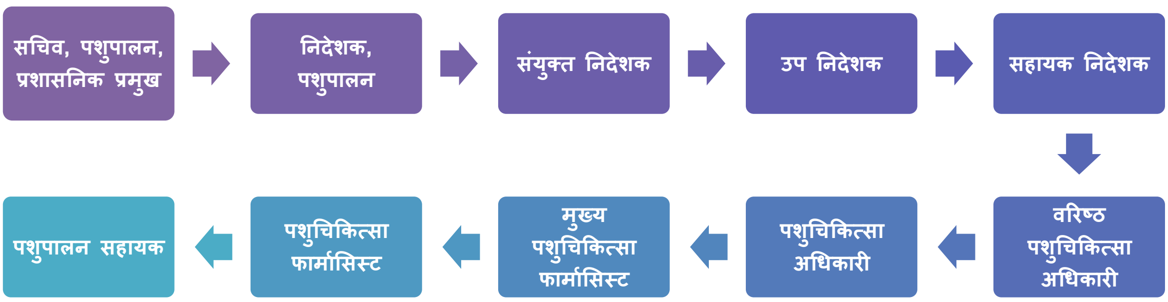

---

[1] गाय-18,28,017, भैंस-6,46,565, भेड़-7,91,345, बकरी-11,08,413 व अन्य पशु (घोड़ा/गधा/कुक्कुट आदि)-15,66,802

4.1.2 विभाग का संस्थागत ढांचा

विभाग पशु चिकित्सा संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से किसानों/पशुपालकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जिला स्तर पर समग्र प्रभारी उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन होता है, जो उनके क्षेत्राधिकार में सभी विभागीय गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। जिला-स्तरीय क्षेत्रीय ढांचे में पशु चिकित्सा संस्थानों का एक नेटवर्क होता है, जैसे उप-मंडल स्तर पर उपमंडलीय पशु चिकित्सालय, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी[2] करते हैं, जिन्हें मुख्य पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट[3] व पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट सहायता प्रदान करते हैं। खण्ड/तहसील/पंचायत स्तर पर, पशु चिकित्सालय होते हैं जिनका नेतृत्व पशु चिकित्सा अधिकारी[4] करते हैं, जिन्हें आगे पशुपालन सहायकों व पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालय भी हैं जो पशु चिकित्सालय के कार्यों का निर्वहन करते हैं और उनका नेतृत्व पशु चिकित्सा अधिकारी करते हैं। पंचायत/ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों द्वारा पशु चिकित्सा औषधालय संचालित होते हैं। मुख्य पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, पशुपालन सहायकों व पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों की सहायता से रोगों के विरुद्ध टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, दवा देने जैसे कार्यों की निगरानी एवं संचालन करते हैं। राज्य के पशु चिकित्सा संस्थान **चार्ट 4.2** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 4.2: 31 मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थान

- **राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला (1)**
- **आंचलिक पशु चिकित्सालय (3)**
- **उपमंडलीय पशु चिकित्सालय (60)**
- **पशु चिकित्सालय (362), केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालय (30)**
- **पशु चिकित्सा औषधालय (1,762)**
- **पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक (10), महामारी प्रयोगशाला (1), रोग जांच प्रयोगशालाएं (2)**

---

2 वह निदान व उपचार के लिए जिम्मेदार होता है, सभी छोटे और बड़े ऑपरेशन करता है, अधीनस्थ कर्मचारियों की छुट्टियों की सिफारिश करता है एवं सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और दवाओं की आपूर्ति के लिए मांग-पत्र प्रस्तुत करता है।

3 वह दवाओं व उपकरणों का प्रभारी है और सभी संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा।

4 वह निदान व उपचार के लिए जिम्मेदार होता है, सभी छोटे और बड़े ऑपरेशन करता है एवं सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा दवाओं की आपूर्ति हेतु मांग-पत्र प्रस्तुत करता है।

4.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली पशु चिकित्सा सेवाओं का आकलन करने हेतु की गई थी। मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु ऐसी योजना सुनिश्चित की गई, जिसमें वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो;
- मानव संसाधनों, बुनियादी ढांचे, गुणवत्तापूर्ण औषधियों/टीकों व उपकरणों की उपलब्धता पर्याप्त थी और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया;
- सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उचित निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र मौजूद थे।

4.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों से व्युत्पन्न किए गए :

- औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन नियम, 1945;
- मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना, 2021 के लिए दिशा-निर्देश;
- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 एवं हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011;
- पशु चिकित्सा औषधियों की खरीद हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की नीति दिशा-निर्देश, 2017;
- पशुपालन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी विभागीय नियम-पुस्तिका, 2013 (अगस्त 2018 तक संशोधित)/नीतियां/नियम व विनियम।

4.1.5 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2021-24 हेतु लेखापरीक्षा सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक की गई। चयनित चार आहरण एवं संवितरण कार्यालयों तथा निदेशालय के अधीन पशु चिकित्सा संस्थानों के अभिलेखों की जांच की गई, जिसमें 11 उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, 22 पशु चिकित्सालय व 44 पशु

चिकित्सा औषधालय शामिल थे। इसके अतिरिक्त, तीन केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालयों, तीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, राज्य पशु चिकित्सालय व महामारी विज्ञान प्रयोगशाला (शिमला), क्षेत्रीय पशु चिकित्सालयों (मंडी, ऊना, कांगड़ा) तथा रोग नियंत्रण प्रयोगशालाओं (मंडी, शिमला) के अभिलेखों की समीक्षा की गई। 29 संस्थानों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण तथा 310 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया।

सचिव (पशुपालन) के साथ सितंबर 2024 में आयोजित प्रथम बैठक में लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं मानदंडों पर चर्चा की गई। सितंबर 2025 में आयोजित अंतिम बैठक में सचिव (पशुपालन) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार के उत्तरों को प्रतिवेदन में यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

4.1.6 पूर्व लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में "पशुधन के रखरखाव/सुधार के लिए स्कीम" पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को शामिल किया गया था। जून 2021 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति ने इस प्रतिवेदन की जांच की तथा अगस्त 2021 में समिति ने विधान सभा में उसके निष्कर्ष प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित मुद्दों पर लोक लेखा समिति ने संस्तुतियां दीं, जिनमें पशुधन की संख्या में गिरावट, उत्पादकता हेतु संकर प्रजनन धीमी प्रगति, अपर्याप्त पशु चिकित्सा समावेशन व पशुधन उत्पाद का कम उत्पादन, निधियों का कम उपयोग तथा किसानों को नर भेड़/भेड़ों की आपूर्ति में कमी शामिल थे। की गई आठ संस्तुतियों में से पांच का निपटान किया गया जबकि तीन लंबित हैं, जिनमें मानव संसाधन की कमी व अधोसंरचना पूर्ण न होने से संबंधित संस्तुतियां शामिल हैं।

4.2 विभाग की निधि प्रास्थिति

वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान, विभाग ने वर्ष 2021-24 के ₹ 1,562.78 करोड़ के बजट आवंटन के सापेक्ष ₹ 68.86 करोड़ का अव्ययित शेष रखते हुए ₹ 1,493.92 करोड़ का व्यय किया। वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान वेतन, दवा व उपकरण, बुनियादी ढांचे एवं प्रशिक्षण पर किए गए व्यय का विवरण **तालिका 4.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1: 2021-24 के दौरान महत्वपूर्ण घटकों पर बजट व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल		वेतन		दवा व उपकरण		प्रमुख कार्य		प्रशिक्षण	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
2021-22	441.73	421.78	305.68	288.43 (68.38)	13.50	13.11 (3.11)	19.61	19.54 (4.63)	0.32	0.32 (0.08)
2022-23	494.86	492.39	381.45	379.61 (77.10)	11.07	11.02 (2.24)	15.38	15.38 (3.12)	0.09	0.08 (0.02)
2023-24	626.19	579.75	423.68	410.00 (70.72)	10.61	8.32 (1.44)	10.06	7.01 (1.21)	0.05	0.05 (0.01)
योग	**1,562.78**	**1,493.92**	**1,110.81**	**1,078.04**	**35.18**	**32.45**	**45.05**	**41.93**	**0.46**	**0.45**

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल व्यय के सापेक्ष घटकों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि बजट का 68 प्रतिशत से 77 प्रतिशत तक का अधिकांश भाग विभागीय कर्मचारियों के वेतन हेतु आवंटित किया गया। इस अवधि के दौरान दवाओं व उपकरणों, बुनियादी ढांचे एवं प्रशिक्षण पर व्यय का महत्वपूर्ण घटक कुल विभागीय व्यय के आठ प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत हो गया, जो परिलक्षित करता है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के समुचित सृजन एवं कार्मिकों के क्षमता-निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई।

विभाग ने उसके उत्तर में बताया (जून 2025) कि सरकार द्वारा आवंटित बजट के अनुसार व्यय किया जाता है तथा प्राप्त बजट इन शीर्षों के अंतर्गत मांगी गई राशि से कम था।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि विभागीय बजट का एक बड़ा भाग वेतन पर प्रतिबद्ध है तथा प्राथमिकता राज्य की वित्तीय बाधाओं के कारण निर्धारित होती है, जिसके कारण अन्य व्ययों से पूर्व वेतन का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में योजना, वित्तीय प्रबंधन, खरीद, बुनियादी ढांचे, निगरानी व सेवा वितरण में कई कमियां उजागर हुई, जो अनुवर्ती परिच्छेदों में विवर्णित है।

4.3 योजना एवं मानव संसाधन

4.3.1 वार्षिक कार्य-योजनाओं की तैयारी में अनुपालन-हीनता

राज्य सरकार की कार्यालय नियम-पुस्तिका (2011) की धारा 14.10.1 व 18.16 में प्रत्येक निदेशालय एवं विभाग से हर वर्ष जनवरी या फरवरी माह में, सभी विभागीय योजनाओं व परियोजनाओं हेतु अग्रिम रूप से एक वार्षिक कार्य-योजना तैयार करना अपेक्षित हैं। वार्षिक कार्य-योजना में लक्ष्य व उद्देश्य, नीतिगत पहल, प्रमुख कार्यक्रम व स्कीमें, लक्ष्यों का मासिक

या त्रैमासिक विवरण, बजट, सुधार और निगरानी तंत्र शामिल होने चाहिए। योजना में जवाबदेही को भी परिभाषित किया जाना चाहिए, समय-समय पर समीक्षा का प्रावधान, पर्यवेक्षक स्तर पर मासिक एवं विभागाध्यक्ष/सचिव स्तर पर त्रैमासिक होना चाहिए तथा यह प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य करे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-24 के दौरान विभाग ने ऐसी वार्षिक कार्य-योजनाएं तैयार नहीं कीं। इसके बजाय उसने हर वर्ष अप्रैल-मई में जिला-वार भौतिक लक्ष्य जारी किए, जो केवल तदर्थ आधार पर मात्रात्मक न्यूनतम मानदंड प्रदान करते थे, जिसमें रणनीतिक योजना का अभाव था। मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह की टिप्पणियों के बावजूद यह कमी बनी रही।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए विभाग ने बताया कि लक्ष्य बजटीय आवंटन के आधार पर निरुपित किए गए थे।

4.3.2 प्रमुख पशु चिकित्सा कार्मिकों की कमी

वर्ष 2021-24 के दौरान विभाग में प्रमुख पशु चिकित्सा पदाधिकारियों की स्वीकृत संख्या की तुलना में पदस्थ कार्मिकों का विवरण **तालिका 4.2** में दिया गया है।

तालिका 4.2: 2021-24 के दौरान राज्य में प्रमुख पशु चिकित्सा पदाधिकारियों की उपलब्धता का विवरण

पद का नाम	2021-22			2022-23			2023-24		
	स्वीकृत संख्या	पदस्थ कर्मी	रिक्ति (प्रतिशत में)	स्वीकृत संख्या	पदस्थ कर्मी	रिक्ति (प्रतिशत में)	स्वीकृत संख्या	पदस्थ कर्मी	रिक्ति (प्रतिशत में)
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	67	62	5 (*7*)	67	67	0	67	54	13 (*19*)
पशु चिकित्सा अधिकारी	507	360	147 (*29*)	468	402	66 (*14*)	468	402	66 (*14*)
पशु फार्मासिस्ट	2,353	1,854	499 (*21*)	2,355	1,964	391 (*17*)	2,355	1,905	450 (*19*)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

तालिका 4.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-24 के दौरान प्रमुख पदाधिकारियों के रिक्त पदों की संख्या सात से 29 प्रतिशत के मध्य रही। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में पशु चिकित्सा कार्मिकों की कमी के मुद्दे को भी रेखांकित किया गया था।

यह भी देखा गया कि राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला में लैब तकनीशियन एवं रेडियोग्राफर के स्वीकृत पद क्रमशः फरवरी 2019 व सितंबर 2020 से रिक्त थे। नमूना-जांचित चार आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में प्रमुख कार्मिकों की उपलब्धता की स्थिति **परिशिष्ट 4.1** में दी गई है। उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन, केलोंग के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 24 पशु चिकित्सा औषधालयों में से वर्ष 2021-22 में दस, वर्ष 2022-23 में 12 और वर्ष 2023-24 में 14 औषधालय बिना किसी पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के संचालित हो रहे थे। कार्मिकों की कमी के कारण पशुओं को अपूर्ण उपचार दिए जाने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता।

विभाग ने उसके उत्तर में बताया (सितंबर 2025) कि विभाग में सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति एक नियमित प्रक्रिया है, जिसके कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। वह सरकार के समक्ष मामला उठाकर रिक्त पदों को भरने का प्रयास करेगा।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने बताया कि पंचायतों के अधीन लगभग 80 प्रतिशत संस्थानों में कर्मचारी हैं और क्योंकि ये संस्थान समीप ही हैं अतः आवश्यकता होने पर लाभार्थी समीपवर्ती केंद्रों से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। लेखापरीक्षा का मत है कि समीपवर्ती केंद्रों पर निर्भरता से उपचार में देरी होगी, जिससे पशु चिकित्सा सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति प्रभावित होगी।

4.4 दवाओं की खरीद, गुणवत्ता आश्वासन एवं उपभोग

4.4.1 उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना दवाओं व उपकरणों की खरीद

विभागीय नियम-पुस्तिका, 2013 (अगस्त 2018 तक संशोधित) की धारा 2.10 की उप-धारा v व vi के अनुसार, उप निदेशक उसके नियंत्रणाधीन संस्थानों को दवाओं, उपकरणों और ऐसे अन्य यंत्रों की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। दवाओं/उपकरणों और अन्य यंत्रों की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए, उप निदेशक उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पशु चिकित्सा संस्थानों से वार्षिक मांग-पत्र मंगाएंगे और फिर उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी संस्थानों का एक समेकित मांग-पत्र बनाएंगे। दवाओं की खरीद के लिए मांग-पत्र नोडल एजेंसी[5] को आर्डर (खरीद की मांग) करने हेतु अग्रेषित किए जाएंगे।

नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-24 के दौरान दवाओं (₹ 5.32 करोड़) एवं पशु चिकित्सा उपकरणों (₹ 2.23 करोड़) की खरीद पर

[5] हिमाचल प्रदेश राज्य ऊन खरीद एवं विपणन संघ लिमिटेड

₹ 7.55 करोड़ का व्यय, संबंधित क्षेत्रीय पशु चिकित्सा इकाइयों से औपचारिक मांग-पत्र प्राप्त किए बिना किया गया।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने बताया कि विभाग के अधीन संस्थानों की बड़ी संख्या को देखते हुए प्रत्येक से मांग-पत्र प्राप्त करना व्यावहारिक नहीं है। हालांकि यह आश्वासन दिया गया कि खरीद समिति के सदस्य उनके कार्मिकों के साथ निरंतर परामर्श के माध्यम से क्षेत्र की आवश्यकताओं से पूरी तरह अवगत हैं। यह भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई कि प्रक्रियाओं को व्यावहारिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने के लिए विभागीय नियम-पुस्तिका में संशोधन किया जाएगा तथा जहां भी आवश्यक होगा, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.4.2 विश्लेषणात्मक जाचं रिपोर्ट के बिना स्वीकृत दवाएं

दर संविदा की विशिष्ट शर्तों व नियमों की धारा 9 (2) के अनुसार अनुमोदित आपूर्तिकर्ता को सभी बैचों के संबंध में आपूर्ति के साथ-साथ केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी भी सरकारी विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला या किसी केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से जांच प्रमाणपत्र/विश्लेषण रिपोर्ट अलग से प्रदान करनी होगी। आपूर्ति केवल उपरोक्त विश्लेषणात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही पूरी मानी जाएगी।

वर्ष 2021-24 के दौरान पूर्ववर्ती परिच्छेद में उल्लिखित ₹ 5.32 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 3.08 करोड़ मूल्य की 885 दवाएं (1,906 दवाओं में से), बिना संलग्न विश्लेषणात्मक जांच रिपोर्ट के प्राप्त की गईं, जैसाकि **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के बिना प्राप्त की गई दवाओं का विवरण

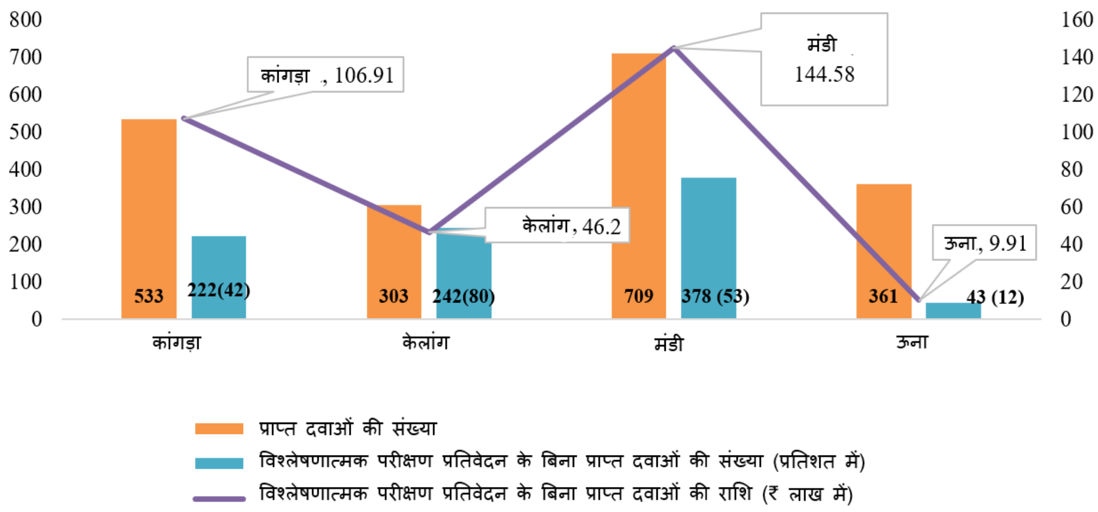

चार्ट 4.3 दर्शाता है कि सभी दवा आपूर्ति दृष्टांतों में से 12 से 80 प्रतिशत मामलों में अनिवार्य विश्लेषणात्मक जांच रिपोर्ट का अभाव था, जिससे पशु चिकित्सा संस्थानों में दी जा रही दवाओं की गुणवत्ता व सुरक्षा की गारंटी कमजोर होती है। इन रिपोर्टों के अभाव में आपूर्ति की गई दवाओं की गुणवत्ता सत्यापित नहीं की जा सकी।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

4.4.3 विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में एक्सपायर दवाओं का उपयोग

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 65 के उप-नियम 17 (अगस्त 1964 में संशोधित) के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी दवा की बिक्री या भण्डारण उसके कंटेनर, लेबल या रैपर पर अंकित प्रभाव की एक्सपायरी तिथि के बाद, या ऐसे कंटेनर पर अंकित किसी भी कथन या निर्देश के उल्लंघन में नहीं किया जाएगा।

नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में रोगी पशुओं के उपचारार्थ स्टॉक में, एक माह से लेकर 36 माह तक की अवधि पूर्व एक्सपायर हो चुकी बड़ी मात्रा में एक्सपायरी तिथि वाली दवाइयां पाई गईं, जिन्हें बाद में उपभोग किया गया, जैसाकि **तालिका 4.3** में विवर्णित है।

तालिका 4.3: वर्ष 2021-24 के दौरान नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में उपभोग की गई एक्सपायर हो चुकी दवाएं

आहरण एवं संवितरण कार्यालयों का नाम	एक्सपायर इंजेक्शन/ तरल दवाएं		एक्सपायर औषधिय चूर्ण		एक्सपायर ट्यूब/क्रीम		एक्सपायर बोलस/गोलियां		उन पशु चिकित्सा संस्थानों की संख्या जहां एक्सपायर दवाओं का उपयोग करना पाया गया	दवा के एक्सपायर होने के बाद उपयोग करने की अवधि (माह में)
	(संख्या में)	मात्रा (मिलीलीटर)	(संख्या में)	मात्रा (ग्राम)	(संख्या में)	मात्रा (ग्राम)	(संख्या में)	मात्रा (ग्राम)		
केलोंग	23	58,178	2	1,65,280	0	0	0	0	10	2 से 18
कांगड़ा	38	14,687	12	3,91,165	2	13	3	171	18	1 से 29
मंडी	56	25,542	13	28,353	2	18	2	135	21	1 से 36
ऊना	40	80,410	10	20,300	5	49	2	46	21	1 से 30
योग	**157**	**1,78,817**	**37**	**6,05,098**	**9**	**80**	**7**	**352**	**70**	**1 से 36**

एक्सपायर हो चुकी दवाओं का सेवन उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करता है तथा पशुओं के अप्रभावी उपचार का जोखिम उत्पन्न करता है।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि इस मामले की विस्तृत जांच की जाएगी।

4.4.4 निम्न स्तरीय दवाओं का संवितरण एवं उपभोग

पशु चिकित्सा दवाओं की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की नीति दिशा-निर्देश, 2017 के खंड जी(1) के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर मांगकर्ता नैदानिक मूल्यांकन या प्रयोगशाला जांच के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता का आकलन कर सकते हैं। खंड जी(2) में अनिवार्य है कि मांगकर्ता को केवल गुणवत्तापूर्ण दवाएं ही स्वीकार करनी होगी और उन्हें नियमित परीक्षण सुनिश्चित करना होगा तथा कोई भी कमी पाई जाने पर उसे तत्काल निदेशक, पशुपालन को रिपोर्ट करनी होगी। दर संविदा के विशिष्ट नियम एवं शर्तों के खंड 11(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई भी बैच बाद में निम्न स्तरीय, गलत लेबल वाली, नकली अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप न पाई जाए, तो उसकी लागत, पूर्व में भुगतान किए जाने के बावजूद निविदाकार से वसूल की जाएगी। निविदाकार को सूचना दिए जाने के 15 दिनों के भीतर अप्रयुक्त स्टॉक वापस लेना होगा अन्यथा मांगकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसका निपटान करने की लागत उसे वहन करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश राज्य में पशु चिकित्सा दवाओं सहित दवाओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सोलन व मंडी जिलों में दो प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2021-24 के दौरान राज्य की प्रयोगशालाओं में दवा के 364 नमूनों का परीक्षण किया गया। दवा के 364 नमूनों में से 235 दवाएं मानक गुणवत्ता की पाई गईं जबकि दवाओं के 10 नमूने[6] निम्न स्तर के पाए गए। यह भी पाया गया कि प्रयोगशाला से शेष 119 नमूनों के परिणाम 15 से 42 माह (जुलाई 2025 तक) की अवधि बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सके। विभाग के विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में नमूना परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना, निम्न स्तरीय[7] दवाओं का उपभोग पूरी तरह से/आंशिक रूप से कर दिया गया। निम्न स्तरीय दवाओं तथा वसूली की गई राशि का विवरण **तालिका 4.4** में दिया गया है।

---

[6] दो दवाओं (मॉवरोन स्प्रे व दायूर वेट बोलस) के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही सरकार ने निरस्त कर दी क्योंकि ये नमूने दवा निरीक्षक की अनुपस्थिति में एकत्र किए गए थे, जिनकी उपस्थिति औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अनिवार्य है।

[7] बाकी बचे आठ नमूनों में छः प्रकार की दवाएं शामिल थीं, जिन्हें आठ बैचों से एकत्र किया गया था।

तालिका 4.4: 2021-24 के दौरान राज्य में निम्न स्तरीय दवाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	दवा का नाम	बैच संख्या	आपूर्ति की गई मात्रा (संख्या/ किलोग्राम में)	कुल राशि	उपभोग की गई मात्रा (संख्या/ किलोग्राम में)	शेष मात्रा (संख्या/ किलोग्राम में)	वसूली की गई राशि	वसूली हेतु लंबित राशि
1	अल्टाई-200 (एल्बेंडाज़ोल)	इवीटी-22080	1,950	0.95	545	1,405	0.18	0.77
2	नेपाल चालीसा (1 किलोग्राम)	943	1,817	1.50	714	1,103	1.32	0.18
		940	1,825	1.51	1,825	0	0	1.51
3	ऑस्ट्रिन (1 किलोग्राम)	941	1,682	1.60	1,398	284	0.63	0.97
		938	1,156	1.10	1,156	0	0	1.10
4	जेंटामाइसिन	वीजीटीए-108	2,176	0.88	1,647	529	0	0.88
5	एनरोफ्लॉक्सासिन	वीईएनएफ-250	40	0.01	40	0	0	0.01
6	बीकोम-एल	एचबीके-21008	4,445	1.67	4,439	6	1.67	0
योग		-	**15,091**	**9.22**	**11,764**	**3,327**	**3.80**	**5.42**

इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा केंद्रीय पूल भंडारों को निम्न स्तरीय दवाओं की आपूर्ति की गई, जिनका उपभोग विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में रोगी पशुओं के उपचार हेतु किया गया, जिसका विवरण **तालिका 4.5** में दिया गया है।

तालिका 4.5: 2021-24 के दौरान नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में निम्न स्तरीय दवाओं के विवरण

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण कार्यालय	दवा का नाम	बैच संख्या	आपूर्ति की गई मात्रा	उपभोग की गई मात्रा	शेष मात्रा (वापस की गई/ निपटान की गई)
1	**केलोंग**	जेंटामाइसिन	वीजीटीए-108	476	313	163
2	**कांगड़ा**	ऑस्ट्रिन (1 किलोग्राम)	938	1,000	1,000	0
3		नेपाल चालीसा (1 किलोग्राम)	943	220	220	0
4			940	880	880	0
5	**मंडी**	बीकोम-एल	एचबीके-1008	1,245	1,239	6
6		अल्टाई-200 (एल्बेंडाज़ोल)	इवीटी-22080	1,750	545	1,205
7	**ऊना**	जेंटामाइसिन	वीजीटीए-108	200	200	0
8		बीकोम-एल	एचबीके-21008	300	300	0

उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि विभिन्न भंडारों में प्राप्त निम्न स्तरीय दवाओं का एक बड़ा भाग गुणवत्ता विषयक दुविधाएं चिह्नित करने से पूर्व ही पशुओं के उपचार हेतु उपयोग में ला दिया गया था, जो आपूर्ति एवं निगरानी तंत्र में गंभीर त्रुटियों को रेखांकित करता है। शेष मात्रा या

तो आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दी गई थी या वापसी की प्रक्रिया में थी, जिसके कारण रोगों की रोकथाम/उपचार में विभाग का मुख्य उद्देश्य उस सीमा तक प्रभावित हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थापित की गई दो प्रयोगशालाएं पशु चिकित्सा दवाओं का परीक्षण करने के अनुरोध पर कार्यवाही करने में असमर्थ थीं क्योंकि ये प्रयोगशालाएं मानव उपचार में प्रयुक्त दवाओं के परीक्षण का कार्य भी करती हैं। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी निम्न स्तरीय दवाओं का मुद्दा रेखांकित किया गया था।

विभाग ने उसके प्रत्युत्तर में बताया (सितंबर 2025) कि दवा परीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा निम्न स्तरीय दवाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं से वसूली भी की जाएगी।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने बताया कि परीक्षण रिपोर्टें आमतौर पर 12-18 माह बाद प्राप्त होती हैं। एक्सपायरी से बचने के लिए दवाओं का अग्रिम वितरण किया जाता है तथा यदि बाद में परीक्षण के परिणाम निम्न स्तरीय गुणवत्ता को दर्शाते हैं, तो शेष स्टॉक को तुरंत वापस मंगाकर आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दिया जाता है और शास्तियां अधिरोपित की जाती हैं।

4.4.5 उप-निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, मंडी में रेबीज-रोधी टीकों की अत्यधिक खरीद

भारत सरकार ने वर्ष 2021 में कुत्तों द्वारा संचारित रेबीज उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य 2030 तक रेबीज से होने वाली मानव मृत्यु को 75 प्रतिशत तक कम करना था। इसे मुख्य रूप से कुत्तों के काटने की घटनाओं की संख्या में 50 प्रतिशत की कमी लाकर एवं वर्ष 2025 तक रेबीज के विरुद्ध टीका लगवाए गए कुत्तों की संख्या में 75 प्रतिशत की वृद्धि करके प्राप्त किया जाना था। भारत सरकार पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रेबीज-रोधी टीकों की खरीद के लिए भी सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2023-24 के लिए उप-निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, मंडी ने निदेशालय से ₹ 2.67 लाख की लागत के रैबीज टीकों की 20,000 खुराकों की आपूर्ति की मांग की (अगस्त 2023)। 20,000 खुराकों की आपूर्ति नवंबर 2023 में प्राप्त हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्रमशः वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान केवल 1,510 एवं 2,080 खुराकें ही दी गईं, जबकि मार्च 2023 तक अंत स्टॉक के रूप में 9,340 खुराकें उपलब्ध थीं। उन दोनों वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया और यद्यपि वर्ष 2023-24 हेतु 4,500 खुराकों का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथापि 2,777 खुराकें ही दी गईं।

परिणामस्वरूप मार्च 2024 की समाप्ति पर क्लोजिंग स्टॉक उल्लेखनीय रूप से 26,563 खुराकों तक बढ़ गया।

विभाग ने बताया (जून 2025) कि जहां पूर्ण-संक्रमण आकलन संभव है वहीँ पश्चात् संक्रमण आवश्यकताएं भिन्न होती है और तदनुसार खरीद जिला स्तर पर की जाती है। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि विभाग ने टीके की मांग का उचित निर्धारण नहीं किया तथा वास्तविक आवश्यकता से अधिक टीके खरीद लिए। पिछले रुझानों के आधार पर पश्चात्-संक्रमण टीकाकरण को उचित बफर बनाए रखने के बाद अतिरिक्त खुराकों का प्रभावी उपयोग पूर्व-संक्रमण टीकाकरण के लिए किया जा सकता था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद 10,000 खुराकें तीन जिलों को स्थानांतरित (दिसंबर 2024) की गईं।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

4.4.6 विभाग में ऑनलाइन इन्वेंटरी एप्लिकेशन का अभाव

विभागीय नियम-पुस्तिका के खण्ड 5.15 के अनुसार, पशु चिकित्सा संस्थानों[8] द्वारा ऑनलाइन इन्वेंटरी एप्लीकेशन का उपयोग दवाओं/सीमेन स्ट्रॉ से संबंधित स्टॉक की उपलब्धता एवं खपत के रिकॉर्ड के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए हार्डवेयर और कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ऑनलाइन निगरानी द्वारा दवाओं/सीमेन स्ट्रॉ की अधिकता/कमी की स्थिति का पता लगाना संभव होगा, तब इन सामग्रियों को तदनुसार आवश्यकता वाले संस्थानों में स्थानांतरित किया जा सकेगा।

नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के साथ-साथ निदेशक पशुपालन के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि दवाओं के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई ऑनलाइन इन्वेंटरी एप्लिकेशन विद्यमान नहीं थी। ऑनलाइन इन्वेंटरी एप्लिकेशन के अभाव में दवाओं/ सीमेन स्ट्रॉ व उपकरणों/यंत्रों के एक्सपायर होने, अधिकता या कमी की स्थिति का वास्तविक समय में निगरानी करना मुश्किल है।

विभाग ने बताया (मार्च 2025) कि विभाग द्वारा कोई ऑनलाइन इन्वेंटरी एप्लीकेशन सिस्टम न तो बनाया गया एवं न ही कार्यात्मक था। अंतिम बैठक के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।

---

[8] आवश्यकतानुसार जिला दवा पूल स्टोर, स्पर्म स्टेशन, वीर्य बैंक व अन्य संबंधित पशु चिकित्सा संस्थान जैसे पॉलीक्लिनिक, उप-मंडल पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, आदि।

4.4.7 टीकाकरण कार्यक्रमों में कमी

टीकाकरण पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो संक्रामक व जंतु-जनित रोगों की रोकथाम में सहायक होता है, पशुओं की पीड़ा को कम करता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है। यह पशुधन के सतत उत्पादन को सक्षम बनाता है, एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता कम करता है एवं किसानों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करता है। टीके सामान्यतः सुरक्षित, किफायती एवं प्रभावी होते हैं, जब इन्हें स्वस्थ पशुओं को लगाया जाता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है तथा प्रजातियों के भीतर तथा उनके बीच संक्रमण का प्रसार कम होता है।

केंद्र प्रायोजित स्कीम, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण 2021-22 का उद्देश्य पशुधन व कुक्कुट के विभिन्न रोगों के विरुद्ध निवारक टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण, रोग निगरानी एवं पशु चिकित्सा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से पशु स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करना है। प्रमुख टीके निम्नांकित रोगों के लिए प्राप्त किए जाते हैं:

- खुरपका एवं मुंहपका रोग (एफएमडी) जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी व सूअरों को प्रभावित करता है;
- गाय व भैंसों को प्रभावित करने वाला हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया;
- ब्लैक क्वार्टर रोग, गाय, भैंस व भेड़ में होने वाला संक्रामक रोग;
- पेस्टे देस पेटिट्स रूमिनैंट्स (पीपीआर), भेड़ व बकरियों का एक महत्वपूर्ण वायरल रोग तथा
- एंटेरोटोक्सिमिया (ईटी) रोग, जिसे पल्पी किडनी रोग के नाम से भी जाना जाता है, जो भेड़ व बकरियों को प्रभावित करता है।

विभाग को राज्य में पशुधन की जनसंख्या के आधार पर भारत सरकार से टीके प्राप्त होते हैं तथा प्राप्त टीकों की मात्रा ही प्रत्येक रोग के लिए लक्ष्य का निर्धारण करती है। टीकाकरण कार्यक्रमों के लक्ष्यों व उनकी प्राप्ति का विवरण **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: 2021-24 के दौरान राज्य में टीकाकरण का विवरण

(लाख में)

टीकाकरण कार्यक्रम	2021-22			2022-23			2023-24		
	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी
एफएमडी	21.15	17.10	4.05 (*19*)	निरंक	निरंक	निरंक	18.51	16.80	1.71 (*9*)
एचएसबीक्यू*	13	3.21	9.79 (*75*)	13	11.19	1.81 (*14*)	13	3.56	9.44 (*73*)
पीपीआर	19.19	12.24	6.95 (*36*)	19	5.36	13.64 (*72*)	18.05	15.33	2.72 (*15*)
ईटी	2.40	0.62	1.78 (*74*)	2.40	2.49	निरंक	2.40	2.40	निरंक

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

** एचएसबीक्यू - हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया व ब्लैक क्वार्टर रोग।*

उपरोक्तानुसार हिमाचल प्रदेश में राज्य ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत उसके टीकाकरण लक्ष्यों को पूर्णतः प्राप्त नहीं किया। एफएमडी टीकाकरण में नौ से 19 प्रतिशत, एचएसबीक्यू टीकाकरण में 14 से 75 प्रतिशत एवं पीपीआर टीकाकरण में 15 से 72 प्रतिशत तक की कमी थी। हालांकि वर्ष 2022-24 के दौरान ईटी टीकाकरण में कोई कमी नहीं थी।

इसी भांति नमूना-जांचित चार आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में भी टीकाकरण कार्यक्रमों में कमी पाई गई। विवरण **तालिका 4.7** में दिए गए हैं।

तालिका 4.7: नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में टीकाकरण कार्यक्रम में कमी का विवरण

आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के नाम	कमी की सीमा (प्रतिशत में)
केलोंग	4 से 100
कांगड़ा	2 से 95
मंडी	1 से 99
ऊना	17 से 99

विभाग ने बताया (जून 2025) कि लक्ष्य की प्राप्ति में कमी पशुधन की घटती संख्या के कारण हुई। उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि तीन वर्षों की अवधि में विभिन्न स्कीमों एवं आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के स्तर पर उल्लेखनीय कमी (99 प्रतिशत तक) ने रोग नियंत्रण के अभीष्ट उद्देश्यों को प्रभावित किया।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने बताया कि टीकाकरण कार्यक्रम में कमी का कारण पशुधन जनगणना के पुराने आंकड़ों पर निर्भरता थी। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया गया कि पशु जनसंख्या में गिरावट हुई है और पुराने आंकड़ों के आधार पर किया गया टीका आवंटन कई बार वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक हो जाता है, जो अप्रयुक्त स्टॉक एवं अप्राप्त लक्ष्यों के रूप में परिणत होता है। यह भी बताया गया कि अद्यतित जनगणना आंकड़ों

पर चर्चा पहले से ही चल रही है तथा एक बार इसे अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद आवंटन व लक्ष्यों को तदनुसार पुन: समायोजित किया जाएगा।

यदि टीका आवंटन वास्तव में आवश्यकता से अधिक था, तो अतिरिक्त टीके वापस नहीं किए गए, जिससे विभाग का स्पष्टीकरण कमजोर हो गया। इसके अतिरिक्त 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 18.28 लाख गायें, 6.46 लाख भैंसें, 7.91 लाख भेड़ें व 11.08 लाख बकरियां (कुल 44.74 लाख पशुधन) हैं, जो सभी एफएमडी से ग्रस्त हो सकते हैं। अतः पशुधन जनसंख्या वार्षिक लक्ष्यों के भीतर थी। इसी तरह एचएसबीक्यू लक्ष्य 24.74 लाख मवेशी व भैंस की उपलब्ध जनसंख्या के भीतर थे एवं इसी भांति, पीपीआर लक्ष्य 18.99 लाख भेड़ व बकरी की जनसंख्या के भीतर थे। इसलिए सभी टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त पशुधन उपलब्ध था जिससे इस कमी का कारण केवल पशुधन की संख्या में कमी को नहीं ठहराया जा सकता। इसके बजाय ये कमियां कार्यान्वयन व क्षेत्र-स्तर पर मौजूद खामियों की ओर संकेत करती हैं।

4.5 निष्क्रिय रखे पशु चिकित्सा उपकरण

4.5.1 खरीद के बाद से उपयोग न किए गए पशु चिकित्सा उपकरण

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के परिच्छेद 10(1)(ख) में प्रावधान है कि व्यय प्रथम दृष्टया आवश्यकता से अधिक नहीं होगा।

नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के पशु चिकित्सा संस्थानों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण के अभिलेखों व निष्कर्षों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2021-24 के मध्य खरीदे गए विभिन्न पशु चिकित्सा उपकरण अनुपयोगी अवस्था में थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा अवधि से बाहर के अभिलेखों की जांच से पता चला कि वर्ष 2002 से मार्च 2021 तक खरीदे गए कई उपकरण भी खरीद के बाद से उसी प्रकार अनुपयोगी रखे थे। कुल मिलाकर, ₹ 91.42 लाख की लागत से खरीदे गए 487 उपकरण, मुख्य रूप से तीन-फेज विद्युत कनेक्शन के अभाव, भंडारण के लिए टीकों की अनुपलब्धता तथा प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी आदि के कारण अनुपयोगी रखे पाए गए। नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों एवं राज्य पशु चिकित्सालय में खरीद के बाद से उपयोग न किए गए पशु चिकित्सा उपकरणों का विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी पाया गया कि अगस्त 2017 से अक्टूबर 2023 के मध्य ₹ 27.89 लाख की लागत से खरीदे गए 24 उपकरण, मरम्मत की कमी के कारण

(सितंबर 2025 तक) क्षेत्रीय पशु चिकित्सा संस्थानों में आठ माह से आठ वर्ष तक निष्क्रिय पड़े रहे, जैस कि **परिशिष्ट 4.3** में विवर्णित है।

इससे न केवल खरीद के मुख्य उद्देश्य विफल हो गए अपितु अपेक्षित लाभों की प्राप्ति भी नहीं हो सकी।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसे उपकरणों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया ताकि उन्हें उन संस्थानों में पुनर्वितरित किया जा सके जहां इसकी आवश्यकता है तथा मरम्मत के लिए गैर-कार्यशील उपकरणों की सूची तैयार करें ताकि उनका उचित उपयोग सुनिश्चित हो।

4.5.2 आपूर्तिकर्ता द्वारा संचालन का प्रदर्शन सुनिश्चित न करने के परिणामस्वरूप उपकरणों का निष्क्रिय रहना

उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, ऊना ने छोटे जानवरों के लिए 11 इनहेलेंट एनेस्थीसिया मशीनें (मार्च 2019 में चार व दिसंबर 2019 में सात) ₹ 30.49 लाख (₹ 2.77 लाख प्रति यूनिट) की लागत पर खरीदीं। मई 2019 व मार्च 2020 में प्राप्त इन मशीनों को क्षेत्रीय पशु चिकित्सा संस्थानों में वितरित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीनों की खरीद के पांच वर्ष से अधिक समय बाद भी केवल एक मशीन ही उपयोग में थी जबकि शेष दस का उपयोग नहीं किया गया था। इसका कारण (फरवरी 2025) आपूर्तिकर्ता द्वारा उनके संचालन का प्रदर्शन प्रदान करने में अक्षमता और संचालन के लिए अपेक्षित इनहेलेंट एनेस्थीसिया/आइसोफ्ल्यूरन की अनुपलब्धता को बताया गया। परिणामस्वरूप, दो वर्षीय ऑनसाइट वारंटी एवं रखरखाव की अवधि बिना उनका उपयोग किए व्यपगत हो गई, जिससे ₹ 27.72 लाख (₹ 30.49 लाख - ₹ 2.77 लाख) का व्यय व्यर्थ हो गया।

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से निर्धारित दो-वर्षीय वारंटी एवं रखरखाव अवधि के भीतर अपेक्षित संचालन का प्रदर्शन करना सुनिश्चित न करने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन द्वारा इस मामले को अपेक्षित तत्परता से नहीं उठाया गया एवं न ही आवश्यक इनहेलेंट एनेस्थीसिया/आइसोफ्ल्यूरन की खरीद के ईमानदार प्रयास किए गए।

4.6 पशु चिकित्सा अवसंरचना- अनुमोदित कार्यों में विलम्ब/प्रारंभ न करना

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश की विभागीय नियम-पुस्तिका, 2013 (अगस्त 2018 तक संशोधित) के खंड 3.18 में निर्माण-कार्य आरंभ करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा का उल्लेख किया गया है। खंड 3.18(ii)(एफ) निर्धारित करता है कि कोई भी निर्माण-कार्य आरंभ करने से पूर्व विभाग को हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से स्थल की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अनुमोदन प्राप्त करना होगा। खंड 3.18(ii)(जी) में आगे अनिवार्य किया गया है कि उपयुक्तता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाही आरंभ की जाएगी। खंड 3.18(iii) के अनुसार विभाग को किसी विशिष्ट स्थान पर भवन निर्माण के उसके अभिप्राय के संबंध में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखना है, मानक डिज़ाइन प्रस्तुत करने हैं तथा प्रारंभिक अनुमानों की मांग करनी है। निधियों की उपलब्धता के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जानी है।

राज्य सरकार ने निर्देश दिया (नवंबर 2003) कि परियोजना के सभी घटकों के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयोगकर्ता विभाग पूर्णतः जिम्मेदार होगा तथा समय व लागत में होने वाली किसी भी वृद्धि के लिए जवाबदेह होगा।

निर्माण कार्य की स्थिति

वर्ष 2021-24 के दौरान कुल 68 कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से ₹ 1.82 करोड़ की स्वीकृत लागत के केवल नौ कार्य ही पूर्ण हुए। शेष 59 कार्यों में से 27 कार्य अपूर्ण (चल रहे) थे तथा मार्च 2024 तक शेष 32 कार्य आरंभ करना शेष थे।

लेखापरीक्षा अवधि से पूर्व ₹ 19.43 करोड़ की लागत के 26 कार्य अपूर्ण थे एवं ₹ 11.77 करोड़ की लागत के 40 कार्य निष्पादक एजेंसियों द्वारा अभी तक आरंभ नहीं किए गए। मार्च 2024 तक सभी अपूर्ण कार्यों की विस्तृत स्थिति **तालिका 4.8** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.8: अपूर्ण कार्यों की जिला-वार स्थिति

(₹ लाख में)

जिला	आरंभ करने हेतु शेष कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति	जारी निधियां	जारी करने हेतु शेष निधियां	अपूर्ण कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति	जारी निधियां	जारी करने हेतु शेष निधियां
बिलासपुर	07	162.72	75.52	87.21	1	150.42	150.42	0
चंबा	08	540.2	133.49	406.71	3	72.05	67.65	4.4
हमीरपुर	05	134.08	65.99	68.09	2	173.22	103.42	69.8
कांगड़ा	03	745.8	77.89	667.91	12	1,013.36	580.06	433.30
किन्नौर	07	371.48	184.26	187.22	4	310.35	238.27	72.08
कुल्लू	05	105.54	81.58	23.96	3	84.67	48.79	35.88
लाहौल-स्पीति	04	159.69	38.90	120.79	3	267.78	212.06	55.72

जिला	आरंभ करने हेतु शेष कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति	जारी निधियां	जारी करने हेतु शेष निधियां	अपूर्ण कार्य	प्रशासनिक स्वीकृति	जारी निधियां	जारी करने हेतु शेष निधियां
मंडी	15	589.36	163.96	425.40	4	409.81	265.9	143.91
शिमला	7	362.20	178.15	184.05	6	206.23	123.06	83.17
सिरमौर	07	481.5	58.93	422.57	8	434.53	197.56	236.97
सोलन	04	226.21	60.62	165.59	3	187.13	43.77	143.36
ऊना	0	0	0	0	4	153.63	76.36	77.27
योग	**72**	**3,878.78**	**1,119.29**	**2,759.5**	**53**	**3,463.18**	**2,107.32**	**1,355.86**

उपर्युक्त वर्णनानुसार वर्ष 2021-24 तथा उससे पूर्व की अवधियों से संबंधित कार्यों की विस्तृत सूची **परिशिष्ट 4.4** में दी गई है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता का पद, जिसके दायित्वों में कार्यों से संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण, अन्य विभागों के साथ समन्वय एवं अन्य एजेंसियों द्वारा तैयार अनुमानों की तकनीकी जांच शामिल है, वर्ष 2011 से रिक्त था।

विभाग ने उसके प्रत्युत्तर (सितंबर 2025) में आश्वासन दिया कि वह निष्पादन एजेंसियों के साथ इस मामले का नियमित रूप से अनुसरण करते हुए प्रगति पर चल रहे तथा प्रारंभ न किए गए भवन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रयास करेगा।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि ये विलम्ब प्राथमिक रूप से निष्पादक एजेंसियों के कारण हैं, न कि स्वयं विभाग के कारण। यह भी आश्वासन दिया गया कि कनिष्ठ अभियंता का रिक्त पद शीघ्र ही तदर्थ आधार पर भरा जाएगा।

4.7 निगरानी एवं नियंत्रण

4.7.1 पशु चिकित्सा संस्थानों के अनिवार्य निरीक्षण का अनुपालना न करना

पशुपालन विभाग की विभागीय नियम-पुस्तिका, 2013 में विभिन्न स्तरों पर एवं निर्धारित अंतरालों पर आकस्मिक निरीक्षण सहित, निरीक्षण किए जाने का प्रावधान किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

- उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन उनके क्षेत्राधिकार के सभी संस्थानों का वर्ष में एक बार स्वयं या सहायक निदेशकों (विस्तार या परियोजनाएं) के माध्यम से निरीक्षण करेंगे। वार्षिक निरीक्षण के अतिरिक्त उन्हें समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण भी करने होंगे। आकस्मिक निरीक्षणों के दौरान संबंधित संस्थानों को पेशेवर मार्गदर्शन एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए जाएं।

- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार के पशु चिकित्सालयों का वर्ष में कम से कम एक बार दौरा करेंगे। वे आकस्मिक निरीक्षण भी कर सकते हैं। ऐसे दौरों के दौरान वे कार्यालय के अभिलेख, दवाओं, लेज़र-बहियों की मदें एवं उपकरणों का निरीक्षण करने के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार संस्था के कार्यकरण में सुधार के लिए कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे।

- पशु चिकित्सा अधिकारी उनके क्षेत्राधिकार में स्थित पशु चिकित्सा औषधालयों का वर्ष में दो बार निरीक्षण करेंगे।

हिमाचल प्रदेश कार्यालय, नियमावली 2011 के खंड में 14.10.4 में प्रावधान है कि निरीक्षण टिप्पणी अनिवार्य रुप से तैयार की जानी चाहिए और विस्तृत निरीक्षण करने वाला अधिकारी न केवल कमियों को इंगित करे, बल्कि उनके निराकरण हेतु कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी प्रदान करे।

निदेशालय द्वारा प्रदान किए गए अभिलेखों व जानकारियों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित अधिकारियों अर्थात उप-निदेशक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी व पशु चिकित्सा अधिकारी ने निर्धारित निरीक्षण नहीं किए, जैसाकि **तालिका 4.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.9: राज्य में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षणों का विवरण

वर्ष	उप निदेशक/सहायक निदेशक			वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी			पशु चिकित्सा अधिकारी		
	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी (प्रतिशत)	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी (प्रतिशत)	लक्ष्य	प्राप्ति	कमी (प्रतिशत)
2021-22	2,138	291	1,847 (86)	424	151	273 (64)	3,366	536	2,830 (84)
2022-23	2,138	313	1,825 (85)	424	164	260 (61)	3,366	666	2,700 (80)
2023-24	2,138	329	1,809 (85)	424	241	183 (43)	3,366	826	2,540 (75)

वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में कमी 43 प्रतिशत से 86 प्रतिशत के मध्य रही। परिणामस्वरूप संस्थानों की विद्यमान समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में भी ऐसी ही प्रवृत्तियां देखी गईं। वर्ष 2021-24 के दौरान उप-निदेशक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों व पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी, उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, मंडी में 71 से 95 प्रतिशत, उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, कांगड़ा में 41 से 94 प्रतिशत एवं उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, ऊना में 48 से 100 प्रतिशत तक रही। इसके अतिरिक्त विगत तीन वर्षों के दौरान उप-निदेशक पशु स्वास्थ्य/प्रजनन, केलोंग में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। अधिकारियों द्वारा समयबद्ध निरीक्षण किए जाने पर

निम्नलिखित समस्याओं को संज्ञान में लाया जा सकता था अथवा उनका समाधान किया जा सकता था :

क. अवसंरचना सृजन की प्रगति की निगरानी नही की गई,

ख. एक्सपायर हो चुकी दवाओं व इंजेक्शनों का उपयोग,

ग. कमजोर निगरानी के कारण उपकरणों का संचालन न होना,

घ. विश्लेषणात्मक जाचं रिपोर्ट के बिना एवं सीमित शेल्फ लाइफ वाली दवाओं की खरीद,

ङ. टीकाकरण लक्ष्यों में कमी, जिसे बेहतर योजना और निष्पादन से कम किया जा सकता था।

विभाग ने उसके प्रत्युत्तर में बताया (सितंबर 2025) कि वह विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निरीक्षण के लिए एक प्रारूप तैयार करेगा, उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करेगा तथा भविष्य में अभिलेखों का उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने बताया कि निरीक्षण तो किए जा रहे थे, परन्तु उनका औपचारिक रूप से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उचित अभिलेख बनाए रखने के लिए निरीक्षण प्रपत्रों को लक्ष्यों के साथ संलग्न करना सुनिश्चित किया जाए। अतः विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों को औपचारिक रूप देने की आवश्यकता है।

4.7.2 आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली की आवश्यकता

पशुपालन विभाग की नियमावली, 2013 (अगस्त 2018 तक संशोधित) के परिच्छेद 2.66 में अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा) के कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें भंडार व स्टॉक की प्राप्ति एवं लेखाओं की जांच करना, अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर मांग प्रस्तुत करने में शिथिलता या राजस्व हानि के रिसाव का पता लगाना, दरों, तकनीकी प्रतिवेदनों एवं स्वीकृति पत्रों आदि की जांच करना एवं भंडार/स्टॉक की खरीद के मामलों जैसे भंडार क्रय संगठन में जांच करना शामिल है, साथ ही आंतरिक लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण के दौरान नगद स्टॉक का भौतिक सत्यापन करना भी उसके कर्तव्यों में सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने न तो कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली तैयार की एवं न ही आंतरिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने वाली कोई संहिताबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की। यह भी पाया गया कि विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा संपादित करने, कर्तव्यों

के आवंटन और लागू किए जाने वाले जांच-बिन्दुओं हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया। वर्ष 2021-24 की अवधि हेतु किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए भविष्य में आंतरिक लेखापरीक्षा संपादित करने का आश्वासन दिया (दिसंबर 2024)।

4.8 संयुक्त भौतिक निरीक्षण एवं लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम

4.8.1 संयुक्त भौतिक निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्ष

औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 65 के उप-नियम 17 (अगस्त 1964 में संशोधित) के अनुसार, किसी भी औषधि को उसकी कंटेनर, लेबल या रैपर पर अंकित प्रभावशीलता की समाप्ति तिथि के पश्चात लाइसेंसधारी द्वारा न तो बेचा जा सकता है और न ही भंडारित किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार की कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011 के खंड 7.3 के अनुसार, आग से रोकथाम हेतु सभी संबंधितों द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं सावधानी सम्बन्धी उपाय किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त खंड 7.3 के उप-खंड (iii) के अनुसार अस्पतालों एवं विद्यालयों जैसे संस्थानों के लिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। उप-खंड (vii) में यह भी निर्धारित किया गया है कि उपयुक्त प्रकार एवं वर्गीकरण के अग्निशामक यंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। पशुपालन विभाग की नियमावली, 2013 (अगस्त 2018 तक संशोधित) का खंड 2.10, 2.33 व 2.34 निर्धारित करता है कि राज्य के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों का वर्ष में कम से कम एक बार[9] निरीक्षण किया जाए।

लेखापरीक्षा ने विभाग के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियां **तालिका 4.10** में वर्णित हैं।

तालिका 4.10: सुविधाओं से वंचित पशु चिकित्सा संस्थानों का विवरण

जिले का नाम	पशु चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या	बिना उपयोग किए उपकरण	कार्मिकों की कमी	अग्निशमन उपकरण	स्वच्छता एवं साफ-सफाई	एक्सपायरी दवाओं का स्टॉक	2021-24 के दौरान भौतिक निरीक्षण
केलोंग	4	2	4	4	1	2	4
कांगड़ा	8	5	4	8	3	5	5
मंडी	8	8	6	8	2	3	6
ऊना	8	6	8	8	2	3	8
राज्य पशु चिकित्सालय	1	1	1	1	1	1	1
योग	**29**	**22**	**23**	**29**	**9**	**14**	**24**

9 पशु चिकित्सा औषधालयों का वर्ष में दो बार निरीक्षण किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कमियां भी देखी गईं:

- उपमंडलीय पशु चिकित्सालय, उदयपुर, केलोंग में तीन-फेज कनेक्शन के अभाव के कारण डीप फ्रीजर एवं वर्टिकल ऑटोक्लेव जैसे उपकरण अनुपयोगी पड़े थे। इसी भांति क्षेत्रीय पशु चिकित्सालय, बरनोह, ऊना में विद्युत का कनेक्शन अस्थायी आधार पर था तथा कुछ विद्युत बिंदुओं में आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त पशु चिकित्सा औषधालय, नालदा (केलोंग) व पशु चिकित्सा औषधालय, सलवाना में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध नहीं था।

छायाचित्र 4.1: उपमंडलीय पशु चिकित्सालय, उदयपुर में तीन-फेज कनेक्शन की अनुपलब्धता के कारण अनुपयोगी वर्टिकल ऑटोक्लेव (अक्टूबर 2024)	**छायाचित्र 4.2: उपमंडलीय पशु चिकित्सालय, उदयपुर में तीन-फेज कनेक्शन की अनुपलब्धता के कारण अनुपयोगी डीप फ्रीजर (अक्टूबर 2024)**

- राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला व पशु चिकित्सा औषधालय, कठोली (कांगड़ा) में भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में पाया गया, जिसकी दीवारों पर स्पष्ट दरारें एवं सीलन दिखाई दे रही थी। इसके अतिरिक्त राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला में औषधि भंडारण कक्ष भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था, जिससे स्वच्छता एवं साफ-सफाई के संबंध में गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जैसाकि **छायाचित्र 4.3** से **4.5** में दर्शाया गया है।

छायाचित्र 4.3: दीवारों पर दरारों एवं सीलन सहित जर्जर अवस्था में राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला का भवन (फरवरी 2025)	**छायाचित्र 4.4: जर्जर अवस्था में राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला में दवाओं की स्टोर सुविधा (फरवरी 2025)**	**छायाचित्र 4.5: दीवारों पर दरारों एवं सीलन सहित जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पशु चिकित्सा औषधालय, कठोली (कांगड़ा) (नवंबर 2024)**

- अगस्त 2020 में भवन के उद्‌घाटन के बाद से केंद्रीय पशु चिकित्सालय, बाह की धार (मंडी) के बायोमेडिकल अपशिष्ट का निपटान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में शाहपुर (धर्मशाला), भंगरौटू (मंडी) व लालहरी (ऊना) में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि एक्स-रे मशीनें उपलब्ध होने के बावजूद, एक्स-रे कक्ष की अनुपलब्धता, तकनीशियन की अनुपलब्धता एवं उपयुक्त अधोसंरचना का अभाव, इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से उनका उपयोग[10] नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला में एक्स-रे मशीन काम कर रही थी परन्तु प्रशिक्षित रेडियोग्राफर की अनुपलब्धता के कारण उसका संचालन पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट द्‌वारा किया जा रहा था।

4.8.2 लाभार्थी सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष

नमूना-जांचित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में भौतिक रूप से निरीक्षित पशु चिकित्सा संस्थानों से संबद्‌ध 310 लाभार्थियों का सर्वेक्षण विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में लेखापरीक्षा द्‌वारा किया गया। लाभार्थियों की प्रतिक्रियाएं **चार्ट 4.4** में दर्शाई गई हैं।

---

10 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, शाहपुर: फरवरी 2021 से, पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, भंगरौटू: जून 2017 से व पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक, लालहरी: अगस्त 2017 से।

चार्ट 4.4: लाभार्थियों की प्रतिक्रियाओं के विवरण

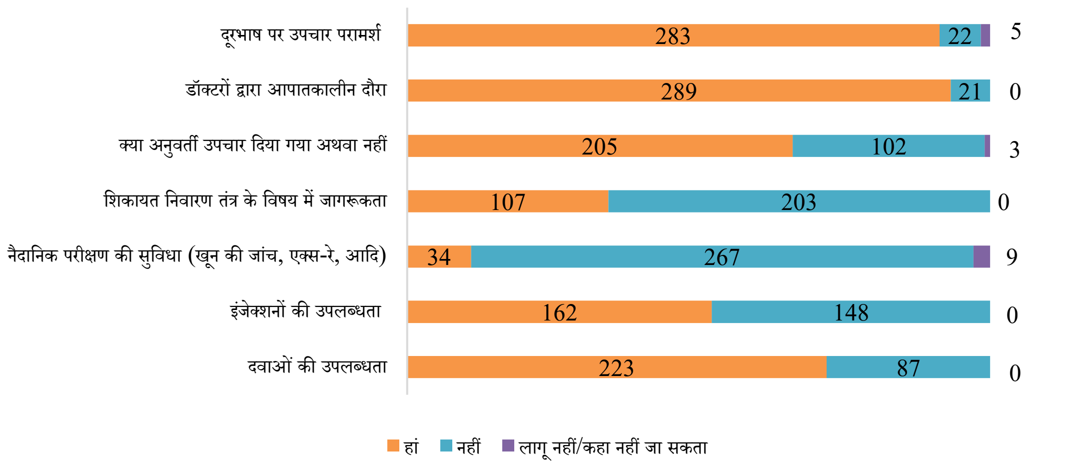

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 73 प्रतिशत लाभार्थियों ने प्रदत्त उपचार से संतुष्टि व्यक्त की, 91 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि पशु चिकित्सा कार्मिकों द्वारा दूरभाष के माध्यम से उपचार संबंधी परामर्श प्राप्त हुआ, 93 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि आपात स्थिति के दौरान पशु चिकित्सा कार्मिकों ने उनके निवास का दौरा किया तथा 72 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उनके दौरे के समय पशु चिकित्सा संस्थानों में दवाएं उपलब्ध थीं।

हालांकि इस सर्वेक्षण से कुछ अन्य प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वितरण की कमियां भी उजागर हुई। लाभार्थियों ने निदान सुविधाओं की भारी कमी (केवल 11 प्रतिशत उपलब्धता) का उल्लेख किया। शिकायत निवारण तंत्र के विषय में जागरूकता कम (35 प्रतिशत) बनी हुई है, जबकि 38 प्रतिशत लाभार्थियों ने कार्मिकों की कमी तथा 48 प्रतिशत ने उनके दौरे के दौरान पशु चिकित्सा संस्थानों में इंजेक्शनों की कमी की सूचना दी। यह परिचायक है कि कुछ प्रमुख सहायता तंत्रों में लक्ष्यित सुधार की आवश्यकता है।

अंतिम बैठक (सितंबर 2025) के दौरान सरकार ने उल्लेख किया कि लाभार्थी सेवाओं से काफी हद तक संतुष्ट थे। तथापि शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने एवं नैदानिक सुविधाओं में सुधार हेतु उपाय किए जाएंगे।

4.9 निष्कर्ष

पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की लेखापरीक्षा ने हिमाचल प्रदेश में योजना निर्माण, संसाधन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। पशु पालन विभाग ने वार्षिक कार्य-योजनाएं तैयार नहीं कीं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बजट में वृद्धि हुई, तथापि दवाओं, उपकरणों व अवसंरचना जैसे अनिवार्य क्षेत्रों को विद्यमान प्रणाली के

अनुरूप पर्याप्त संसाधनों के साथ सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता थी। विभाग को अत्यधिक स्टॉक रखने, दवाओं को ख़राब होने से रोकने के लिए तथा कुछ मामलों में एक्सपायर हो चुकी या निम्न स्तरीय दवाओं के उपयोग को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। खरीदे गए पशु चिकित्सा उपकरणों का उपयोग उनके अभीष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। पशु रोगों की रोकथाम में योगदान देने वाले टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्य-क्षेत्र में विस्तार हेतु सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

इन समस्याओं को निगरानी एवं जवाबदेही संबंधी प्रणालीगत कमियों ने और अधिक जटिल बना दिया। निरीक्षण अनियमित एवं निर्धारित मानकों से बहुत कम रहें। विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए किए जाने वाले नियमित विभागीय निरीक्षणों को प्रत्येक स्तर पर की गई कार्रवाई के दस्तावेजीकरण द्वारा औपचारिक रूप प्रदान किया जा सकता है। आंतरिक लेखापरीक्षा भी संपादित नहीं की गई। एक्सपायर हो चुकी अथवा अधिक स्टॉक की समस्या के समाधान में सहायक हो सकने वाला ऑनलाइन इन्वेंटरी सिस्टम उपलब्ध नहीं था। प्रमुख पशु चिकित्सा पदों पर निरंतर रिक्तियों ने भी विभाग की सेवाओं के प्रभावी प्रदाय की क्षमता को और कमजोर किया। उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग तथा पशु स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादकता में सुधार हेतु लक्षित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान प्रणालियां पर्याप्त नहीं थीं। इन कमियों का निराकरण सेवा प्रदायगी में सुधार तथा किसानों की आजीविका की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

4.10 अनुशंसाएं

राज्य सरकार :

- ***सुनिश्चित करें कि विभाग जनवरी माह में पशुधन आवश्यकताओं, संसाधनों व वित्तीय आवंटन के अनुरूप यथार्थवादी, जिला-वार लक्ष्यों सहित व्यापक वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करे।***

- ***क्षेत्रीय इकाइयों से लिखित मांग-पत्र अनिवार्य कर खरीद प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाए तथा दवाओं व उपकरणों के स्टॉक स्तर, एक्सपायरी की तिथि एवं वितरण की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन इन्वेंटरी प्रबंधन सिस्टम को कार्यशील किया जाए।***

- ***प्रमुख रिक्त पदों को भरकर, कार्मिकों को उपकरणों के उपयोग, टीकों के संचालन एवं स्टॉक प्रबंधन में प्रशिक्षित करके मानव-संसाधन व क्षमता सम्बन्धी कमियों का निराकरण करें।***

अध्याय-V

स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

अध्याय V: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

5.1 स्थापित कार्य-प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने के कारण कॉम्बरमेयर नाला पुल परियोजना के कार्यान्वयन में आठ वर्षों का अत्यधिक विलम्ब

बाधारहित कार्यस्थल सुनिश्चित कराने, लिखित संरचनात्मक ड्रॉइंग उपलब्ध कराने एवं कार्य पूर्ण करने की संविदात्मक शर्तों को लागू करने में विभाग की अक्षमता, प्रथम ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में ही छोड़ देने से ₹ 0.53 करोड़ के निष्फल व्यय, पुन: निविदा के कारण राज्य कोषागार पर ₹ 0.74 करोड़ के अतिरिक्त बोझ तथा स्वीकृति के आठ वर्षोपरांत भी पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका, जिससे अपेक्षित सार्वजनिक लाभों में विलम्ब हुआ।

शिमला में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फरवरी 2016 में केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत मोटरेबल राउंड रोड पर कॉम्बरमेयर नाले के ऊपर डबल लेन वाले स्पैन रिइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी)[1] पुल के लिए ₹ 5.00 करोड़ की स्वीकृति दी। मुख्य अभियंता, दक्षिण क्षेत्र ने जनवरी 2017 में ₹ 4.64 करोड़ के कार्य अनुमान को अनुमोदित किया तथा जुलाई 2017 में विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना को मंजूरी प्रदान की, जिसमें मंडल को बाधारहित-भूमि सुनिश्चित करने एवं परामर्शदाता से विस्तृत संरचनात्मक ड्राइंग प्राप्त करने की स्पष्ट पूर्व-निविदा शर्तें निहित थीं। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का कुछ हिस्सा नगर निगम शिमला के स्वामित्व में था, जहाँ जल आपूर्ति एवं सीवर लाइनें विद्यमान थीं तथा देवदार के वृक्ष भी खड़े थे।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना की पूर्व-शर्तों के बावजूद, शिमला मंडल ने पहले बाधारहित कार्यस्थल सुनिश्चित किए बिना ही निविदाएं आमंत्रित कीं एवं अक्टूबर 2017 में चंडीगढ़ स्थित एक ठेकेदार को ₹ 5.13 करोड़ में कार्य आवंटित कर दिया, जिसे अप्रैल 2019 तक पूरा करने हेतू निर्धारित किया गया था। नगर निगम, शिमला से भूमि-हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया सितंबर 2017 में प्रारंभ की गई। हालांकि यह स्वीकृति अगस्त 2019 में प्राप्त की जा सकी, जबकि वन स्वीकृति (जिसकी प्रक्रिया जुलाई 2020 में प्रारंभ की गई) सितंबर 2020 में प्राप्त हुई, जो कार्य आवंटन के लगभग तीन वर्ष पश्चात थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नवंबर 2017 में ठेकेदार को बिना अवरोध वाले हिस्से पर कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी गई। मौजूदा पुल में कंपन के खतरे को देखते हुए खुदाई मैन्युअल रूप से करने का निर्देश दिया गया (जनवरी 2018); हालांकि उसके बाद ठेकेदार काम की गति बनाए रखने में असमर्थ रहा और निर्धारित समयानुसार कार्य पूर्ण करने के लिए पर्याप्त संसाधन, जिसमें पर्याप्त जनशक्ति भी शामिल है, तैनात नहीं कर पाया। जून 2021 तक, केवल ₹ 0.53 करोड़ (10.3 प्रतिशत वित्तीय प्रगति) का कार्य ही निष्पादित किया गया था। ठेकेदार ने (मार्च 2022) विलम्ब का कारण बाधारहित कार्यस्थल समय पर न मिलने एवं ड्रॉइंग्स[2] देर से प्राप्त होने को बताया। यद्यपि मंडल ने दावा किया कि कार्य आवंटन के समय ही ड्रॉइंग्स

---

1 आरसीसी (रिइनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट) वह कंक्रीट है जिसमें इस्पात की छड़ें या जाली डाली जाती है ताकि उसकी तन्य शक्ति बढ़े; इसका उपयोग आमतौर पर पुलों, भवनों व अन्य संरचनाओं में किया जाता है।

2 गुड फॉर कंस्ट्रक्शन (जीएफसी) व जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग्स (जीएडी), निर्माण-कार्य में उपयोग होने वाली तकनीकी ड्रॉइंग्स होती हैं।

एवं निर्माण के चरण सुपुर्द कर दिए गए थे और इसका उल्लेख साईट आर्डर पुस्तिका में किया गया था, परन्तु मंडल इस दावे के समर्थन में लेखापरीक्षा के समक्ष दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

अधिशासी अभियंता, शिमला, मंडल संख्या-I ने नवंबर 2019 में कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए एवं दिसंबर 2019 में ₹ 0.51 करोड़ की परिनिर्धारित क्षति अधिरोपित कीं, बाद में जिसकी पुष्टि अधीक्षण अभियंता द्वारा सितंबर 2020 में की गई। जुलाई 2022 में प्रबंधन समिति[3] ने मामले की समीक्षा की एवं निष्कर्ष निकाला कि विभाग और ठेकेदार दोनों ही चूक के दोषी थे– विभाग, बाधारहित कार्यस्थल एवं आवश्यक ड्राइंग उपलब्ध न करवाने के कारण तथा ठेकेदार, जहां कार्यस्थल उपलब्ध था वहां भी कार्य नहीं करने के कारण। परिणामस्वरूप, समिति ने परिनिर्धारित क्षति को 10 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत (₹ 0.51 करोड़ से ₹ 0.08 करोड़) कर दिया। अंततः विभाग ने जुलाई 2022 में अनुबंध को रद्द कर दिया।

अनुबंध रद्द होने के दो वर्षों के पश्चात जुलाई 2024 में विभाग ने मूल डिज़ाइन के अव्यवहार्य होने का उल्लेख करते हुए, परिवर्तित[4] डिज़ाइन आरसीसी आर्च के स्थान पर कंपोज़िट स्टील गर्डर पुल के साथ नए ठेकेदार (शिमला निवासी) को ₹ 5.87 करोड़ (प्रथम निविदा से ₹ 0.74 करोड़ अधिक) में कार्य पुनः आवंटित किया। कार्य पूर्ण करने का निर्धारित माह जुलाई 2025 था; किंतु उस माह तक ₹ 2.97 करोड़ के व्यय से लगभग 25 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया था। अतः स्वीकृति के आठ वर्ष के पश्चात भी पुल अपूर्ण ही है, जिससे जनहित में होने वाले लाभों में विलम्ब हो रहा है तथा अब तक ₹ 3.50 करोड़ (प्रथम अनुबंध में ₹ 0.53 करोड़ व द्वितीय अनुबंध में ₹ 2.97 करोड़) की राशि अपूर्ण संपत्ति में अवरुद्ध हैं। समय-सीमा का संक्षिप्त विवरण नीचे दर्शाया गया है:

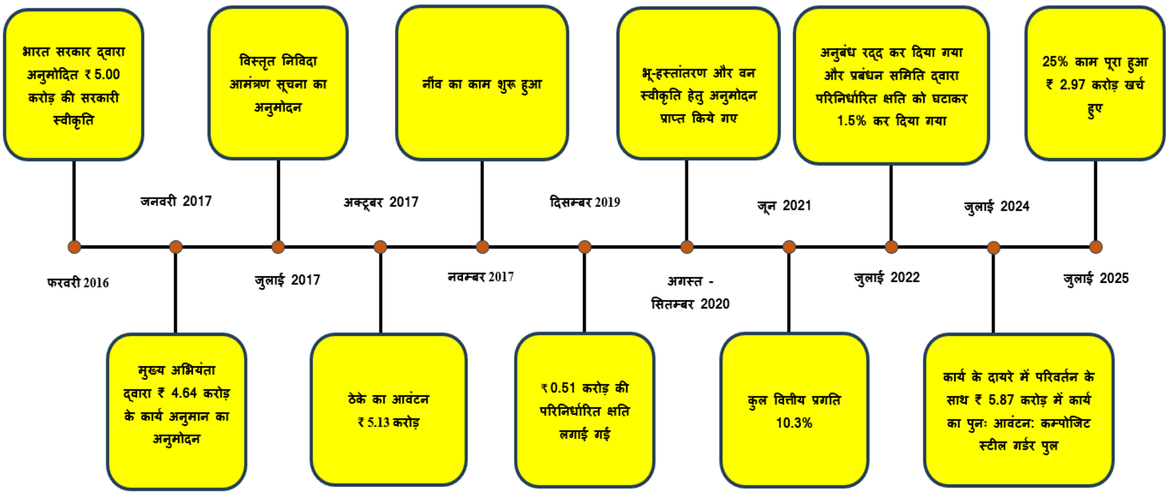

कार्य प्रारंभ होने के समय से लेकर अब तक आठ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और कार्य अभी भी अपूर्ण है। चार वर्ष बीत जाने के बाद भी अभियांत्रिकी मंडल ने नए ठेकेदार को कार्य सौंपते

---

3 समिति की संरचना: (i) मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 (ii) अधीक्षण अभियंता (मंडल-III), शिमला-2 (iii) अधीक्षण अभियंता, चतुर्थ सर्कल हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला (iv) संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 (v) अधिशासी अभियंता (सड़क एवं भवन) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 (vi) अधिशासी अभियंता, शिमला मंडल संख्या-I

4 72.00 मीटर स्पैन कम्पोज़िट स्टील गर्डर पुल, यह वह पुल है जिसमें स्टील गर्डर और कंक्रीट मिलकर भार वहन करते हैं, जिसमें स्टील की मजबूती व कंक्रीट का टिकाऊपन दोनों होता है।

समय स्थानीय अवरोधों के निराकरण के लिए डिज़ाइन में संशोधन किया। अतः, विभिन्न कारणों जैसे प्रथम ठेकेदार को पहले चरण में ही बाधारहित कार्यस्थल उपलब्ध न कराना, तकनीकी बाधाओं का पूर्वानुमान न लगा पाना तथा कार्य निष्पादन की धीमी गति के परिणामस्वरूप अत्यधिक विलम्ब हुआ।

अधिशासी अभियंता ने उसके प्रत्युत्तर में बताया (अगस्त 2025) कि विभागीय स्तर पर कोई विलम्ब नहीं हुआ था तथा कार्य आवंटन के समय ही बाधारहित कार्यस्थल एवं ड्राइंग उपलब्ध करा दिए गए थे; ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विफल रहा और इसलिए प्रबंधन समिति ने जुलाई 2022 में अनुबंध निरस्त कर दिया।

अधिशासी अभियंता का यह उत्तर प्रबंधन समिति के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं है, जिसने जुलाई 2022 में यह पुष्टि की थी कि विभाग समय पर बाधारहित कार्यस्थल तथा आवश्यक ड्राइंग उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को सितंबर 2025 में प्रेषित किए गए। तथापि, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 2025)।

(पुरुषोत्तम तिवारी)

शिमला **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)**

दिनांक: 22 मई 2026 **हिमाचल प्रदेश**

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली

दिनांक: 08 जून 2026 **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.2)

31 मार्च 2024 तक विगत वर्षों के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सुओ-मोटो प्रत्युत्तरों का विवरण

प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	उत्तर प्राप्त करने की देय तिथि	विभाग	31 मार्च 2024 तक प्राप्त नहीं हुए उत्तर	
					निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2012-13	21.02.2014	20.05.2014	जनजातीय विकास	0	1
	2013-14	10.04.2015	09.07.2015	जनजातीय विकास	0	1 (टीए)
	2015-16	31.03.2017	30.06.2017	गृह विभाग	0	2 (टीए)
	2016-17	05.04.2018	04.07.2018	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	0
				बागवानी (आंशिक)	0	1 (टीए)*
	2018-19	13.08.2021	12.11.2021	श्रम एवं रोजगार	0	1
				लोक निर्माण विभाग	0	1
	2019-20	15.03.2022	14.06.2022	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	0	1
				लोक निर्माण विभाग	0	1
				शिक्षा	0	1 (टीए)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2020-21	05.04.2023	04.07.2023	गृह	0	1 (टीए)
				लोक निर्माण विभाग	0	3
				जल शक्ति विभाग	0	2
				ग्रामीण विकास	0	1
				परिवहन	0	1
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति पर प्रतिवेदन	2020-21	16.03.2023	15.06.2023	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1	0
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन की दक्षता पर प्रतिवेदन	2019-20	03.04.2023	02.07.2023	पंचायती राज	1	0
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का हिमाचल प्रदेश में पेयजल सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	2020-21	05.04.2023	04.07.2023	जल शक्ति विभाग	1	0
योग					**04 (पीए)**	**06 (टीए) व 12 डीपी**

** 01(टीए) कृषि फसल बीमा योजनाओं पर कृषि व बागवानी विभागों से संबंधित है। हालांकि, बागवानी विभाग के संबंध में सुओ-मोटो उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।*

टीए - विषयगत लेखापरीक्षा, डीपी - प्रारूप परिच्छेद (स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी)।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.3)

वर्ष 2023-24 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विवरण

समिति: प्रतिवेदन का नाम	विभाग का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	2023-24 के दौरान चर्चा की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
			निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
लोक लेखा समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	आयुष विभाग	2009-10	0	1
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2009-10	0	1
		2011-12	0	2
		2012-13	1	0
		2013-14	0	3
		2014-15	1	2
		2016-17	0	2
		2017-18	0	1
	योग		**2**	**12**

31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का वर्ष-वार विवरण

समिति: प्रतिवेदन का नाम	प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन में सम्मिलित कुल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां		31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद
लोक लेखा समिति: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2020-21 एवं स्वतंत्र प्रतिवेदन[1]	2008-09	14	114	0	1
	2009-10	2	26	0	3
	2010-11	2	20	0	1
	2011-12	1	19	0	2
	2012-13	3	13	0	5
	2013-14	4	23	0	3
	2014-15	4	28	0	4
	2015-16	5	13	2	4
	2016-17	4	26	2	5
	2017-18	2	21	1	7
	2018-19	2	14	2	11
	2019-20	1	5	1	5
	2020-21	2	8	2	8
	योग	**46**	**330**	**10**	**59**

[1] वर्ष 2019-20 के लिए "74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन की दक्षता" पर निष्पादन लेखापरीक्षा; वर्ष 2020-21 के लिए "हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की स्थिति" पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा वर्ष 2020-21 के लिए "हिमाचल प्रदेश सरकार में पेयजल सेवाएं" पर निष्पादन लेखापरीक्षा।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.5.4)

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों की विभाग-वार व विधानसभा कार्यकाल-वार लंबितता का विवरण (31 मार्च 2024 तक)

क्र. सं.	विभाग का नाम	की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों की लंबितता									
		विधान सभा VI	विधान सभा VII	विधान सभा VIII	विधान सभा IX	विधान सभा X	विधान सभा XI	विधान सभा XII	विधान सभा XIII	विधान सभा XIV	कुल लंबित प्रतिक्रिया
1	मत्स्य पालन	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
2	परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3	बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बिजली	0	0	0	0	0	2	0	9	2	13
4	लोक निर्माण विभाग	0	0	2	6	4	12	3	15	0	42
5	राजस्व	0	0	1	5	6	8	2	5	0	27
6	वन	3	1	3	6	3	10	7	14	1	48
7	जल शक्ति	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
8	शहरी विकास	0	0	0	2	0	0	0	8	4	14
9	आयुष	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7
10	प्राथमिक शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	पशुपालन	0	0	0	0	0	0	2	3	5	10
12	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	0	0	1	1	4	2	0	6	14
14	उच्च शिक्षा	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6
15	तकनीकी शिक्षा	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
16	बागवानी	0	0	0	1	0	3	2	0	0	6
17	ग्रामीण विकास	0	0	0	1	4	0	1	2	2	10
18	उद्योग	0	0	0	0	0	1	3	5	3	12
19	कृषि	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4
20	पंचायती राज	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
21	श्रम एवं रोजगार	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
22	युवा सेवाएं और खेल	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
23	सामान्य प्रशासन	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
24	योजना	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
25	खादय, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
योग		**3**	**1**	**6**	**22**	**21**	**48**	**26**	**80**	**33**	**240**

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.2 व 2.4.2)

मानव संसाधन - हिमाचल प्रदेश कारागार में रिक्तियां (01.04.2024 तक)

क्र. सं.	पद	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	रिक्त पद
I.	**कार्यकारी संवर्ग**			
1.	अधीक्षक मॉडल केंद्रीय कारागार	02	01	01
2.	अधीक्षक जिला उप कारागार (अंशकालिक)	07	07	00
3.	जिला कारागार अधीक्षक	01	01	00
4.	उप अधीक्षक कारागार	10	09	01
5.	सहायक अधीक्षक कारागार	23	10	13 (57)
6.	अधीक्षक ग्रेड-II	02	01	01
II.	**रक्षा कर्मी**			
1.	मुख्य वार्डर (पुरुष/महिला)	86	75	11(13)
2.	वार्डर (पुरुष/महिला)	516	391	125 (24)
III.	**चिकित्सा कर्मी**			
1.	चिकित्सा अधिकारी	04	04	00
2.	डिस्पेंसर	19	06	13 (68)
IV.	**कल्याण इकाइयां**			
1.	कारागार महानिदेशक	01	01	00
2.	उप महानिरीक्षक वार्डर	01	01	00
3.	कारागारों का सहायक महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक (कारागार)	01	01	00
4.	मुख्य कल्याण अधिकारी	01	01	00
5.	उप/सहायक जिला अभियोजक (कारागार)	01	01	00
6.	अनुभाग अधिकारी (स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग)	01	01	00
7.	कल्याण अधिकारी सह उप अधीक्षक कारागार	04	03	01
8.	पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता	01	00	01
9.	महिला सामाजिक कार्यकर्ता	01	00	01
V.	**शैक्षिक कर्मी**			
1.	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक	01	00	01
2.	जूनियर बेसिक शिक्षक	01	00	01
VI.	**तकनीकी कर्मी**			
1.	कारखाना पर्यवेक्षक	01	01	00
2.	कार्पेंटर मास्टर	01	01	00
3.	बुनाई मास्टर	03	01	02
4.	दर्जी मास्टर	01	01	00
5.	ड्राइवर	06	06	00
सकल योग		**696**	**524**	**172 (25)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े, जहां भी उल्लेखित हैं, प्रतिशत दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.3.2)

वर्ष 2021-24 के दौरान नमूना-जांचित उप-निदेशक कार्यालयों में प्रमुख पशु चिकित्सा पदाधिकारियों की स्थिति

उप-निदेशक कार्यालयों का नाम	2021-22						2022-23						2023-24					
	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट		वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट		वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा अधिकारी		पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट	
	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)	एस एस	पीआईपी (एस/एफ)
केलोंग	2	2 (0)	8	4 (50)	36	18 (50)	2	1 (50)	8	5 (38)	36	14 (61)	2	1 (50)	8	6 (25)	36	11 (69)
कांगड़ा	7	7 (0)	61	53 (13)	292	246 (16)	7	7 (0)	61	54 (11)	292	278 (4)	7	5 (29)	61	57 (7)	292	272 (7)
मंडी	9	8 (11)	70	58 (17)	341	273 (20)	9	7 (22)	70	65 (7)	341	292 (14)	9	7 (22)	70	65 (7)	341	280 (18)
ऊना	3	3 (0)	33	30 (9)	142	99 (30)	3	3 (0)	33	31 (6)	142	103 (27)	3	3 (0)	33	33 (0)	142	102 (28)
योग	**21**	**20 (5)**	**172**	**145 (16)**	**811**	**636 (22)**	**21**	**18 (14)**	**172**	**155 (10)**	**811**	**687 (15)**	**21**	**16 (24)**	**172**	**161 (6)**	**811**	**665 (18)**

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी का प्रतिशत दर्शाते हैं।

एसएस: स्वीकृत पद, पीआईपी: पदस्थ कर्मी, एस/एफ: कमी प्रतिशत में

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5.1)

उन उपकरणों का विवरण जिनकी खरीद की गई परन्तु उपयोग में नहीं लिए गए

क्र. सं.	उपकरण का नाम	मात्रा	पशु चिकित्सा संस्थान का नाम	प्राप्ति की तिथि	अप्रयुक्त रखे रहने की तिथि	लागत (₹ में)
उप-निदेशक पशुपालन/प्रजनन, केलोंग						
1	आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर-लैबटॉप	1	केंद्रीय/जिला पूल स्टोर	25-01-2024	जनवरी-24	1,07,887
2	आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर-लैबटॉप	1	पशु चिकित्सालय, जहालमन	27-06-2024	जून-24	1,07,887
3	डीप फ्रीजर	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, उदयपुर	08-10-2018	अक्टूबर-18	2,18,382
4	वर्टिकल ऑटोक्लेव	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, उदयपुर	08-10-2018	अक्टूबर-18	1,26,204
योग		**4**				**5,60,360**
उप-निदेशक पशुपालन/प्रजनन, धर्मशाला						
1	जैविक सुरक्षा कैबिनेट (नया)	1	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, शाहपुर	23-03-2021	मार्च-21	1,23,900
2	जैविक सुरक्षा कैबिनेट (नया)	1	ज़ोनल पशु चिकित्सालय, नगरोटा बगवां	13-05-2022	मई-22	1,23,900
3	माइक्रोस्कैन-20 (माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर) (नया)	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	24-04-2011	अप्रैल-11	34,821
4	हीमोग्लोबिनो मीटर (नया)	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	04-08-2018	अगस्त-18	860
5	हीमोसाइटोमीटर (नया)	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	04-08-2018	अगस्त-18	883
6	फ्यूमिगेटर (नया)	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	04-08-2018	अगस्त-18	5,310
7	माइक्रो सेंट्रीफ्यूज मशीन (नया)	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	04-08-2018	अगस्त-18	44,722
8	डिजिटल माइक्रोपाइपेट (नया)	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	04-08-2018	अगस्त-18	17,110
9	विश्लेषणात्मक तराजू (नया)	1	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	04-08-2018	अगस्त-18	63,720
10	हीमोग्लोबिनो मीटर (नया)	1	पशु चिकित्सालय, नगरोटा सूरियां	22-10-2021	अक्टूबर-21	860
11	हीमोसाइटोमीटर (नया)	1	पशु चिकित्सालय, नगरोटा सूरियां	22-10-2021	अक्टूबर-21	883
12	फ्यूमिगेटर (नया)	1	पशु चिकित्सालय, नगरोटा सूरियां	22-10-2021	अक्टूबर-21	5,310
13	प्रयोगशाला सेंट्रीफ्यूज मशीन	1	पशु चिकित्सालय, नगरोटा सूरियां	22-10-2021	अक्टूबर-21	50,858

क्र. सं.	उपकरण का नाम	मात्रा	पशु चिकित्सा संस्थान का नाम	प्राप्ति की तिथि	अप्रयुक्त रखे रहने की तिथि	लागत (₹ में)
14	सूक्ष्मदर्शी	1	पशु चिकित्सालय, कठोली	23-01-2014	जनवरी-14	17,915
15	सूक्ष्मदर्शी	1	पशु चिकित्सालय, फतेहपुर	07-01-2012	जनवरी-12	34,821
16	ऑटोक्लेव	1	पशु चिकित्सालय, फतेहपुर	25-08-2018	अगस्त-18	1,26,203
17	फ्यूमिगेटर (नया)	1	पशु चिकित्सालय, योल	13-03-2024	मार्च-24	5,310
18	प्रयोगशाला सेंट्रीफ्यूज मशीन (नया)	1	पशु चिकित्सालय, योल	13-03-2024	मार्च-24	50,858
19	पल्स ऑक्सीमीटर (नया)	1	पशु चिकित्सालय, योल	13-03-2024	मार्च-24	25,830
20	बैटरी सहित सक्रिय कूल बॉक्स (नया)	1	पशु चिकित्सालय, योल	16-08-2023	अगस्त-23	34,810
योग		**20**				**7,68,884**
			उप-निदेशक पशुपालन/प्रजनन, मंडी			
1	उच्च आवृत्ति मोबाइल एक्स-रे मशीन (नया)	1	पशु चिकित्सा पाली क्लिनिक, भंगरौटू	28-06-2017	जून-17	4,75,200
2	सेमी-ऑटोमैटिक क्लिनिकल केमिस्ट्री एनालाइज़र (नया)	1	ज़ोनल पशु चिकित्सालय, मंडी	21-04-2022	अप्रैल-22	1,20,000
3	परीक्षण टेबल (नया)	1	ज़ोनल पशु चिकित्सालय, मंडी	01-10-2020	अक्टूबर-20	8,450
4	इंवर्टर और बैटरी (नया)	1	ज़ोनल पशु चिकित्सालय, मंडी	14-08-2020	अगस्त-20	44,500
5	तराज़ू (नया)	1	ज़ोनल पशु चिकित्सालय, मंडी	27-09-2019	सितंबर-19	23,500
6	क्रायोकेन (नया)	230	सीमेन बैंक, खलियार, मंडी	अगस्त-19 से अक्टूबर-23	अगस्त-19 से अक्टूबर-23	31,14,314
7	प्रयोगशाला उपकरण (नया)	58	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, गोहर	20-02-2020	फरवरी-20	2,83,936
8	प्रयोगशाला उपकरण (नया)	21	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, पाधर	19-10-2019	अक्टूबर-19	1,27,357
9	प्रयोगशाला उपकरण (नया)	60	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, सुंदरनगर	17-10-2019	अक्टूबर-19	4,19,997
10	माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सालय, सुधर	18-10-2006	अक्टूबर-06	6,900
11	रोगविज्ञान आणविक माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सालय, सुधर	05-07-2018	जुलाई-18	12,010
12	इलेक्ट्रिक सिरिंज सुई नष्ट करने वाला	1	पशु चिकित्सा औषधालय, रोपा	31-07-2023	जुलाई-23	4,940
13	माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, रोपा	05-10-2006	अक्टूबर-06	उल्लेख नहीं किया गया
14	इलेक्ट्रिक स्टेरलाइज़र	2	पशु चिकित्सा औषधालय, रोपा	19-06-2004 व 13-03-2008	जून-04 व मार्च-08	2,490
15	रैनोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, रोपा	09-06-2009	जून-09	550
16	रोगविज्ञान द्विनेत्री माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, बोचिंग	05-06-2003	जून-03	14,300
17	रोगविज्ञान द्विनेत्री माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, केलोधर	06-04-2014	अप्रैल-14	14,300

क्र. सं.	उपकरण का नाम	मात्रा	पशु चिकित्सा संस्थान का नाम	प्राप्ति की तिथि	अप्रयुक्त रखे रहने की तिथि	लागत (₹ में)
18	इलेक्ट्रिक स्टेरलाइज़र	1	केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालय, बाह की धार	05-12-2012	दिसंबर-12	1,905
19	ऑटोक्लेव प्रेशर कुकर	1	पशु चिकित्सा औषधालय, जारोल	21-11-2018	नवंबर-18	7,500
20	रोगविज्ञान माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, जारोल	11-07-2019	जुलाई-19	उल्लेख नहीं किया गया
21	इलेक्ट्रिक स्टेरलाइज़र	1	पशु चिकित्सा औषधालय, सालवाना	31-12-2018	दिसंबर-18	उल्लेख नहीं किया गया
22	पिघलाने की इकाई	1	पशु चिकित्सा औषधालय, सालवाना	अप्रैल-03	अप्रैल-03	5,490
23	माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, सालवाना	अप्रैल-03	अप्रैल-03	13,950
24	रोगविज्ञान माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, बायला	05-12-2003	दिसंबर-03	13,750
25	माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सा औषधालय, कमांड	2005-06	2005-06	13,750
योग		**391**				**47,29,089**
उप-निदेशक पशुपालन/प्रजनन, ऊना						
1	एक्स-रे मशीन और उसके उपकरण	1	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	18-08-2017	अगस्त-17	5,00,490
2	मूत्र विश्लेषक	1	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	30-07-2019	जुलाई-19	41,300
3	ईएलआईएसए रीडर	1	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	23-04-2018	अप्रैल-18	7,13,900
4	जैव सुरक्षा कैबिनेट	1	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	31-05-2022	मई-22	1,46,202
5	इलेक्ट्रिक सुई और सिरिंज नष्ट करने वाला	1	केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालय, पम्बरा	2011-2012	2011-2012	2,189
6	नेबुलाइज़र	1	केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालय, पम्बरा	30-07-2019	जुलाई-19	1,058
7	टीका वाहक	4	केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालय, पम्बरा	05/2013 से 05/2016	मई-13 से मई-16	2,900
8	नेबुलाइज़र	2	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, ऊना	अगस्त-19	अगस्त-19	2,117
9	रोगविज्ञान माइक्रोस्कोप	1	पशु चिकित्सालय, बासदेहरा	14-02-2019	फरवरी-19	14,747
10	टीका वाहक	2	पशु चिकित्सालय, बासदेहरा	13-05-2016	मई-16	1,450
11	एआई किट	3	पशु चिकित्सालय, बासदेहरा	03/2022 से 06/2024	मार्च-22 से जून-24	7,200
12	इलेक्ट्रिक सुई और सिरिंज नष्ट करने वाला	2	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, बंगाणा	07-06-2023	जून-23	11,658
13	प्रयोगशाला सेंट्रीफ्यूज मशीन	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, बंगाणा	31-07-2019	जुलाई-19	30,182

क्र. सं.	उपकरण का नाम	मात्रा	पशु चिकित्सा संस्थान का नाम	प्राप्ति की तिथि	अप्रयुक्त रखे रहने की तिथि	लागत (₹ में)
14	पशु क्रश	1	पशु चिकित्सालय, थानाकलां	15-11-2016	नवम्बर-16	8,775
15	धूमिनाशक	1	पशु चिकित्सालय, थानाकलां	31-07-2019	जुलाई-19	6,844
16	नेबुलाइज़र	1	पशु चिकित्सालय, रायपुर मैदान	01-08-2019	अगस्त-19	1,058
17	टीका वाहक	1	पशु चिकित्सालय, रायपुर मैदान	13-05-2016	मई-16	725
18	इलेक्ट्रिक सुई व सिरिंज नष्ट करने वाला	1	पशु चिकित्सालय, रायपुर मैदान	07-06-2023	जून-23	5,829
19	छोटे पशु सामान्य शल्य चिकित्सा पैक	1	पशु चिकित्सालय, रायपुर मैदान	17-06-2020	जून-20	14,443
20	एआई किट	2	पशु चिकित्सालय, रायपुर मैदान	16-11-2022	नवम्बर-22	5,376
21	एआई गन	5	पशु चिकित्सा औषधालय, मंडली	12/2011 to 12/2012	दिसम्बर-11 से दिसम्बर -12	506
22	माइक्रोस्कोप	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	31-12-2002	दिसम्बर-02	3,500
23	बफर सोलूशन मॉडल सहित पीएच मीटर ECPH-2000425	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-04-2019	अप्रैल-19	62,000
24	भाप रहित उपकरण स्टेराइलिज़र	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-04-2019	अप्रैल-19	5,531
25	हॉट एयर स्टेरिलाइज़र	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-04-2019	अप्रैल-19	57,994
26	प्रयोगशाला सेंट्रीफ्यूज मशीन	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-02-2019	फरवरी-19	1,46,832
27	माइक्रो सेंट्रीफ्यूज मशीन	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-04-2019	अप्रैल-19	42,448
28	इंक्यूबेटर	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-04-2019	अप्रैल-19	40,218
29	विश्लेषणात्मक तराजू	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-04-2019	अप्रैल-19	60,480
30	रोगविज्ञान द्विनेत्री माइक्रोस्कोप	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	12-04-2019	अप्रैल-19	19,568
31	एचके-36 बैटरी सहित फ्रीजर (सक्रिय कूलिंग)	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	02-01-2023	जनवरी-23	34,810
32	डीप फ्रीजर-20°C	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	01-05-2017	मई-17	2,10,517
33	सेंट्रीफ्यूज मशीन	1	उप विभागीय पशु चिकित्सालय, अंब	10-06-2010	जून-10	10,542
34	फ्रिज एलजी 300 लीटर	1	पशु चिकित्सालय, चुरुरु	07-04-2021	अप्रैल-21	26,789
35	एआई किट	3	पशु चिकित्सालय, चुरुरु	22-06-2022	जून-22	8,064

क्र. सं.	उपकरण का नाम	मात्रा	पशु चिकित्सा संस्थान का नाम	प्राप्ति की तिथि	अप्रयुक्त रखे रहने की तिथि	लागत (₹ में)
36	जैव सुरक्षा कैबिनेट	1	जोनल पशु चिकित्सालय, बरनोह	07-10-2022	अक्टूबर-22	1,46,202
योग		**51**				**23,94,444**
			राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला			
1	बेंच टॉप पशु चिकित्सा जैव रसायन विश्लेषक	1	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	मार्च-23	मार्च-23	5,00,200
2	एडीजी सेमी ऑटोमैटिक बायो-केमिस्ट्री एनालाइज़र	1	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	26-03-2021	मार्च-21	70,800
3	माइक्रो सेंट्रीफ्यूज मशीन	1	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	05-07-2018	जुलाई-18	44,722
4	धूमिनाशक	4	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	05-07-2018	जुलाई-18	21,240
5	डिजिटल माइक्रोपाइपेट	2	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	05-07-2018	जुलाई-18	34,220
6	माइक्रो ऑटोपाइपेट	3	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	2018	जुलाई-18	8,400
7	वॉर्टेक्स शेकर	1	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	05-07-2018	जुलाई-18	5,000
8	हीमोसाइटोमीटर	1	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	05-07-2018	जुलाई-18	883
9	हीमोग्लोबिनोमीटर	1	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	05-07-2018	जुलाई-18	860
10	एसएस ट्रे कैप	6	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	05-07-2018	जुलाई-18	2,802
योग		**21**				**6,89,127**
सकल योग		**487**				**91,41,904**

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5.1)

उन उपकरणों का विवरण जो मरम्मत के अभाव में अप्रयुक्त रहें

क्र. सं.	उपकरण का नाम	पशु चिकित्सा संस्थान का नाम	प्राप्ति की तिथि	अप्रयुक्त रखे रहने की तिथि	लागत (₹ में)
उप-निदेशक पशुपालन/प्रजनन, धर्मशाला					
1	प्रयोगशाला सेंट्रीफ्यूज मशीन	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्वाली	04-08-2018	2023-24	50,858
2	पेंटा-टी पैड	पशु चिकित्सालय, नगरोटा सूरियां	अक्टूबर-18	2020-21	6,499
3	पेंटा-टी पैड	पशु चिकित्सा औषधालय, कठोली	22-10-2018	2018-19	6,499
4	पेंटा-टी पैड	पशु चिकित्सा औषधालय, नंदपुर	22-10-2018	2020-21	6,499
5	इलेक्ट्रिक थॉइंग यूनिट डिजिटल किट	पशु चिकित्सा औषधालय, योल	25-08-2017	2023-24	5,800
6	पेंटा-टी पैड (3 नग)	पशु चिकित्सा औषधालय, योल	15-09-2018	2021-22	19,497
7	शीत भंडारण इकाई (वॉक-इन चिलर)	पूल स्टोर, कांगड़ा	2018-19	2023-2024	20,00,000
योग					**20,95,652**
उप-निदेशक पशुपालन/प्रजनन, मंडी					
1	क्रायोकेन टीए-55	पशु चिकित्सा औषधालय, जरोल	25-10-2023	2024-25	15,945
योग					**15,945**
उप-निदेशक पशुपालन/प्रजनन, ऊना					
1	इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	03-01-2018	2021-22	8,650
2	हाइड्रोलिक बड़े पशु ऑपरेशन टेबल	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	24-08-2017	2021-22	1,88,642
3	इलेक्ट्रॉनिक मॉट्रैक्स	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	03-01-2018	2021-22	1,17,116
4	चूषण यंत्र	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	03-01-2018	2021-22	19,436
5	प्रकाश माइक्रोस्कोप (4 नग)	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	08/2017 से 12/2021	2020-21 से 2023-24	94,523
6	वर्टिकल ऑटोक्लेव	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	16-12-2021	2022-23	1,23,203
7	इंक्यूबेटर	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	16-08-2023	जनवरी-25	33,453
8	एयर कंडीशनर (सर्जरी कक्ष)	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, लालहरी	23-04-2018	2021-22	36,500

क्र. सं.	उपकरण का नाम	पशु चिकित्सा संस्थान का नाम	प्राप्ति की तिथि	अप्रयुक्त रखे रहने की तिथि	लागत (₹ में)
9	पेंटा टी-पैड	पशु चिकित्सा औषधालय, बुधवार	28-09-2018	2022-23	6,000
योग					**6,27,523**
राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला					
1	मदों सहित एक्स-रे मशीन	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	20-07-2019	2023-24	32,500
2	पोर्टेबल ऑटोक्लेव	राज्य पशु चिकित्सालय, शिमला	06-05-2020	2023-24	17,700
योग					**50,200**
सकल योग					**27,89,320**

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ:परिच्छेद 4.6)

(I) वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान स्वीकृत 68 कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि	प्राप्त निधि	टिप्पणी
पूर्ण कार्य (9)						
1	कांगड़ा	पशु चिकित्सा औषधालय, मझरना (पालमपुर)	23.11.2021	9.98	9.98	कार्य पूर्ण
2	मंडी	पशु चिकित्सा औषधालय, कोठी गहरी	10.02.2022	20.36	15.00	कार्य पूर्ण
3		पशु चिकित्सा औषधालय, लुहखर	09.09.2022	20.65	18.00	कार्य पूर्ण
4	शिमला	पशु चिकित्सा औषधालय, सुन्नी	17.03.2022	30.64	20.05	कार्य पूर्ण
5		पशु चिकित्सा औषधालय, कोठी	08.06.2022	19.41	9.63	कार्य पूर्ण
6		पशु चिकित्सा औषधालय, धर	28.07.2023	21.87	8.00	कार्य पूर्ण
7	सोलन	पशु चिकित्सा औषधालय, साधूपुल	10.02.2022	16.39	15.26	कार्य पूर्ण
8		पशु चिकित्सा औषधालय, गाम्बर्पुल	22.03.2022	30.40	30.40	कार्य पूर्ण
9		पशु चिकित्सालय, बद्दी	29.06.2022	12.06	12.00	कार्य पूर्ण
योग				**181.76**	**138.32**	
अपूर्ण कार्य (27)						
1	हमीरपुर	पशु चिकित्सालय, बिझारी का निर्माण	23.11.2021	106.43	66.42	कार्य प्रक्रियाधीन
2	कांगड़ा	पशु चिकित्सा औषधालय, गंगत का निर्माण	11.03.2022	24.60	26.01	कार्य प्रक्रियाधीन
3		पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, शाहपुर का निर्माण	05.09.2022	174.82	74.96	कार्य प्रक्रियाधीन
4		पशु चिकित्सा औषधालय, जरोट का निर्माण	16.02.2023	29.08	27.98	कार्य प्रक्रियाधीन
5	पालमपुर (कांगड़ा)	पशु चिकित्सा औषधालय, केओरी	04.08.2021	36.95	36.96	कार्य प्रक्रियाधीन
6		पशु चिकित्सा औषधालय, मरहून का निर्माण	17.02.2023	29.74	15.00	कार्य प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि	प्राप्त निधि	टिप्पणी
7		पशु चिकित्सा औषधालय, मुंधी का निर्माण	09.12.2021	48.56	31.00	कार्य प्रक्रियाधीन
8		पशु चिकित्सालय, सुल्लाह का निर्माण	10.02.2022	70.59	40.00	कार्य प्रक्रियाधीन
9		केंद्रीय पशु चिकित्सा औषधालय, नौरा का निर्माण	14.03.2022	18.08	18.08	कार्य प्रक्रियाधीन
10		पशु चिकित्सा औषधालय, बडेहर	23.11.2023	28.15	28.15	कार्य प्रक्रियाधीन
11	कुल्लू	पशु चिकित्सा औषधालय, लशानी का निर्माण	14.10.2022	34.21	13.12	कार्य प्रक्रियाधीन
12		पशु चिकित्सा औषधालय, देओरी का निर्माण	23.01.2023	37.84	23.05	कार्य प्रक्रियाधीन
13	मंडी	पशु चिकित्सा औषधालय, भाम्बला का निर्माण	09.12.2022	74.37	33.0	कार्य प्रक्रियाधीन
14		पशु चिकित्सा औषधालय, बारा का निर्माण	28.12.2022	78.02	43.74	कार्य प्रक्रियाधीन
15	शिमला	सीमेन बैंक, ज्योरी का निर्माण	06.12.2022	40.98	15.00	कार्य प्रक्रियाधीन
16		पूल स्टोर तारा देवी का निर्माण	02.08.2023	52.55	33.72	कार्य प्रक्रियाधीन
17		पशु चिकित्सा औषधालय, दुम्मी का निर्माण	14.03.2022	8.46	8.45	कार्य प्रक्रियाधीन
18	सिरमौर	पशु चिकित्सालय, भलता माछेर का निर्माण	22.11.2021	102.57	48.34	कार्य प्रक्रियाधीन
19		पशु चिकित्सालय, हब्बन का निर्माण	03.12.2022	124.09	5.00	कार्य प्रक्रियाधीन
20		पशु चिकित्सा औषधालय, रोनहाट का निर्माण	03.08.2021	69.60	33.03	कार्य प्रक्रियाधीन
21		पशु चिकित्सा औषधालय, भुजोंड का निर्माण	17.03.2022	25.65	18.84	कार्य प्रक्रियाधीन
22	सोलन	पशु चिकित्सालय, बरोटीवाला का निर्माण	09.12.2022	77.41	12.77	कार्य प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि	प्राप्त निधि	टिप्पणी
23		पशु चिकित्सालय, जोघोन का निर्माण	28.12.2022	74.20	2.00	कार्य प्रक्रियाधीन
24	ऊना	उप मंडलीय पशु चिकित्सालय, बंगाणा में प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण	10.02.2022	52.99	33.00	कार्य प्रक्रियाधीन
25		पशु चिकित्सा औषधालय, सलोह बाड़ी का निर्माण	11.03.2022	19.04	19.04	कार्य प्रक्रियाधीन
26		पशु चिकित्सालय, सलोई का निर्माण	11.03.2022	58.50	19.82	कार्य प्रक्रियाधीन
27		पशु चिकित्सा औषधालय, बौल खुरवैन का निर्माण	14.10.2022	23.10	4.50	कार्य प्रक्रियाधीन
योग				**1520.58**	**730.98**	
प्रारंभ नहीं किए गए कार्य (32)						
1	बिलासपुर	पशु चिकित्सा औषधालय, घंडीर का निर्माण	10.02.2022	22.29	20.00	भूमि परिवर्तित एवं कार्य प्रारंभ होने वाला है
2		पशु चिकित्सा औषधालय रंदोह का निर्माण	15.03.2023	28.94	17.78	कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ
3		पशु चिकित्सालय, बरठीं का निर्माण	18.03.2023	35.65	3.0	अपर्याप्त निधियों के कारण
4		पशु चिकित्सालय, कपाहरा का निर्माण	08.02.2024	29.11	2.86	अपर्याप्त निधियों के कारण
5		पशु चिकित्सा औषधालय, डंगार का निर्माण	28.12.2022	17.86	3.00	अपर्याप्त निधियों के कारण
6	चंबा	किसान प्रशिक्षण केंद्र, तिस्सा का निर्माण	16.03.2022	405.41	17.77	अपर्याप्त निधियों के कारण
7		पशु चिकित्सा औषधालय, समाह का निर्माण	16.12.2022	25.07	6.00	अपर्याप्त निधियों के कारण
8	हमीरपुर	पशु चिकित्सा औषधालय, कठियाना का निर्माण	21.03.2022	26.47	3.00	भूमि समस्या के कारण
9		पशु चिकित्सा औषधालय, चमियाना का निर्माण	10.02.2022	12.38	12.38	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया
10		पशु चिकित्सालय, पट्टा का निर्माण	23.11.2021	55.38	12.00	अपर्याप्त निधियों के कारण

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि	प्राप्त निधि	टिप्पणी
11	कांगड़ा	पशु चिकित्सा औषधालय, ठाकुरद्वारा का निर्माण	11.03.2022	24.60	9.00	भूमि की अनुपलब्धता के कारण
12		जोनल पशु चिकित्सालय, नगरोटा बगवां का निर्माण	18.01.2023	704.60	52.29	अपर्याप्त निधियों के कारण
13	कुल्लू	पशु चिकित्सा औषधालय, गोशाला का निर्माण	07.02.2023	36.47	15.00	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया
14	मंडी	पशु चिकित्सालय, चौकी चन्द्रन का निर्माण	14.03.2022	98.39	12.00	बजट की कमी के कारण
15		पशु चिकित्सालय, लड़ भड़ोल का निर्माण	09.09.2022	96.30	25.00	बजट की कमी के कारण
16		पशु चिकित्सा औषधालय, शिखावड़ी का निर्माण	20.09.2022	33.11	15.84	भूमि विवाद के कारण
17		पशु चिकित्सा औषधालय, चकली का निर्माण	26.12.2022	96.02	21.41	संशोधित डिज़ाइन अनुमोदन हेतु भेजा गया
18		पशु चिकित्सा औषधालय, बल्ह चालहार्ग का निर्माण	07.02.2023	21.24	1.00	बजट की कमी के कारण
19		पशु चिकित्सा औषधालय, खारसी का निर्माण	07.02.2023	49.00	1.00	बजट की कमी के कारण
20		पशु चिकित्सा औषधालय, ढंडहल का निर्माण	07.02.2023	19.33	1.00	बजट की कमी के कारण
21		पशु चिकित्सा औषधालय, बारोटी का निर्माण	16.02.2023	22.80	8.00	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया
22		पशु चिकित्सा औषधालय, उट्पुर का निर्माण	15.03.2024	21.58	0.80	बजट की कमी के कारण
23	शिमला	पशु चिकित्सा औषधालय, देवरी खनेटी का निर्माण	23.03.2022	26.47	6.99	अपर्याप्त निधियों के कारण
24		उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, रोहडू का निर्माण	15.03.2023	125.77	33.52	अपर्याप्त निधियों के कारण
25	सिरमौर	पशु चिकित्सालय, नारग का निर्माण	09.09.2022	88.57	5.00	अपर्याप्त निधियों के कारण

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि	प्राप्त निधि	टिप्पणी
26		पशु चिकित्सालय, नैना टिक्कर का निर्माण	09.09.2022	88.57	2.00	अपर्याप्त निधियों के कारण
27		सीपीएफ, नाहन का निर्माण	18.01.2023	250.19	20.00	नष्ट करने की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण
28		पशु चिकित्सालय, सतौन का निर्माण	13.03.2024	22.05	0.04	अपर्याप्त निधियों के कारण
29		पशु चिकित्सा औषधालय, कोटडी ब्यास का निर्माण	14.03.2022	5.00	5.00	भूमि विवाद के कारण
30		पशु चिकित्सालय, दयोठी का निर्माण	16.12.2022	87.16	38.47	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया
31		पशु चिकित्सा औषधालय, बेरल का निर्माण	06.12.2022	24.57	3.93	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया
32		पशु चिकित्सालय, चंडी का निर्माण	20.03.2023	101.19	5.00	कार्यकारी एजेंसी द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया गया
योग				**2701.54**	**380.08**	

(II) 3/2009 से 3/2021 के दौरान अनुमोदित 66 निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख)	प्राप्त निधि (₹ लाख)	टिप्पणी
अपूर्ण कार्य (26)						
1	बिलासपुर	पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, बिलासपुर का निर्माण	18.07.2017	150.42	150.42	कार्य प्रक्रियाधीन
2	चंबा	पशु चिकित्सालय, मेहला का निर्माण	18.04.2011	18.07	18.07	कार्य प्रक्रियाधीन
3		पशु चिकित्सा औषधालय, सहला का निर्माण	21.02.2019	17.78	13.38	कार्य प्रक्रियाधीन
4	भरमौर	भेड़ व ऊन विस्तार केंद्र का निर्माण	2017-18	36.20	36.20	कार्य प्रक्रियाधीन
5	हमीरपुर	पशु चिकित्सालय, जाहू का निर्माण	24.03.2021	66.79	37.00	कार्य प्रक्रियाधीन
6	कांगड़ा	पशु चिकित्सालय, योल का निर्माण	2017-18	51.60	49.00	कार्य प्रक्रियाधीन
7		पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, कोटला बेहर का निर्माण	01.10.2020	422.84	154.57	कार्य प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख)	प्राप्त निधि (₹ लाख)	टिप्पणी
8		पशु चिकित्सालय, घल्लौर का निर्माण	01.02.2019	78.35	78.35	कार्य प्रक्रियाधीन
9	किन्नौर	पशु चिकित्सालय, रक्छम का निर्माण	22.08.2017	21.94	21.94	कार्य प्रक्रियाधीन
10		एसबीएफ ककस्थल का निर्माण	08.09.2011	144.94	144.94	कार्य प्रक्रियाधीन
11		पशु चिकित्सा औषधालय, चंसू का निर्माण	06.07.2019	38.64	37.46	कार्य प्रक्रियाधीन
12		पशु चिकित्सा औषधालय, रोघी का निर्माण	23.03.2017	104.83	33.93	कार्य प्रक्रियाधीन
13	कुल्लू	पशु चिकित्सालय, अरसू का निर्माण	09.03.2009	12.62	12.62	स्थानीय विवाद के कारण
14	काजा (लाहौल-स्पीति)	एडी कार्यालय का निर्माण	2012-13	198.15	161.75	कार्य प्रक्रियाधीन
15		पशु चिकित्सा औषधालय, देमुल का निर्माण	2017-18	30.74	20.31	कार्य प्रक्रियाधीन
16		लघु ऑपरेशन थिएटर का निर्माण	2020-21	38.89	30.00	कार्य प्रक्रियाधीन
17	मंडी	पशु चिकित्सालय, जाछ का निर्माण	17.11.2020	61.50	69.96	कार्य प्रक्रियाधीन
18		पशु चिकित्सा पालीक्लिनिक, भागरोटू का निर्माण	28.07.2017	195.92	119.2	कार्य प्रक्रियाधीन
19	शिमला	पशु चिकित्सा औषधालय, मज्झार का निर्माण	2017-18	25.55	25.55	कार्य प्रक्रियाधीन
20		पशु चिकित्सा औषधालय, खंग्तेहरी का निर्माण	09.09.2020	24.34	24.34	कार्य प्रक्रियाधीन
21		पशु चिकित्सालय, खलग का निर्माण	12.03.2021	54.35	16.00	कार्य प्रक्रियाधीन
22	सिरमौर	पशु चिकित्सा औषधालय, कंद्यारी का निर्माण	25.07.19 संशोधित 18.06.21	36.27	16.00	कार्य प्रक्रियाधीन
23		पशु चिकित्सा औषधालय, चौरस का निर्माण	12.11.14	29.49	29.49	कार्य प्रक्रियाधीन
24		पशु चिकित्सा औषधालय, दिदग का निर्माण	20.03.18	11.95	11.95	कार्य प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख)	प्राप्त निधि (₹ लाख)	टिप्पणी
25		पशु चिकित्सा औषधालय, फागू का निर्माण	14.10.20	34.91	34.91	कार्य प्रक्रियाधीन
26	सोलन	पशु चिकित्सा औषधालय, कोट का निर्माण	2020	35.52	29.00	कार्य प्रक्रियाधीन
योग				**1942.60**	**1376.34**	
प्रारंभ नहीं किए गए कार्य (40)						
1	बिलासपुर	पशु चिकित्सा औषधालय, मलोट का निर्माण	24.03.2021	11.86	11.86	लोक निर्माण विभाग को भूमि का हस्तांतरण
2		पशु चिकित्सा औषधालय, तली हवान का निर्माण	18.06.2020	17.02	17.02	भूमि परिवर्तित एवं कार्य प्रारंभ होने वाला है
3	चंबा	पशु चिकित्सालय, कुंडी का निर्माण	07.01.2008	7.52	7.52	भूमि विवाद के कारण
4	भरमौर (चंबा)	पशु चिकित्सा औषधालय, घुरेठ का निर्माण	2019-20	8.80	8.80	भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया प्रगति पर
5		पशु चिकित्सालय, समरा का निर्माण	2016-17	36.20	36.20	निविदा प्रक्रिया प्रगति पर
6		पशु चिकित्सा औषधालय, ग्रीमा का निर्माण	2020-21	26.50	26.50	निविदा प्रक्रिया प्रगति पर
7		पशु चिकित्सा औषधालय, देओल का निर्माण	2014-15	3.70	3.70	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रगति पर
8		पशु चिकित्सा औषधालय, औरफाती का निर्माण	2020-21	27.00	27.00	निविदा प्रक्रिया प्रगति पर
9	हमीरपुर	पशु चिकित्सा औषधालय, उहल का निर्माण	06.07.2015	13.38	10.89	भूमि की समस्या के कारण
10		पशु चिकित्सा औषधालय, कलवल का निर्माण	17.03.2021	26.47	27.72	भूमि की समस्या के कारण
11	कांगड़ा	पशु चिकित्सा औषधालय, हंडल का निर्माण	01.10.2020	16.60	16.60	भूमि की अनुपलब्धता के कारण
12	किन्नौर	पशु चिकित्सालय, निगुल्सरी का निर्माण	17.05.2003	9.79	9.79	चयनित भूमि के अस्वीकृत होने के कारण

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख)	प्राप्त निधि (₹ लाख)	टिप्पणी
13		पशु चिकित्सालय, कटगांवो का निर्माण	01.07.2016 संशोधित 15.05.2021	116.75	23.50	निष्पादन एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया
14		पशु चिकित्सालय, रिकांग पिओ का निर्माण	11.01.2010	26.87	20.00	निष्पादन एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया
15		पशु चिकित्सा औषधालय, टापरी व पीईसी टापरी का निर्माण	04.06.2019	80.85	76.20	निष्पादन एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया
16		पशु चिकित्सालय, स्पिल्लो का निर्माण	25.07.2009	103.15	25.55	वर्ष 2024 में भूमि विभाग के नाम स्थानांतरित की गई
17		पशु चिकित्सा औषधालय, थांगी का निर्माण	13.11.2003	8.49	8.49	निष्पादन एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया
18		पशु चिकित्सा औषधालय, दुनी का निर्माण	29.06.2016	25.58	20.73	निष्पादन एजेंसी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई
19	कुल्लू	केन्द्रीय पशु चिकित्सा औषधालय, कसौली खड का निर्माण	21.08.2019	23.44	23.44	निष्पादन एजेंसी द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया
20		पशु औषधालय, पंगन का निर्माण	03.09.2020	17.26	17.26	भूमि की समस्या के कारण
21		पशु चिकित्सा औषधालय, डोघरी का निर्माण	13.05.2015	14.99	14.99	भूमि की समस्या के कारण अभी तक कार्य आरंभ नहीं हुआ
22		पशु चिकित्सा औषधालय, डोभी का निर्माण	06.07.2015	13.38	10.89	भूमि की समस्या
23	केलोंग (लाहौल-स्पीति)	पशु चिकित्सालय, तिंगरेट का निर्माण	17.11.2018	50.85	11.96	एफ़आरए के तहत भूमि हस्तांतरण के कारण
24	काजा (लाहौल-स्पीति)	पशु चिकित्सा औषधालय, गुल्लिंग का निर्माण	2017-18	4.82	4.82	अपर्याप्त निधि के कारण
25		पशु चिकित्सा औषधालय, की का निर्माण	2017-18	58.69	10.82	भूमि की समस्या के कारण
26		भेड़ व ऊन विस्तार केंद्र, लारी का निर्माण	2020-21	45.33	11.30	भूमि की समस्या के कारण

क्र. सं.	जिला	कार्य का नाम	एए/टीएस की तिथि	स्वीकृत राशि (₹ लाख)	प्राप्त निधि (₹ लाख)	टिप्पणी
27	मंडी	पशु चिकित्सालय, बदिरें का निर्माण	06.07.2015	13.38	10.89	लैंडस्केप उपयुक्त नहीं
28		पशु चिकित्सालय, मसोगल का निर्माण	06.07.2015	13.38	10.89	भूमि की अनुपलब्धता
29		पशु चिकित्सालय, झुंगी का निर्माण	19.09.2020	60.50	20.00	भूमि की समस्या के कारण
30		पशु चिकित्सा औषधालय, बरोखड़ी का निर्माण	03.03.2021 व 30.01.23	16.69	16.69	भूमि की समस्या के कारण
31		पशु चिकित्सालय, धरमपुर का निर्माण	24.03.2021	16.36	8.16	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया
32		पशु चिकित्सालय, संधोल का निर्माण	25.07.2019	11.28	11.28	भूमि विवाद के कारण
33	शिमला	उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, धामी का निर्माण	22.03.2016	82.69	26.06	भूमि विवाद
34		पशु चिकित्सा औषधालय, दम्याना का निर्माण	03.12.2016	12.04	12.06	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य-स्थल अस्वीकृत
35		उप-मंडलीय पशु चिकित्सालय, ज्योरी का निर्माण	18.01.2021	68.74	60.27	अपर्याप्त धन के कारण
36		पशु चिकित्सा औषधालय, बामटा का निर्माण	17.03.2021 (संशोधित)	37.32	30.08	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ
37		पशु पालीक्लिनिक, रामपुर का निर्माण	12.03.2021	9.17	9.17	कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ
38	सिरमौर	पशु चिकित्सा औषधालय, कंडो भट्नोल का निर्माण	23.03.2020	16.23	16.00	भूमि विवाद के कारण
39		पशु चिकित्सा औषधालय, चाड़ना का निर्माण	-	10.89	10.89	अतिक्रमण के कारण
40	सोलन	पशु चिकित्सा औषधालय, सलोगडा का निर्माण	03.02.2011	13.29	13.22	भूमि की समस्या के कारण
योग				**1,177.25**	**739.21**	

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh